खण्ड-320, अंक-10
शुक्रवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1898
(2 अप्रैल, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	913–916
प्रश्नोत्तर	916–946
उत्तर प्रदेश विनियोग (1975–76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	.946
उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय शोध सन्दर्भ–एवं अध्ययन समिति का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . ..	946–947
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975–76) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	947
कुंवर श्रीपाल सिंह द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	947
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	947–948
उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 (पारित)	948–979
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर प्रवर समिति में कार्य करने हेतु सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	979––980
उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) विधेयक, 1976 (पारित)	980–984
उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976 (पारित)..	984–989
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	989–990
उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	991–1019
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	1019
नत्थियां	.1020–1035

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 2 अप्रैल, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता म आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 256

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए 0 सी 0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
जग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री

जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दयाकिशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन , श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बजनाथ यादव, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मंनू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री

मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्री
राजपाल, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामलखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसमुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
लक्ष्मी नारायण पान्डे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सत्तार अहमद, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती

सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हेमराज, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 2 अप्रैल, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

लखीमपुर खीरी के श्री टी० पी० भल्ला के कृष्णा नगर फार्म की अतिरिक्त भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण

*1—श्री राम संजीवन (जिला बांदा) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जिले में टी0पी0 भल्ला के कृष्णा नगर फार्म में 446.94 एकड़ भूमि जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत नियत अधिकारी द्वारा दिनांक 27 अप्रल, 10 3 को अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गयी थी ? भूमिहीनों में न वितरित करके शासनादेश, दिनांक 6 मई, 1968 के अनुसार वन विभाग को दे दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस भूमि पर वन विभाग ने पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी द्वारा उनके आदेश दिनांक 27-4-63 के अन्तर्गत श्री टी0 पी0 भल्ला के कृष्ण नगर फार्म की 446.94 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी एवं शासनादेश दिनांक 6-5-68 द्वारा यह भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी। प्रश्नगत भूमि इस समय वन विभाग के कब्जे में है।

मान्यवर, एक अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न है इसका उत्तर हमारे पास बहुत शार्ट टाइम में आया है, मान्यवर, इसके लिये और रिपोर्ट्स की आवश्यकता होगी। मान्यवर, इसको दूसरे हफ्ते तक के लिये स्थानान्तरित कर दें ताकि पूर्ण रूप से सूचना दी जा सके।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

गोरखपुर के ग्राम बेइली के हरिजनों की भूमि पर नेशनल इन्टर कालेज व डिग्री कालेज द्वारा अनधिकृत कब्जा

*2—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़) तथा श्री जंगबहादुर (जिला आजमगढ़, मेहनगर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर तहसील बांसगांव परगना चिल्लुपार के अन्तर्गत ग्राम बेइली के हरिजनों ने अपने उक्त मौजे में स्थित आराजी नं0 162, 163/1 व 163/2 आदि को नेशनल इन्टर कालेज व डिग्री कालेज बड़हलगंज गोरखपुर द्वारा हड़पे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22 नवम्बर 1974 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां तो हरिजनों के भूमि के रक्षार्थ अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

ग्राम बेइली जिला गोरखपुर में भूमि नं0 162/रकबा 67, 163/1 रकबा 27 तथा 163/2 रकबा 38 कुल 3 खेत रकबा 1–32 एक ; परसन सम्हारु व ढुनमुन हरिजन के नाम से थी। इस भूमि को भूमि अध्याप्ति अधिकारी के आदेश जरिये मु0 नं0 22/31/17–8–70 द्वारा नेशनल इन्टर कालेज व डिग्री कालेज का नाम अंकित हो गया है। इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी जो खारिज हो गयी। स्पेशल अपील विचाराधीन है।

श्री दया राम भास्कर—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विद्यालय के लिये और भी आस पास की जमीन को लिया गया था, लेकिन वह जमीन छोड़ दी गयी है, क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? चूंकि यह लोग हरिजन हैं और गरीब हैं, इस नाते इनकी जमीन हड़प ली गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रीमन्, जहां तक इस बात का संबंध है, प्रश्न में इसका जिक्र नहीं किया गया है, सवाल जो पूछा गया है, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। तो उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनकी रिट खारिज हो गयी है और उन्होंने स्पेशल अपील कर रखी है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय, इस बात की जांच करायेंगे कि इस कालेज के लिये और भी जमीन ली गयी थी और वह छोड़ दी गयी है और हरिजनों की ले ली गयी है, क्या इसकी जांच करायेंगे ? जिनकी छोड़ दी गयी है, अगर वह बड़े काश्तकार है, तो क्या उनकी जमीन ली जायगी और हरिजनों को छोड़ दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसकी जांच तो करा ली जायगी। लेकिन जहां तक यह कार्यवाही पूरी हो गयी है और उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील कर रखी है वहीं से उसका फैसला हो सकता है।

[दिनांक 2 अप्रैल, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

तहसील डेरापुर, कानपुर के अन्तर्गत हरिजनों को आवासस्थल हेतु आवंटित भूमि

*1—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

विधान सभा के दिनांक 4 अप्रैल, 7 ; के अतारांकित प्रश्न सं0 4 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि डेरापुर तहसील के 315 ग्रामों में 5240 हरिजन परिवारों को जो गृह निर्माण हेतु भूमि का आवंटन किया गया है उसम से सैकड़ों गांवों के हजारों हरिजन परिवारों को भूमि नहीं मिली है और फर्जी तौर पर भूमि का आवंटन दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस डेरापुर तहसील में गृह निर्माण के लिये आवंटित भूमि की घपलेबाजी और घोटाले की जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

डेरापुर तहसील के 315 ग्रामों में 5,249 हरिजन व भूमिहीन खेतिहर मजदूरों आदि को गृह निर्माण हेतु भूमि आवंटित करके कब्जा दिया जा चुका है।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन 5 हजार से अधिक लोगों को गृह निर्माण के लिये जमीन दी गयी है, उन्हें गृह बनाने के लिये कोई धन की व्यवस्था की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है, हो सकेगा तो देखा जायगा।

बरेली के गांव करतोली के जाटों का भूमि संबंधी प्रार्थना-पत्र

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

*2—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली के फरीदपुर परगना व तहसील के गांव करतोली के हरिजन जाटवों ने मई, 75 के अन्तिम सप्ताह अथवा जून, 75 के प्रथम सप्ताह में भूमि के सम्बन्ध में एक प्रार्थना–पत्र श्री राममूर्ति जी, विधायक, बरेली द्वारा जिलाधिकारी, बरेली को भेजा जिसकी जांच नायब तहसीलदार ने जून, 75 में ही मौके पर की फिर भी इन निरीह जाटवों के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर आज तक जिलाधिकारी, बरेली द्वारा निर्णय नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था एवं उस पर जांच भी की गयी थी। शासन द्वारा जिलाधिकारी, बरेली को इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

आजमगढ़ में घाघरा नदी से कटे हुए क्षेत्र के बन्दोबस्त में बरती गयी अनियमितताओं की जांच

*3—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5, 6 एवं 7 मार्च, 75 को राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आजमगढ़ जिले के घाघरा नदी से कटे हुये क्षेत्रों एवं पंचसाला बन्दोबस्त संबंधी शिकायतों की जांच करने श्री बलवन्त सिंह रावत गये थे और उन्होंने शासन को एक लम्बी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्नगत रिपोर्ट में घाघरा नदी से कटे हुये क्षेत्रों की समस्याओं तथा पंचसाला बन्दोबस्त में की गई अनियमितताओं के बारे में प्रकाश डाला गया है तथा इस बन्दोबस्त में की गयी अनियमितताओं के लिये दोषी पाये गये तत्कालीन संबंधित सहायक अभिलेख अधिकारी के सम्बन्ध में वैभागिक कार्यवाही की जा रही है तथा संबंधित सदर कानूनगोयान के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने के आदेश जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दिये जा चुके हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंचसाला बन्दोबस्त में जो अनियमिततायें हुई हैं उनको दुरुस्त करने के लिये इनकी ओर से कोई आदेश जिलाधिकारियों के पास गये हैं ? यदि गये हैं, तो क्या है ? अब तक दुरुस्त न होने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो अनियमिततायें पायी गयीं, उसको दुरुस्त करने के आदेश जा चुके हैं और उस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कुछ देर हुई है, लेकिन आदेश गये हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मान्यवर, आप मदद करें क्योंकि यह मामला 6 साल से है। इस मन्थर गति से कैसे दुरुस्त होगा ?

श्री अध्यक्ष—

दो–दो मंत्री तो आपकी मदद कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य हमारे कार्यालय में आ जायें, हम उनके सामने हिदायत दे देंगे और कार्यवाही उन्हीं के सामने कर देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पंचसाला बन्दोबस्त अब भी है, या सरकार की तरफ से खत्म कर दिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शायद वह खत्म हो गया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने शायद लगा दिया। निश्चित बतायें कि खत्म हो गया है, कि नहीं। पिछले सत्र में प्रश्न किया था तो जवाब दिया गया था कि पंचसाला बन्दोबस्त खत्म कर दिया गया है, चूंकि बाराबंकी जिले में भी यह समस्या है इसलिये मैंने यह प्रश्न किया है।

श्री अध्यक्ष—

जवाब तो दिया है, शायद करके । उनको याद नहीं है । सब चीजें याद थोड़े ही रहती हैं। मंत्री या अध्यक्ष कोई एक कोष नहीं हैं कि जब चाहे पन्ना उल्टें और सूचना प्राप्त करलें । उसके लिये लिखित सूचना मांगने की आवश्यकता होती है ।

बहराइच में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी सहायता

*4—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहराइच जिले में दिनांक 18 जून, 75 से 24 जून, 75 के बीच घनघोर वर्षा के कारण घाघरा नदी में बाढ़ आ गयी है और उसका जल स्तर खतरे के बिन्दु को पार कर 18 से0 मी0 ऊपर आ गया है ? यदि हां तो सरकार ने उन ग्रामीणों की सुरक्षा व राहत तथा अहेतुक सहायतार्थ कौन–कौन से कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 18 जून, 1975 से 24 जून, 1975 के बीच बहराइच जिला में अधिक वर्षा हुई थी परन्तु उक्त अवधि में घाघरा नदी का पानी अपने मध्यम जलस्तर से नीचे रहा। केवल 24 जून, 1975 को उसका जलस्तर मध्यम जलस्तर 106.15 मी0 मी0 से बढ़कर 106.50 मी0 मी0 हो गया था ।

बाढ़ तथा वर्षा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिये 360 रु0 अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया तथा उक्त प्रकोप से प्रभावित 50 परिवारों को ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बसाया गया ।

चतुर्थ श्रेणी चकबन्दी कर्मचारी संघ की मांगों पर कृत कार्यवाही

*5—श्री बाबूलाल वर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ–चकबन्दी विभाग, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर चकबंदी कर्मचारियों की व्यापक छंटनी आदि के विरोध पर कर्मचारीगण दिनांक 14 मई, 75 से क्रमिक अनशन कर रहे हैं और तथा संघ के प्रान्तीय महामंत्री, श्री बल्देव राम ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में कोई मांग पत्र शासन को भेजा है ? यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य–मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार को उनकी मांग स्वीकार करने में बाधा क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1020—1022 पर।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जो विवरण मंत्री जी ने दिया है, उसमें दिया है कि 1 मई को 1308 चकबन्दी कर्मचारियों की छटनी की गयी और उनको वापस लेने के लिये जिलाधिकारी और सचिव, राजस्व परिषद् को आदेश दिये गये हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक कितने कर्मचारियों को पुनः काम पर लिया गया हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं था कि कितने कर्मचारियों को लिया गया। यदि उसका प्रश्न करते तो जवाब देते।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, एक सितम्बर को यहां से आदेश पारित हुये कि उनको पुनः काम पर लगाया जाय। तो एक सितम्बर से कितने लोगों को रोजगार में लगाया गया है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

संख्या तो मालूम होनी चाहिये थी ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जब सवाल के विवरण को पढ़ा तब पूछा है, प्रश्न नहीं किया गया था ।

श्री अध्यक्ष—

कर्मचारियों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार को उनकी मांगें स्वीकार करने में बाधा क्या है, यह सचिव को पत्र लिखा गया है ।

यह तो ब्योरे का हो गया ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ये लोग कई विभागों में ऐब्जार्ब किये गये हैं। अगर यह प्रश्न कर दिया गया होता तो उसकी भी पूरी सूचना मिल जाती ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उनके स्थायीकरण, पेंशन और ग्रेचुटी के सम्बन्ध में यह जो जवाब मिला है वह यह कि वित्त विभाग के विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कबसे विचाराधीन है और कबतक निर्णय हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विचाराधीन है। जब हो जायगा, तब हो जायगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

कोई तिथि बतलाये कब तक हो जायगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शीघ्र हो जायगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

शीघ्र की परिभाषा क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

शीघ्र का मतलब बतला दें ?

श्री अध्यक्ष—

शीघ्र का मतलब शीघ्र होता है। (हंसी)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

हमारे आपके लिए तो यह मतलब ठीक है लेकिन शासन की ओर से इसका दूसरा मतलब होता है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रमुख मांग नं0 3 है, जिसमें लेखपाल, चपरासी और ट्रेसर को स्थायी करने के सम्बन्ध है, तो इनको कब तक स्थायी कर देने की व्यवस्था कर देंगे जिससे कि इनको वह सुविधायें मिलने लगे तो स्थायीकरण के बाद मिलती हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

स्थायीकरण के पहले वित्त विभाग में जाना पड़ता है । अभी तो वही तय होना है कि यह स्थायी होंगे या नहीं ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

जिलाधीश को आदेश गये हैं कि इनको रोजगार दिया जाय । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि उनको प्राथमिकता दी जाय या खाली जनरल आर्डर्स गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह कहा गया है कि प्राथमिकता दी जाय ।

आजमगढ़ के ग्राम आजमनगढ़ की चकबन्दी में बरती गयी अनियमितताओं की जांच

*6—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त संचालक, चकबन्दी , उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ जिले की सगड़ी इकाई चकबन्दी के ग्राम अजमतगढ़ में हुयी चकबन्दी अनियमितताओं की जांच करने दिनांक 31–5–75 को गये थे ? यदि हां, तो कौन–कौन गलतियां मिलीं और सुधार संबंधी कौन सी कार्यवाही की गयी तथा चकबन्दी कर्मचारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । चक प्रदेश न सम्बन्धी कुछ त्रुटियां पायी गईं जिनके सुधार के लिये चकबन्दी अधिनियम में निर्धारित विधिक व्यवस्था के अनुसार क्षेत्रीय उप संचालक (चकबन्दी) आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । त्रुटि के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार वैभागिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ?

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री जी को जानकारी है कि आजमगढ़ जिले में लगभग सन् 68 से चकबन्दी का कार्य हो रहा है और अभी भी पूर्ण अवस्था में नहीं है जिसके कारण किसानों को खेती करने में दिक्कत हो रही है । इसका एकमात्र कारण है कि इनके पास अधिकारी नहीं हैं जो जल्दी फैसला कर सकें । क्या मंत्री जी और अधिकारी भेजकर आजमगढ़ में जो चकबन्दी का कार्य रुका हुआ है, उसको पूरा करवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, प्रयत्न किया जायगा ।

*7—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, खेतिहर मजदूर सभा, वाराणसी का सीलिंग संबंधी प्रार्थना-पत्र

*8—श्री ऊदल—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, खेतिहर मजदूर सभा वाराणसी ने एक स्मृति पत्र ता0 15-5-75 को जिलाधीश, वाराणसी के यहां प्रदर्शन करके जिले के 20 बड़े-बड़े भू0 पू0 जमींदारों का नाम व पता दिया था जिनकी जमीन सीलिंग ऐक्ट में आई हुई थी और उन्होंने प्रथम सीलिंग ऐक्ट के पारित होते ही सारी जमीन अपने परिवारों तथा रिश्तेदारों में बांट दी हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और क्या उनके खातों की जांच सन् 56, 59 फसली से करायी जायगी और उस स्मृति-पत्र की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सभी बड़े खातेदारों पर संशोधित सीलिंग अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । सभी खातेदारों की पत्रावलियां संशोधित अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत पुनरीक्षण हेतु संबंधित तहसीलों में भेज दी गई हैं और यह देखा जा रहा है कि खातेदारों द्वारा सन् 1367 फ0 अपनी भूमि का हस्तान्तरण तो अपने परिवारों, रिश्तेदारों एव बेनामी नहीं किया गया है । 1356 व 1359 फ0 से खातेदारों को भूमि की जांच का कोई प्राविधान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है । कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा खेत मजदूर सभा वाराणसी के पत्र दिनांक 15-5-75 की प्रतिलिपि संलग्न है

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1023-1025 पर ।)

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो रिपोर्ट आई है इसमें 10, 12 व्यक्तियों के नाम हैं, उसमें से कुछ सरप्लस जमीन सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत बताई गई है । कितनी जमीन इसमें निकली है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसका पुनरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद ही बताया जायगा ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

मंत्री जी ने बताया कि संशोधित अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नोटिसेज दी गई हैं । परन्तु अधिनियम, 60 के अन्तर्गत जो नोटिसेज दी गई थी क्या उसमें कुछ जमीन निकली है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इसमें जो पत्रक हैं, उसमें भूतपूर्व काशी नरेश के पास कितनी जमीन है, जो कि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत निकली है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसका पुनरीक्षण हो रहा है और उसके बाद ही बताया जा सकेगा ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

इस प्रश्न को स्थगित कर दें । जब से हम लोगों ने शासन दल की ओर से 20 सूत्री कार्यक्रम पर कार्यवाही शुरू की है, उसमें सबसे अधिक बल जमीन पर ही दिया गया

है । हमारे प्रदेश के जो बड़े-बड़े राजा महराजा हैं, उनके आंकड़ों का संलग्नक होना चाहिये, अधिकारी लोग निष्क्रय होकर बैठे हैं। 10 करोड़ की यह बात खटकने वाली है, आंकड़े देने में शासन को क्या दिक्कत है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो बड़े-बड़े और पुराने, इस प्रकार के लोग हैं उनके सीलिंग के केसेज चल रहे थे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के फैसले के बाद सिविल जज के यहां वह गया। उसके बाद 73 का एमेन्डमेंट आ गया। उसके बाद फिर उनको रिमान्ड गया। वह संशोधन हो रहा है। 73 के बाद की क्या स्थिति है, इसका उसके बाद में ही दिया जा सकता है। हम माननीय सदस्य को उसको खटकने नहीं देंगे और किसी के पास अवैध जमीन नहीं रहने दी जायेगी। यह राज्य सरकार की प्रतिज्ञा है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, भूतपूर्व काशी नरेश, उनकी तहसील चकिया ब्लाक नौगढ़, राजा का तालाब, ज्ञानपुर आदि सभी स्थानों की जांच करवाई जानी चाहिये और सभी का पूरा विवरण माननीय सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री जी इस काम को जल्दी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अवश्य ही मैं उसकी जांच करवाकर हाउस में प्रस्तुत कर दूंगा ।

विकास खंड कमालगंज, फर्रुखाबाद में पाला एवं हवा से क्षति

*9—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के 6 वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कमालगंज ब्लाक में वर्ष 1974 में पाला एवं हवा से रबी की फसल की किन-किन ग्रामों में 50 प्रतिशत किन-किन ग्रामों में 75 प्रतिशत की हानि हुयी थी तथा उन ग्रामों के किसानों को अभी तक क्या-क्या राहतें दी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1974 में पाला एवं हवा से कमालगंज ब्लाक में सभी 171 ग्रामों में रबी की विभिन्न फसलों को 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हानि हुई थी । फसलवार क्षति का विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम फसल	हानि क प्रतिशत
गेहूं	70
जौ	60
बेझर	75
चना	75
मटर	75
गेहूं चना	75
गुजई	70
आलू	75
तम्बाकू	75
लाही	50

पीड़ित कृषकों को राहत देने के लिये रबी की राजकीय देयों की वसूली स्थगित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त मालगुजारी में छूट देने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से संशोधित छूट खतौनी मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनवार जमील—

1975 में यह सवाल किया गया था और दो साल तक छूट खतौनी नहीं आई और न राहतदी गयी तो कब तक इसे करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिलाधिकारी ने मालगुजारी की छूट के लिये लिखा है। कुछ कमियां थी इसलिये खतौनी मांगी गयी है।

श्री अनवार जमील—

कब तक इसे करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब जिलाधिकारी से खतौनी की सूचना आ जायगी तब करा दिया जायगा।

*10—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

फर्रुखाबाद की गांव सभा राजेपुर सरायमेंदा के प्रधान के विरुद्ध अवैधानिक पट्टा किये जाने सम्बन्धी जांच

*11—श्री अनवार जमील—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद विकास खंड कमालगंज गांव सभा राजेपुर सराय गड्डा के विरुद्ध अवैधानिक पट्टों के लिये जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा की गयी जांच दिनांक 30-10-74 के आधार पर अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम सभा राजेपुर सरायमेंदा के प्रधान के विरुद्ध अवैधानिक पट्टों के किये जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा की गई जांच दिनांक 30 अक्तूबर, 1974 के आधार पर परगनाधिकारी, सदर द्वारा 2 नवम्बर, 1974 को इस ग्राम सभा का प्रस्ताव दिनांक 25 जून, 1973 निरस्त कर दिया गया था।

प्रधान द्वारा गांव सभा के अभिलेख प्रस्तुत न करने पर उनके विरुद्ध सर्च वांरट जारी किये गये थे और अब यह अभिलेख सहायक विकास अधिकारी, पंचायत के पास (यह समस्त कागजात) जमा हैं। प्रधान के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही जारी हैं।

गांव सभा के 59 3 रुपये की धनराशि को अनियमित रूप से रखने के आरोप में प्रधान के विरुद्ध धारा 409 भारतीय दंड विधान संहिता के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में बाद प्रस्तुत करने के लिये भी थानाध्यक्ष, कमालगंज को परगनाधिकारी सदर द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

श्री अनवार जमील—

जो नाजायज पट्टे किये गये हैं 25 जून, 73 की, वे किन-किन लोगों को दिये गये हैं और कितने किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उसकी विस्तृत रिपोर्ट नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जिस प्रधान ने अवैधानिक कार्य किया है, वह अब भी प्रधान बना हुआ है, या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उनके खिलाफ 409 के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

409 की कार्यवाही के बावजूद, वह अब भी प्रधान बने हुए हैं। नतीजा यह होगा कि जनता पर विशेष प्रभाव डाल कर एविडेंस को बरबाद करने की कोशिश करेंगे, इसलिये प्रधान के पद से उनको क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर कर दिया गया है, लेकिन उनको अब तक प्रधान के पद से नहीं हटाया गया है, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। सूचना मिलने पर सरकार ऐक्शन लेगी।

श्री अनवार जमील—

जो पट्टे किये गये थे, उनमें कौन-कौन अधिकारी इन्वाल्व थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह प्रश्न विषयान्तर है। सूचना मिलने पर ही पूरे डिटेल्स दिये जा सकेंगे।

श्री अनवार जमील—

मेरा प्रश्न यह है कि कितने पट्टे किये गये, किन-किन लोगों को किये गये और कौन-कौन आफिसर्स इन्वाल्व थे ? अगर माननीय मंत्री के पास सूचना नहीं है तो फिर इसे स्थगित कर दिया जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य के प्रश्न को देख लिया जाय, उसमें यह कहां है कि कौन-कौन अधिकारी थे, किन लोगों को कितने पट्टे किये गये।

तहसील चकिया-वाराणसी की जंगल जमीन पर अनधिकृत कब्जा

*12—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सोनवार, जनकपुर, विश्वेसरपुर, मझगवां-बोझ, चुप्पेपुर, भुलही जंगल, बांध चमेल, परसिया, परसहवां, बसौली तथा लालतापुर ब्लाक, नौगढ़ तहसील, चकिया जिला वाराणसी में जंगल की जमीन को अवैध तरीके से तथा प्लान्टेशन को उजाड़ कर हजारों एकड़ जमीन असरदार लोगों ने जोत लिया है और उक्त स्थानों का निरीक्षण दक्षिणी बृत्त के कंजरवेटर ने 17, 18 सितम्बर, 75 को किया है ? यदि हां, तो उक्त जंगल को बचाने के लिये कौन-कौन से कारगर कदम उठाये गये हैं ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी हां। जंगल को बचाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का इन्दराज कराया गया है अथवा कराया जा रहा है।

(2) स्थानीय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वहीं हुई है, को दूर भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) अतिक्रमण खाली कराने के लिये उप-अरण्यपाल, वाराणसी को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अधीन विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है।

श्री ऊदल—

इस जांच के बाद एक पत्र मैंने आपके सेक्रेटरी, श्री त्रिपाठी जी को लिखा था उसका जवाब आया कि 10 हजार एकड़ जमीन पर जहां पर कंजरवेटर फारेस्ट ने मेरे साथ जांच की थी, वहां पर लोगों ने नाजायज तरीके से भूमि वालों ने कब्जा कर लिया है उसमें रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों, लेखपाल, परगना हाकिम आदि ने फर्जी इन्दराज करा दिये हैं। तो क्या मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि इसके लिये उन्होंने क्या ऐक्शन लिया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

माननीय सदस्य, जिन गांवों का उल्लेख किया गया है, उसमें सिर्फ 890 हैक्टेयर जमीन थी, जिसमें से दो सौ हैक्टेयर पर वृक्षारोपण किया गया है, बाकी के सिलसिले में कार्यवाही हो रही है, सिर्फ 54 ऐसे केसेज हैं, जिनका इन्दराज नहीं हुआ है, उसके लिये भी कार्यवाही हो रही है।

श्री ऊदल—

मैं दो तीन गांवों का नाम बताता हूं, गांव परसिया, परसहवां और वसौली के कागज मैंने देखे। चकिया तहसील में जाकर खतौनी आदि को देखा तो वहां पर कानूनगो, तहसीलदार आदि से सभी ने मिल कर फर्जी इन्दराज करा दिये हैं। तो क्या वह इसकी जांच करायेंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जैसा मैंने अभी बताया कि कुल जितने गांव माननीय सदस्य ने बताये उसमें सिर्फ 54 ऐसे केसेज हैं, जिनमें इन्दराज अभी नहीं हुआ जिसके लिये कार्यवाही हो रही है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन गांवों की जमीन को जंगल विभाग द्वारा कब लिया गया और अब तक इन्दराज क्यों नहीं कराया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह जमीन उस वक्त ली गई जब कि बनारस स्टेट का मरजर हुआ था।

श्री ऊदल—

गांव सोनवार, मझगवां, बोझ, घुप्पेपुर, विश्वेसरपुर में सब प्लान्टेशन काट दी गई और लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया। आपके कंजरवेटर ने मेरे साथ देखा था। तो जिन लोगों ने जंगल भी काट लिए और प्लान्टेशन भी उखाड़ दी, उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जैसा कि बताया गया कि माननीय सदस्य भी हमारे अरण्यपाल के साथ जांच के लिये गये थे, और उस पर जसा अभी बताया कि क्या कार्यवाही की गई, सिर्फ 54 केसेज हैं, जिन पर कार्यवाही हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय प्रश्न यह है कि अवैध कब्जा कराया गया और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों से मिलकर नाजायज इन्दराज कराये गये तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने अवैध कब्जा कराया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? वह कौन अधिकारी थे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उसमें अधिकारियों की जो सूची है, वह बड़ी लम्बी चौड़ी है उसमें से कुछ के विरुद्ध कार्यवाही की गई। दो चार का तो ट्रांसफर कर दिया गया। उसमें से एक

फारेस्ट आफिसर था, जिनकी पांच वर्ष के लिये वेतन-वृद्धि रोक दी गई है। इसी तरीके से चरित्र-पंजिका में इन्ट्री कर दी गई। एक का स्थानान्तरण कर दिया गया। एक के खिलाफ इनक्वायरी अभी चल रही है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास जो सूची है, करीब 37 अधिकारी हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, उनका धीरे-धीरे वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। जिनकी इसमें गलती पायेंगे उनके खिलाफ ऐक्शन भी लेंगे।

श्री ऊदल—

फारेस्ट वाले जो गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो आप कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि रेवेन्यू विभाग के लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार तथा हाकिम परगना तक ने जो गलत इन्द्राज, फर्जी इन्द्राज और घपलेबाजी की है उनसे निपटने के लिये; उन फर्जी इन्द्राजों को खत्म करने के लिये, उनसे जमीन वापस लेने के लिये क्या आप कैबिनेट स्तर पर इस बार चर्चा करेंगे और उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने के लिये कोई कदम उठाएंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ऐसे अधिकारियों की सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं जरूर जांच कराऊंगा और इन्हें दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री ऊदल—

मैं सब आपको दे दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अभी मंत्री जी ने कहा कि कुछ ऐक्शन लिया गया है, लेकिन वास्तव में ऐक्शन नहीं लिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, तो क्या ट्रांसफर कर देना, ऐक्शन यानी पनिशमेंट है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जैसी जिसकी गलती थी, वैसा उसको दण्ड दिया गया है।

गोरखपुर में बाढ़ पीड़ित छात्रों को दिया गया शिक्षा शुल्क अनुदान

*13—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में बाढ़ पीड़ित छात्रों को सन् 72–73 एवं 73–74 में सरकार द्वारा दी गयी शिक्षा शुल्क किन-किन विद्यालयों में अभी तक छात्रों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो शुल्क न दिये जाने का क्या कारण है ? तथा क्या सरकार शुल्क न दिये जाने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जनपद को वर्ष 72–73 में बाढ़ पीड़ितों के छात्रों को कोई शिक्षण शुल्क शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। वर्ष 1973–74 में जनपद गोरखपुर के 111 विद्यालयों को शिक्षा शुल्क अनुदान स्वीकृत किया था। उक्त विद्यालयों में से निम्नांकित 3 विद्यालयों द्वारा चेक न उठाये जाने के कारण शिक्षण शुल्क की धनराशि छात्रों में वितरित नहीं की गयी है :—

1—महादेव प्रसाद इण्टर कालेज, मुण्डेरा बाजार,

2—पं0 जवाहरलाल नेहरू हा0 से0 स्कूल, हरखपुर,

3—ग्राम डावा जू0 हा0 स्कूल, मीरपुर।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित 5 विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की धनराशि छात्रों में वितरण हेतु दे दी गयी थी परन्तु इन विद्यालयों से वितरण की कोई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है :—

1—एम0 एम0 एम0, जू0 हा0 स्कूल, गाजीबाजार,

2—जनता, विद्यालय, नेरकटाहा बाजार,

3—किसान आदर्श हा0 से0 स्कूल, बेलपार सिसवा बाजार,

4—जनता जू0 हा0 स्कूल, हरपुर पकड़ी,

5—जे0 पी0 इन्टर कालेज, कैप्पियरगंज ।

दोषी विद्यालयों के विरूद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

मैंने जो सवाल किया कि किन स्कूलों में यह शिक्षण शुल्क वितरित किया गया है, तो जवाब यह आया कि इनको-इनको दिया है, मैं जानना यह चाहता हूं कि कितने और किन-किन विद्यालयों में छात्रों को अभी तक यह शिक्षण शुल्क नहीं वितरित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका ही तो जवाब दिया है ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

इसमें केवल यह है कि इन विद्यालयों को धनराशि दी गई है, तो मेरा सवाल है किन-किन विद्यालयों में बाढ़ पीड़ित छात्रों में यह वितरित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वह तो इसमें स्पष्ट है, तीन ने चेक नहीं उठाया और पांच विद्यालयों ने उपभोग सार्टीफिकेट नहीं दिए हैं, इसका मलतब है कि इन 8 को छोड़कर बाकी स्कूलों में बांटा जा चुका है ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

गोरखपुर की फरेंदा तहसील में करीब 4–5 विद्यालयों में छात्रों को शिक्षण शुल्क वितरित नहीं किया गया है, उसके आधार पर ही मैंने शिक्षा मंत्री जी से पूछा था,तो आप अब इसे इस तरह बता दें कि फरेंदा तहसील में धानीबाजार, लेहड़ा, कुलमौना के विद्यालयों में शिक्षण शुल्क कब वितरित किया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन विद्यालयों में बाढ़ पीड़ित छात्रों को जो सहायता दी गई, प्रश्न के बाद उसकी जांच के लिये कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो देखे कि सही ढंग से यह बंटा ह या नहीं ? यदि किसी अधिकारी की नियुक्ति हुई है, तो वह कौन अधिकारी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, ऐसा प्रश्न कभी भी कोई नहीं आया कि फलाने विद्यालय को कहा गया कि बांट दिया जाय और न बांटा गया हो । इनका प्रश्न यह था कि कितने विद्यालयों को बांटा गया । श्रीमन्, 111 विद्यालयों को दिया गया । 3 ने चेक नहीं लिया तथा 5 और अन्य व्यक्तियों ने नहीं लिय । बाकी 8 माइनस करके सब विद्यालयों को बांट दिया गया था । अब अगर सूचना देते हैं, तो जांच करवा लूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका विभाग इस बात को देखता है कि जो बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी जाती है, उनको मिलती है कि नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसको तो शिक्षा विभाग देखता है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, अब जो सूचना दी जा रही है कि शिक्षा विभाग इसको देखता है, क्या वह पैसा जो आपके विभाग से दिया गया, बंटा कि नहीं ? अगर नहीं बंटा, तो उनके खिलाफ माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, हमारे पास जो प्रधानाचार्य की सर्टिफिकेट आ जाती है और अगर कहीं पर न बांटा जा सका हो, तो मैं शिक्षा विभाग को लिखकर भेज दूंगा ।

चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति और देवरिया, बस्ती, गोरखपुर जिलों में चकबन्दी

*14—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में दो हजार से अधिक चकबन्दी कर्मचारियों की जिनकी सेवा की अवधि 15 वर्ष से लगायत 3 वर्ष तक की थी, को उन्हें सेवा करने से कुछ मास पूर्व बन्चित कर दिया गया ? यदि हां तो उक्त कर्मचारियों की सेवा अवधि को देखते हुये पुनः सेवा पर नियुक्त हेतु अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

1 मई, 1975 को तीन वर्ष से कम सेवा काल वाले केवल 1308 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया था जिन्हें राजस्व विभाग के अन्य कार्य में उपलब्ध रिक्तियों पर सर्वोच्च प्राथमिकता पर लपाये जाने के लिये समस्त जिलाधिकारी को आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं ।

*15—श्री हरिकेवल (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि चकबन्दी कर्मचारियों की छटनी के कारण प्रदेश में चकबन्दी कार्य ठप्प हो गया है और देवरिया, गोरखपुर, बस्ती आदि जनपदों में चकबन्दी के चक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं और चकों की पैमाइश बन्द हो गई ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं ।

ब्लाक औराई, वाराणसी के अन्तर्गत हरिजनों को आवास हेतु भूमि का आबंटन

*16—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर में ब्लाक–औराई के अन्तर्गत, ग्राम भवानीपुर–जेठूपुर व जरामपुर के हरिजनों को आवास हेतु भूमि का आवंटन किया गया ? यदि हां तो भूमि नम्बर एवं उन हरिजनों के नाम की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये दोषी कौन अधिकारी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भवानीपुर में 47 हरिजन परिवारों तथा ग्राम जेठूपुर में 19 परिवारों को आवास हेतु एक-एक बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटियों के नाम तथा भूमि नम्बर की सूची संलग्न है। ग्राम जैरामपुर में सभी हरिजन परिवारों के पास पर्याप्त आवासिक सुविधा है और उनमें से किसी को आवास स्थल आवंटित करने की आवश्यकता नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1026-1028 पर।)

ग्राम भावन, फर्रुखाबाद में अग्नि दुर्घटना

*17--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रूखाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 28-5-75 को ग्राम भावन, ब्लाक राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में आग लग गई थी जिसमें सम्पूर्ण गांव के मकान जल गये थे तथा कई जानवर जलकर मर गये थे? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त ग्राम वासियों को क्या सहायता दी गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिला फर्रूखाबाद के ब्लाक राजेपुर के ग्राम भावन में दिनांक 28-5-75 को अग्नि-दुर्घटना हुई थी जिसके फलस्वरूप उक्त ग्राम के 23 परिवार प्रभावित हुए। इस अग्नि-काण्ड में एक गाय, एक बछिया, एक बकरी तथा बकरी के दो बच्चे जल कर मर गए थे।

अग्निकाण्ड से पीड़ित जिन व्यक्तियों पर लेवी थी उन्हें राहत देने हेतु उसे माफ कर दी गयी थी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाता हूं कि अग्नि काण्ड में जो 23 परिवार पीड़ित हुए, उनमें तो लेवी के जो चंद व्यक्ति थे, उन्हीं को सहायता दी गयी परन्तु जो वास्तव में लेवी के मुस्तहक थे उनकी क्या सहायता शासन ने की और नहीं की तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ये कृषक परिवार के थे, इसलिये यह देखा गया कि उनके लिए कोई आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, तहसील में एक सूची आयी कि इनको-इनको जी0 आर0 वितरित की जाय, परन्तु उस सूची के अनुसार वितरित नहीं किया गया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है। लेकिन इसकी जांच करा ली जायगी।

श्रीगोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या नैचुरल कैलैमिटी फण्ड से क्या इनको सहायता दी जा सकती थी। क्या इस सहायता दिलाने में अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, जो फंड होता है, लोग जो वेल टु डू व्यक्ति होते हैं, वे तकावी नहीं लेना चाहते हैं, तो राज्य सरकार कोई जबरदस्ती तो देगी नहीं? जिनके जानवर मरे उन्होंने नहीं लिया।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, आग लगने के सम्बन्ध में तत्काल 15 दिन के अन्दर अहेतुक सहायता, फोरी सहायता देने के लिये आदेश दिया, जहां पर घर जल जाय 15 दिन के अन्दर 100 रु0 की सहायता दी जाती है, लेकिन जो साधनविहीन थे, जिनके पास एक बकरी ही थी, एक झोपड़ी ही थी, तो सरकारी आदेश के अनुसार जिलाधीश ने तत्कालिक सहायता क्यों नहीं दी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, जो वेलटू डू लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं सहायता, जैसे हमारी बकरी मर गयी, तो हम नहीं चाहते, तो एक बकरी के लिए 10 रु0, 15 रु0 क्यों कलेक्टर दे दे? जिनको सहायता की आवश्यकता थी, उनको सहयता दी गई और जिनको आवश्यकता नहीं थी, उनको नहीं दी गयी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिकतर ऐसे परिवार थे जिनको सहायता की आवश्यकता नहीं थी । मेरी जानकारी है कि अधिकतर व्यक्ति ऐसे थे जिनको सहायता की आवश्यकता थी। तहसील रिपोर्ट भेजी गयी लेकिन जिला प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की और उत्तर भी अधिकारियों ने तोड़-मोड़ कर दिया है । क्या माननीय मंत्री जी इस स्थिति की जांच करा कर और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिलाधिकारी के पास पहले से ही कोष होता है । तो उसे वहीं पर ही अपने कोष से दे देना चाहिये, शासन से उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जिला स्तर पर मान्यवर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री रवेन्द्र देव शुक्ल, लेखपाल, जिला शाहजहांपुर के निलम्बन काल का जीवन निर्वाह भत्ता।

*18—श्री मोहम्मद रफी खां (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निलम्बित लेखपाल श्री रवेन्द्र देव शुक्ल, तहसील पुवांया, जिला शाहजहांपुर को निलम्बनकाल में जीवन निर्वाह भत्ता 3/4 वेतन के स्थान पर 1/2 वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी, पुवायां व जिला अधिकारी, शाहजहांपुर को पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई जबकि उसकी ओर से कोई बिलम्ब नहीं हो रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, प्रश्नगत लेखपाल को वित्तीय नियम संग्रह, खंड दो, भाग दो से चार के संशोधित मूल नियम 53 के अनुसार निलम्बन की अवधि में वेतन के 1/2 भाग के बराबर जीवन निवहि भत्ता दिया गया । दिनांक 24-1-1976 को उनका निलम्बन समाप्त कर उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया है ।

*19—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

सहायक परियोजना, दरियाबाद शाखा के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

***20—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—**

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक परियोजना, दरियाबाद शाखा के अन्तर्गत कितने और कौन-कौन ऐसे किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है जिनके ऊपर अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत 1973 में नोटिस जारी हुई है ? क्या यह सही है कि उक्त किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा भी सामान्य किसानों को अधिगृहीत भूमि के हिसाब से ही देने हतु कागजात तैयार किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसा कोई किसान नहीं है ।

श्री बेनी प्राद वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बड़े 2 किसानों की भी जमीन अधिगृहीत की गयी जो सीलिंग के अन्तर्गत आते थे । उनको सामान्य किसानों की भांति मुआवजा दिया गया । मुझसे थोड़ी सी गलती हो गयी कि 1973 की नोटिस का जिक्र कर दिया इसीलिये माननीय मंत्री जी ने ऐसा कह दिया ? इसकी सूचना माननीय मंत्री जी के पास है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके पहले ही भूमि अध्याप्ति हो चुकी थी । उसकी कार्यवाही हो चुकी थी ।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय जब सीलिंग की नोटिस दे दी गयी और वह जमीन सीलिंग से निकली तो उनके मुआवजा देने का क्या तात्पर्य था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है और उसके बाद सीलिंग का नोटिस दिया गया ।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

क्या सरकार उस मुआवजे को वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चूंकि मुआवजा मार्केट रेट पर दिया जा चुका है, उसके वापस लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह मुआवजा बड़े-बड़े किसानों को दिया गया और उनको सीलिंग की जमीन से छूट मिल गयी । उनको मुआवजा भी अच्छा मिला है, कोई 2 हजार या 3 हजार बीघा के हिसाब से दिया गया है तो इससे सरकार की सीलिंग की जो मंशा है, वह पूरी नहीं होती है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब जमीन ली गयी थी उस समय सीलिंग नहीं थी और उन लोगों को मार्केट रेट पर पैसा दिया गया और बाद में सीलिंग आयी ।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

मान्यवर, कुछ किसानों के मामले अदालत में भी चल रहे हैं फिर उनको मुआवजा दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आप कहते हैं कि कुछ मामले हैं, आप लिख कर दे दें मैं उनको दिखवा लूंगा ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करा लेंगे कि काश्तकारों ने वहां पर नहर विभाग से भी कम्पेन्सेशन ले लिया है और जो जमीन सरप्लस डिक्लेयर हुई थी उसका भी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य यदि डिटेल में लिख कर दे देंगे, तो मैं अवश्य जांच करवा लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह जमीन कब एक्वायर की गई ? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय जमीन एक्वायर की गई उस समय अधिकारियों को मालूम था, या नहीं कि सीलिंग ऐक्ट आने वाला है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्रीमन्, वहां पर जनवरी, 1971 के बाद ही नोटिस दिए गये तो मैं जानना चाहता हूं कि जो जमीन बची, उसका मुआवजा दिया गया या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

24 जनवरी, 1971 के बाद जो ट्रान्सफर्स हुए हैं, हाईकोर्ट ने उनको भी इन्वेलिड करार दे दिया, वे मामले भी अब विचाराधीन हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इससे वहां पर बड़े बड़े काश्तकारों को फायदा हुआ है .....

श्री अध्यक्ष—

अगर किसानों का फायदा हुआ है, तो कोई बात नहीं है।

सहायक आबकारी आयुक्त (ई० आई० बी०) द्वारा शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में मारा गया छापा

*21—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या आबकारी, मंत्री को पता है कि जुलाई, 1975 के दूसरे सप्ताह में शाहजहांपुर जिले के टाउन एरिया मीरानपुर कटरा में आबकारी सहायक आयुक्त (इनफोर्समेन्ट) ने एक प्रमुख व्यक्ति के यहां तलाशी लेकर भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये तथा उनके साथ कई अन्य व्यक्तियों के चालान आबकारी ऐक्ट में किया ? क्या यह भी सही है कि वह प्रमुख व्यक्ति आबकारी के भूतपूर्व ठेकेदार रह चुके हैं तथा विभाग के बकायादार व ब्लैक लिस्टेड भी हैं ? क्या यह भी सच है कि इस अवैध शराब के व्यापार के विषय में जिले के समस्त विधायकों ने मार्च, 1975 में आबकारी मंत्री को लिखा था।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 8–7–75 को सहायक आबकारी आयुक्त, ई० आई० बी० ने मीरानपुर कटरा में सात स्थानों पर छापे मारे थे जिनमें पांच व्यक्तियों के मकानों से वैध या अवैध शराब बरामद हुई शराब बनाने का कोई उपकरण बरामद नहीं हुआ था।

चालान किये गये अभियुक्तों में एक व्यक्ति आबकारी का भूतपूर्व ठेकेदार था, किन्तु वह आबकारी विभाग का बकायादार अथवा ब्लैकलिस्टेड नहीं था, शहजहांपुर के समस्त विधायकों की तथाकथित शिकायत शासन में उवलब्ध नहीं है।

*22—श्री इन्द्र लाल—

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 40 पर स्थानान्तरित।]

शाहजहांपुर की कतिपय ग्राम सभाओं के अन्तर्गत हरिजनों को भूमि का आवंटन

*23—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्राम सभा मक न्दपुर (विकरमपुर) पलिहुरा सरसवां तथा गोंगेपुर के प्रधानों द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1976 तक हरिजन भूमिहीनों को कोई भूमि वितरित नहीं की गयी जिससे भूमिहीन हरिजनों में घोर रोष असन्तोष व्याप्त है और क्या यह भी सही है कि विकास क्षेत्र जैतीपुर तहसील तिलहर के ग्राम सभा मकरन्दपुर (विकरमपुर) के प्रधान के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति के बहुमत सदस्यों व हरिजनों ने गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत दिसम्बर, 1975 व जनवरी, 1976 में जिलाधिकारी, शाहजहापुर व परगनाधिकारी तिलहर से की ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्राम सभा मकरन्दपुर (विक्रमपुर) में दिनांक 18 जनवरी, 1976 को 10.94 एकड़ भूमि 15 हरिजनों को आबंटित की गई।

ग्राम सभा पलिहुरा में दिनांक 9 नवम्बर, 1975 को 11.92 एकड़ भूमि 19 हरिजनों को आवंटित की गई।

ग्राम सभा सरसवां में दिनांक 11 फरवरी, 1975 को 1.84 एकड़ भूमि 3 हरिजनों को आवंटित की गई।

ग्राम सभा गेगोपुर में दिनांक 22 अक्तूबर, 1975 को 15.92 एकड़ भूमि 10 हरिजनों को आबंटित की गई। यह आबंटन भूमि प्रबन्धक समितियों के द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर किए गए।

विकास क्षेत्र जैतीपुर, तहसील तिलहर के ग्राम सभा मकरन्दपुर (विक्रमपुर) के प्रधान श्री गया प्रसाद के विरुद्ध ग्राम वासियों द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र व एक तार दिया गया था। जांच के उपरान्त उक्त प्रधान के विरुद्ध परगनाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

परसराम पुरिया, आयुर्वेदिक भारतीय विद्यापीठ, जौनपुर के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलना

*24—श्री दया राम भास्कर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर अन्तर्गत चल रहे परसुराम पुरिया आयुर्वेदिक भारतीय विद्यापीठ, खेता सराय के हरिजन छात्रों को प्रदत्त छात्रवृत्ति एकाएक रोक दी गयी है जिससे प्रभावित होकर हरिजन छात्र शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18 दिसम्बर, 1975 को राज्यपाल महोदय को व निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, लखनऊ व जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, जौनपुर को आवेदन-पत्र रजिस्ट्री द्वारा भेजा, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या निर्णय लिया ?

हरिजन कल्याण मन्त्री (डाक्टर चरण सिंह)—

जी हां।

दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति उन्हीं संस्थाओं में देय है जो सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त कोर्स में ही छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। जनपद जौनपुर के अन्तर्गत चल रहे परसुराम पुरिया आयुर्वेदिक भारतीय विद्यापीठ, खेतासराय, उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है और न ही पाठ्य-क्रम मान्य है। अत: उक्त संस्था के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए 18 दिसम्बर, 1975 के प्राप्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री दयाराम भास्कर—

यह विद्यालय कई वर्षों से चल रहा है और वहां पर छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती रही है। यह बात समझकर वहां पर हरिजन छात्रों ने अपने-अपने नाम लिखवा दिए और पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उनकी पढ़ाई का नुक्सान हो रहा है, उनके जीवन को धक्का लगा है। तो क्या माननीय मन्त्री जी उन्हें छात्रवृत्ति दिलवाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर चरण सिंह—

वर्ष 1974 75 में इस विद्यालय को मान्यता प्राप्त थी और वह मान्यता बोर्ड आफ इण्डियन मेडिकल साइन्स ने दी थी लेकिन वष 1974 में कुछ संशोधन हो गया और अब डायरेक्टर आफ आयुर्वेदिक मान्यता देते हैं। प्रदेश में और भी विद्यालय हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। चूंकि इस विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए वहां पर छात्रों की छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई ह।

श्री दया राम भास्कर—

इसमें छात्रों का क्या दोष है। उन्होंने नाम लिखा कर दाखला लिया, परन्तु अब उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। उन्होंने प्राथना-पत्र भी दिए लकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार अपने 20-सूत्रीय कार्य-क्रम में हरिजनों का उत्थान करने, उनको आगे बढ़ाने का दावा करती है, तो आखिर वे कैसे आगे बढ़ेंगे ? क्या इस प्रकार से उनके जीवन को खराब नहीं किया जा रहा है ?

डाक्टर चरण सिंह—

मान्यवर, किसी को वंचित तो किया नहीं गया। 12 और संस्थायें चल रही हैं जिनमें वे शिक्षा प्राप्त कर सकते ह और उनको मान्यता प्राप्त है। इसलिए वे लड़के वहां दाखिला ले सकते हैं, लेकिन मान्यता कानून, के अन्तर्गत मिलती है।

तदर्थ रूप से नियुक्त उप आबकारी निरीक्षकों की सेवाओं की समाप्ति

*25—श्री रघुबीर सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या आबकारी मन्त्री को मालूम है कि वर्ष 1974 में उप आबकारी निरीक्षक के 18 पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा हुयी थी जिसके आधार पर सैकड़ों अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पिछले नवम्बर, के अन्तिम सप्ताह तथा दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बुलाए गए और उक्त परीक्षा का फल घोषित किए बिना उसी परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों को अभी हाल ही में उप आबकारी निरीक्षक के पदों पर नियुक्त कर दिया गया है और लोग अस्थायी रूप से काफी दिनों से कार्य कर रहे हैं उनकी सेवायें समाप्त किये जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

उप आबकारी निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा वर्ष 1974 में आयोजित हुई थी, न कि वर्ष 1975 में। साक्षात्कार वर्ष 1975 में आयोजित हुए। लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करने के बाद ही उप आबकारी निरीक्षक के पदों पर नियमित नियुक्तियां दी गईं तथा तदर्थ रूप से कार्यरत उन उप आबकारी निरीक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गईं जो उपरोक्त परीक्षा में सफल न हो सके।

श्री रघुवीर सिंह—

1974 में जो लिखित परीक्षा ली गई, जिसमें हजारों अभ्यर्थी बुलाए गए और उनसे शुल्क लिया गया, तो क्या उनका परीक्षाफल घोषित किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री रघुबीर सिंह—

जब उनसे परीक्षा शुल्क लिया गया, तो क्या उनको बताना नहीं चाहिए था कि वे पास हुए या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो सफल होते हैं, उनके पास एप्वाइटमेंट लेटर चला जाता है। और लोगों का क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रघुबीर सिंह—

इसमें बड़ी अनियमिततायें हुई हैं। क्या माननीय मन्त्री जी इसकी अच्छी तरह से जांच करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कई रेप्रेजेन्टेशन्स आए। पहले कुछ एडहाक सब-इन्स्पेक्टर एक्साइज रखे गए थे। जब रेगुलर चुनाव हुआ तो मालूम यह पड़ा कि एड-हाक लोग किसी तरह से उस रिजल्ट को विदहोल्ड करते रहे कि हम चुनाव में नहीं आयेंगे। जब रिजल्ट एग्जामिन हुआ तो एडहाक में से केवल एक आ पाया, बाकी लोग इम्तिहान में फेल हो गए। तो अब वे प्रश्न करवा रहे हैं। इम्तिहान में नहीं आए तो कहते हैं कि इतने दिन की सर्विस हो गयी है, इसिलिए रख लें। तो कैसे रख लिए जायं जब इम्तिहान में नहीं आए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति को लेकर कुछ लोग जो बैठे थे और जन-साधारण में भी शासन की बड़ी बदनामी हो रही है। जब 18 पदों की नियुक्ति के लिए सैकड़ों लड़के बैठे, तो जब कोई भी परीक्षा शासन के किसी विभाग द्वारा ली जाती है, तो तुरन्त ही शासन की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी यह हो जाती है कि उस परीक्षा में बैठे हुए तमाम परीक्षार्थियों के रिजल्ट को शाया करें या नोटिस बोर्ड पर लगाए और लोगों को जानकारी दें कि ये, ये लोग पास हैं और इतने लोग नियुक्त कर दिए गए। परीक्षाफल को दबा कर रखना और धीरे-धीरे उसी में से नियुक्त करना उचित नहीं है। जब वे परीक्षा में बैठे तो किस कानून के अन्तर्गत उस परीक्षा का फल शासन द्वारा शाया नहीं किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य की मैं इस बात से सहमत हूं कि इम्तिहान होने के बाद शीघ्र से शीघ्र रिजल्ट को एनाउन्स करना चाहिए। लेकिन इतने दिन तक चुनाव टाले रहे, वह मेरे कायकाल में नहीं था। तो यह बात गलत है कि धीरे-धीरे लेते चले गए। जितने लोग लिए गए वे सब एक साथ लिए गए। मार्क्सशीट के हिसाब से जो लोग आए हैं वे लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि जब जरूरत पड़ी तब लिया गया हो। डिले जरूर हुई है। एडहाक वाले यह कोशिश करते रहे कि रिजल्ट डिक्लेयर न हो क्योंकि उनको भय था कि वे फेल हो जायेंगे।

बहराइच में सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*26—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975 में बहराइच जनपद के कौन-कौन सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध अनैतिक कार्य करने की शिकायतें जनता अथवा किन्हीं व्यक्ति विशेष द्वारा बन्दोवस्त अधिकारी, चकबन्दी, बहराइच को प्राप्त हुयी हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में निम्नलिखित सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं जिन पर जांच करायी गई :—

(1) श्री एजाज अहमद खां, (2) श्री मो0 इकबाल आजमी, (3) श्री कालिका प्रसाद सिंह, (5) श्री मो0 फारूक तथा (5) श्री विजय प्रताप सिंह।

श्री एजाज अहमद खां के विरुद्ध जांच के परिणाम स्वरूप विभागीय कार्यवाही चल रही है। शेष में से किसी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए।

श्री कमला प्रसाद वर्मा ——

बहराइच जनपद के जिन 5 चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत थी, उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करवायी गयी तथा जांच के समय वे लोग वहीं अपनी सर्किल में रहे या उनका ट्रान्सफर कर दिया गया था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह——

इसके लिए सूचना चाहिए, वह मेरे पास नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा——

श्रीमन्, इसको स्थगित कर दें, वह बड़ा अहम सवाल है, इसमें काफी घपला है।

श्री अध्यक्ष——

इसको मैं स्थगित किए देता हूं।

हरिजन छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत धनराशि

*27——डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)——

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि चालू वित्तीय वर्ष में हरिजन छात्रवृत्तियों हेतु विगत वर्षों से लगभग 10 लाख रुपए कम दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार गत वर्ष से इस वर्ष ज्यादा धनराशि देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर चरण सिंह——

जी नहीं, पिछले वर्ष 1974-75 के मुकाबले इस वर्ष 1975-76 में हरिजन छात्रों के लिए 10 लाख रुपए कम नहीं दिया गया है। अतः ज्यादा धनराशि देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मंगल देव विशारद समिति के प्रतिवेदन के अनुसार गोण्डा जिले में अतिरिक्त घोषित जमीन का आवंटन

*28——श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)——

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंगलदेव विशारद कमेटी ने अधिकतम भूमि रखने से सम्बन्धित जो रिपोर्ट शासन को दी थी उसमें गोंडा जिले के कौन-कौन लोग हैं तथा उनकी जमीनें कितनी अतिरिक्त घोषित करके बांटी गयी हैं ? यदि जमीन का वितरण नहीं किया गया है, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह——

श्री मंगलदेव विशारद की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति के प्रतिवेदन (1972-74) में दर्शाए गए जिला गोंडा के मामलों की स्थिति निम्न प्रकार है:——

(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह, मनकापुर, की 1097.90 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुयी थी, जिसमें से 597.06 एकड़ भूमि पर राज्य सरकार की ओर से कब्जा लिया गया तथा 364.53 एकड़ भूमि का वितरण हो गया है और शेष भूमि सहायता एवं पुनर्वास विभाग के लिए आरक्षित की गयी है। 1097.90 एकड़ अतिरिक्त घोषित भूमि में से 393.86 एकड़ भूमि पर अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 14 (3) के अन्तर्गत आपत्तियों के निस्तारण के फलस्वरूप तथा 106.98 एकड़ भूमि पर चकबन्दी न्यायालयों द्वारा अन्य व्यक्तियों के अधिकार घोषित कर दिए गए।

(2) अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तगत महाराजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह, बलरामपुर का मामला तय नहीं हो पाया था और वह अधिकतम

जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 19 के अन्तर्गत अवेट हो गया। अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत इस मामले में पुनः नोटिस दी गयी जो, उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित है।

(3) राय साहब फार्म, रज्जनपुर के 7 खातेदारों को सीलिंग अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अन्तगत नोटिस दी गयी। इनमें से दो खातेदारों की कोई भूमि अतिरिक्त नहीं घोषित हुयी, तीन खातेदारों की 4.11 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुयी है, जिस पर कब्जा तथा आबंटन की कार्यवाही की जा रही है और दो खातेदारों के मामले उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित हैं।

(4) अधिनियम के संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत दीक्षित फार्म, भगवानपुर के 5 खातेदारों की कुल मिलाकर 71.46 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी है। अतिरिक्त घोषित भूमि पर राज्य सरकार की ओर से कब्जा लिया जा चुका है और आवंटन की कार्यवाही चल रही है।

(5) नउनिया फार्म, पृथीपालगंज, की एक खातेदार श्रीमती रमा देवी की 4.88 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है जो जिला बहराइच में स्थित है। संशोधन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत इस फार्म के 4 खातेदारों को पुनः नोटिस दी गयी। यह मामले नियत प्राधिकारी के न्यायालय म चल रहे हैं।

(6) अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत मनकापुर फार्म, मनकापुर, की 827.35 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुयी थी, जिसमें से 618.88 एकड़ भूमि पर चकबन्दी योजना के दौरान अन्य व्यक्तियों के अधिकार घोषित हो गए तथा 1.46 एकड़ भूमि के विषय में सीलिंग अधिनियम की धारा 14(3) के अन्तर्गत आपत्तिकर्त्ता का स्वत्व घोषित किया गया। केवल 297.01 एकड़ भूमि पर राज्य सरकार की ओर से कब्जा लिया गया था तथा इसका वितरण हो चुका है।

(7) अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत चीनी मिल, नवाबगंज, की 783.52 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुयी थी, जिसमें से 51.02 एकड़ भूमि का प्रबन्ध किया जा चुका है तथा शेष भूमि का प्रबन्ध एक केमिकल फैक्ट्री के पक्ष में करने के विषय में उद्योग निदेशक से बातचीत चल रही है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम इमिलिया में चकबन्दी

*29—श्री दया राम भास्कर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 8 अगस्त, 1975 को प्रश्नकर्ता अपनी सिफारिश के साथ जनपद आजमगढ़, परगना व तहसील सगड़ी ग्राम इमिलिया के थानू आदि हरिजनों के साथ सवर्णों द्वारा चकबन्दी में पैदा की गयी हकतलफियों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मन्त्री उत्तर प्रदेश शासन को आवेदन-पत्र दिया था? यदि हां, तो हरिजनों के कल्याणार्थ सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। पत्र में कथित समस्या का सम्बन्ध न्यायिक कार्यवाहियों से होने के कारण शासन द्वारा अलग से कोई प्रशासकीय कार्यवाही सम्भव न हो सकी।

श्री दया राम भास्कर—

मान्यवर, हरिजनों की आबादी से लगा हुआ जो चक था, वहां एक सवर्ण को चक दे कर झगड़ा पैदा करवा दिया गया है। अधिकारियों द्वारा हरिजनों की हकतलफी हुई है। हरिजनों की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया। एक ऐसे आदमी को लाकर बसा दिया गया जो वहां का निवासी है ही नहीं। केवल हरिजनों को परेशान करने के लिए यह किया गया है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें तो उन्होंने रिवीजन भी दायर किया जो खारिज हो गया। जब कोर्ट में मामला था, तो हम क्या कर सकते थे। कोई कार्यवाही करते तो कन्टेम्ट नहीं हो जाता।

श्री दयाराम भास्कर—

हरिजनों की हकतलफी को देखते हुए क्या सरकार उनके लिये कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अब कुछ नहीं हो सकता है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों का आवेदन-पत्र जो था, उनकी शिकायतें किससे थीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

फर्रुखाबाद के महात्मागांधी विद्यालय, राजेपुर को गांव सभा द्वारा आवंटित भूमि का अवैधरूप से हस्तान्तरण

*30—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1975 में अम्मरपुर ग्राम तहसील सदर, फर्रुखाबाद के निवासियों ने एक शिकायती-पत्र तहसील में इस आशय का दिया था कि इस ग्राम सभा द्वारा राजेपुर के एक विद्यालय को दी गयी भूमि का स्थानान्तरण अवैध रूप से विद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति ने कुछ व्यक्तियों के नाम कर दिया है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

1—ग्राम अम्मरपुर ग्राम, तहसील सदर के निवासियों ने शिकायती-पत्र सीधे अध्यक्ष, भूमि वितरण समिति लखनऊ को भेजा था जो जिलाधिकारी व परगनाधिकारी के आदेशों के साथ दिनांक 30 नवम्बर, 1975 को तहसील में प्राप्त हुआ।

2—महात्मा गांधी विद्यालय, राजेपुर की गांव सभा द्वारा आबंटित भूमि के अवैध रूप के हस्तांतरण की शिकायत के साथ-साथ यह भी कहा गया कि पतैल व रेत को अनुचित रूप से नीलाम कर दिया गया है।

3—जांच द्वारा यह पाया गया कि प्रश्नगत् 15 एकड़ भूमि को विद्यालय प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष व प्रबन्धक ने तीन विक्रय पत्रों द्वारा तीन व्यक्तियों को बेचा। क्रेताओं द्वारा प्रस्तुत नामांकन के प्रार्थना-पत्रों पर राजकीय अभिवक्ता (माल) के परामर्श से तथा परगनाधिकारी सदर के आदेश दिनांक 24 जून, 1975 के आधार पर क्रेताओं के नाम भूलेखों में दिनांक 19 जुलाई, 1975 को अंकित किया गया था।

4—विक्रेताओं या क्रेताओं के विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों के निवासियों का नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*31—श्री दघीच सिंह (जिला हरदोई)—

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा बझेड़ा के कलेक्शन नायब तहसीलदार व उनके स्टाफ के विरुद्ध ग्राम सभा मकरन्दपुर

[नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

उर्फ बिकरमपुर के भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों व हरिजनों तथा ग्राम सभा बझेड़ा भगवानपुर व ग्राम सभा कंकलिया धर्मपुर के प्रधान ने गम्भीर लिखित शिकायतें रजिस्टर्ड पोस्ट व खुद जाकर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से दिनांक 1 जनवरी, 1976 से 20 फरवरी, 1976 तक अनेक बार की? क्या यह सही है कि जांच उसी नायब नहसीलदार को दी गई जिसके विरुद्ध शिकायत थी? यदि हां, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

गांव सभा मकरन्दपुर उर्फ विक्रमपुर तथा गांव सभा बझेड़ा भगवानपुर के निवासियों व प्रधान ने नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिए थे जिनको परगनाधिकारी तिलहर ने स्वयं जांच की और आरोप निराधार पाए। गांव सभा कंकलिया धर्मपुर से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी, बल्कि भूमि आवंटन की मांग की गयी थी, यहां भूमि आवंटित हो चुकी है।

नवाबी रोड, हल्द्वानी पर वन राजि (फारेस्ट रेन्जर) द्वारा कथित मकान का निर्माण

*32— श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के नगर-पालिका के अन्तर्गत नवाबी रोड, हल्द्वानी पर वनराजि (फारेस्ट रेन्जरों) द्वारा कितने मकान अब तक निर्मित किए गए हैं? क्या शासन ने इनके निर्माण मूल्य के सम्बन्ध में कोई जांच कराई? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जिला नैनीताल तहसील हल्द्वानी की नगरपालिका के अन्तर्गत नवाबी रोड, हल्द्वानी पर किसी वन राजि (फारेस्टर रेन्जर) ने कोई मकान अब तक निर्मित नहीं किया है? अत: इसके निर्माण मूल्य के सम्बन्ध में कोई जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

फरेंदा तहसील, गोरखपुर में गांव समाओं की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

1—श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में गत दो वर्षों में गांव समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाए गए और ऐसे व्यक्तियों की अलग-अलग उनकी निजी क्या जोत है और उन पर कितने जुर्माने किए गए हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गांव पडरौना तथा मुन्डरही, देवरिया की कतिपय आराजी पर श्री शैलकुमार सिंह का नाम फर्जी तौर पर अंकित होना

2—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पडरौना तथा मुन्डरही तहसील पडरौना, जिला देवरिया की आराजी नं0 6, 8 9, 11, 98, 100 पर फर्जी तरीके से शैल कुमार सिंह के नाम 229 बी0 करके कराया गया है? क्या इस सम्बन्ध में 23 सितम्बर, 1975 का एक पत्र भी माल मन्त्री को मिला था? यदि हां, तो उस पर क्या कायवाही की गई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या किया गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य का पत्र संलग्नक के साथ प्राप्त हुआ। उस संलग्नक को जिलाधिकारी के पास दिनांक 11 नवम्बर, 1975 को आवश्यक जांच के लिए भेज दिया गया था। जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि सम्बन्धित नम्बरान मे से नम्बरान 6, 8, 9, 11 व 100 पहले से श्री शैल कुमार सिंह के नाम खतौनी में अंकित थे। उनके सम्बन्ध में 12 फर्जी अमलदरामद के परवानों के आधार पर श्री शैल कुमार सिंह का नाम खारिज करके 12 विभिन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिए गए थे। इन फर्जी इन्दराज को जांच के बाद खारिज कर दिया गया। जांच में कुछ और फर्जी इन्दराज के मामले सामने आये जिनके बारे में आवश्यक कार्यवाही हो रही है जिलाधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि यह मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि ठीक प्रकार जांच हो सके कि किन लोगों ने फर्जी परवाना अमल दरामद जारी किए ताकि उनके विरुद्ध भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सके।

यू० पी० शुगर मिल, दोमाठ के फार्म बभनौली तथा बैकुण्ठपुर की जमीन का पट्टा

3—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया यू० पी० शुगर मिल, दोमाठ के फार्म बभनौली तथा बैकुंठपुर की जमीन का पट्टा 90 फीसदी बड़े लोगों को दिया गया है जिनके पास स्वयं में काफी जमीनें थीं? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या पट्टेदारों की एक लिस्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बहराइच के कतिपय विकास खंडों के अन्तर्गत अग्नि-काण्ड से पीड़ितों को दी गई सहायता

4—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि विकास खन्ड हरिहरपुर रानी, सिरसिया, इकौना एवं गिलौला, जिला बहराइच में माह अप्रल एवं मई, 1975 में किन-किन गांवों में कितने-कितने घर जल गए हैं और किस-किस प्रकार की सहायता कब-कब दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बहराइच जिला के विकास खण्ड हरिहरपुर रानी, सिरसिया, इकौना एवं गिलौला में माह अप्रैल एवं मई, 1975 में अग्नि-कान्डों से प्रभावित गांवों तथा मकानों और अग्नि-पीड़ितों को दी गई सहायता का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1029—1031 पर)

बहराइच जिले के कतिपय विकास खंडों में सूखे के फलस्वरूप चलाया गया टेस्टवर्क

5—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 दिनांक 14 मार्च, 1975 दिन शुक्रवार के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइ जिले के विकास खण्ड, सिरसिया एवं हरिहरपुर रानी तथा इकौना में सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को काम देने के लिए टेस्टवर्क के आबंटित धन से कहां-कहां, कौन-कौन सा कार्य किया गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बहराइच जिले के विकास खण्ड सिरसिया, हरिहरपुर रानी तथा इकौना में से केवल हरिहरपुर रानी विकास खण्ड के ग्राम गोठवा तथा पूरे अधारी में सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को काम देने के लिए टेस्ट वर्क चलाए गए थे जिनमें तालाबों की खुदाई का कार्य किया गया था।

विकास खन्ड इकौना मे सूखे की स्थिति ऐसी नहीं थी जिससे वहां टेस्ट वर्क चलाने की आवश्यकता होती । विकास खन्ड सिरसिया में मजदूरों के न मिलने तथा टेस्ट वर्क द्वारा तालाबों की खुदाई के काय के लिए रजामन्द न होने के कारण टेस्ट वर्क नहीं चलाए जा सके ।

स्वर्गीय भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के देहावसान के सम्बन्ध में फरेंदा तहसील, गोरखपुर के कार्यालय में छुट्टी न होना

6—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

क्या माल मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्व0 भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन के देहावसान के शोक में दिनांक 17 अप्रैल, 1975 को सरकारी कार्यालयों में छुट्टी कर देने के आदेश हो जाने के बावजूद गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील कार्यालय में छुट्टी घोषित नहीं की गई और जो कर्मचारी काम पर नहीं आए उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की गई ? स्थानीय मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ फरेंदा, गोरखपुर ने क्या इस आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में तहसील अधिकारी के खिलाफ शासन को कोई शिकायती दरख्वास्त भी दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तहसील फरेंदा, गोरखपुर के कार्यालय में दिनांक 17 अप्रैल, 1975 को सूचना उस दिन न पहुंचने के कारण छुट्टी घोषित न हो सकी। उससे पूर्व बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित तीन कर्मचारियों के विरुद्ध तहसीलदार ने रिपोर्ट की थी। उनमें से एक कर्मचारी का जो दिनांक 17 अप्रैल, 1975 के बाद दिनांक 7 मई, 1975 तक ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए उपस्थित नहीं हुए, दिनांक 30 अप्रैल, 1974 तक का वेतन रोक दिया गया। अन्तरिम अवधि का कोई प्रार्थना-पत्र कहे जाने पर भी उन्होंने नहीं दिया। वेतन रोकने के सम्बन्ध में कर्मचारी ने धारा 80 सी0 पी0 सी0 [illegible] नोटिस दिया है। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

स्थानीय मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ के कथित शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

गांव गोडरियां, देवरिया के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

7—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गोडरियां पड़रौना, तहसील पड़रौना, जिला देवरिया की आराजी नं0 123 के लिए हरिजनों ने एक प्रार्थना-पत्र माल मन्त्री को दिनांक 23 सितम्बर, 1975 को दिया है और प्रश्नकर्ता ने भी एक पत्र उसी दिन लिखा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं हरिजनों को भूमि का आवंटन

8—श्री दयाराम भास्कर—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में 20 सूत्री कार्यक्रम में कुल कितने निरा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि आवंटित की गई और कितने

अल्प-भूमि वाले खेतिहर मजदूरों को आवंटित की गई उसमें से अलग-अलग हरिजन और अन्य जाति की संख्या क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आजमगढ़ जनपद में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 46,305 निरा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को तथा कुल 37,109 अल्प भूमि वाले खेतिहर मजदूरों को भूमि आवंटित की गई।

निरा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में 32,492 हरिजन तथा 13,813 अन्य जाति के हैं तथा अल्प भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में 20,561 हरिजन तथा 16,548 अन्य जाति के व्यक्ति हैं, जिन्हें भूमि आवंटित की गई।

आजमगढ़ के हरिजन लेखपालों की संख्या

9—श्री दयाराम भास्कर—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में इस समय कुल कितने रेगुलर लेखपाल कार्यरत हैं उसमें से कितने अनट्रेन्ड हैं कितने ट्रेन्ड लेखपाल बैठे हैं, उक्त लेखपाल पद पर कितने हरिजन हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आजमगढ़ जनपद में इस समय कुल 746 रेगुलर लेखपाल कार्यरत हैं जिनमें से अनट्रेन्ड कार्यरत लेखपाल 26 हैं और ये अवकाश एवं निलंबन के कारण हुयी रिक्तियों में कार्यरत हैं। 17 ट्रेन्ड अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति नहीं मिल पायी है। ये लेखपाल स्कूल से सत्र 1974-75 में उत्तीर्ण हुए। 48 अभ्यर्थियों में से हैं जिनके परीक्षाफल दिनांक 21 जनवरी, 1976 को प्राप्त हुए हैं तथा उनकी नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार यथा समय की जायगी। हरिजन लेखपालों की संख्या 70 है जिनमें से 13 अनट्रेन्ड हैं।

बहराइच जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से फसलों को क्षति व पीड़ितों को दी गई सहायता

10—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जून, 1975 से सितम्बर, 1975 तक बाढ़ और घोर वर्षा से फैजाबाद मन्डल में सबसे अधिक हानि बहराइच जिले में हुयी है? यदि हां, तो कितने करोड़ रुपए की फसल की हानि हुयी तथा अब तक सरकार ने कौन-कौन सी व कितनी-कितनी सहायता (तहसीलवार) की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, उक्त अवधि में बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण जनपद बहराइच में भारी क्षति हुई। फसलों की क्षति का मूल्यांकन का अनुमान लगभग 4,71,23,500.00 रुपए रहा। बाढ़ पीड़ितों को दी गयी सहायता का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम तहसील	अहेतुक सहायता (रुपए में)	गेहूं जो मुफ्त वितरण किया गया (कुन्तल में)	आपदा तकावी (रुपए में)
1	2	3	4
बहराइच	5,500	700	56,500
नानपारा	45,000	700	1,37,000
कैसरगंज	44,500	00	31,500
योग	1,35,000	2,000	2, 5,000

लखनऊ एवं रायबरेली में पकड़े गये अवैध शराब के अड्डे

11—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मास 1 जनवरी, 1975 से 25 सितम्बर, 1975 तक लखनऊ व राय बरेली में अवैध शराब के कितने अड्डे पकड़े गए? और सरकार ने अवैध शराब के अड्डे बन्द करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस अवधि में लखनऊ में 684 एवं रायबरेली में 218 अवैध शराब के अड्डे पकड़े गए। अवैध शराब के अड्डे बन्द करने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाए गए एवं निगरानी कड़ी की गई।

बहराइच जिले का डाक्टरविहीन पशु-अस्पताल

12—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में कितने ऐसे पशु-अस्पताल हैं जहां कि डाक्टर अथवा कम्पाउन्डर में से एक ही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

बहराइच जिले में एक अस्पताल ऐसा है जहां पशु चिकित्सक नहीं है और केवल कम्पाउन्डर है। पर इस अस्पताल का कार्य एक निकटवर्ती अस्पताल के पशु-चिकित्सक देख रहे हैं। पशु चिकित्सक का पद दिनांक 16 अगस्त, 1975 से रिक्त है क्योंकि तत्कालीन पशुचिकित्सक का स्थानान्तरण कर दिया गया था।

प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी की तथाकथित घोषणा

13—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि (23 अक्तूबर, 1975) सरकार ने प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा की है? यदि हां, तो पूर्ण नशाबन्दी कब से लागू होगी और इससे होने वाली आय से कितनी धनराशि की हानि होगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नारीबारी, इलाहाबाद में हरिजनों व आदिवासियों के लिये आश्रम टाइप स्कूल की स्थापना

14—श्री ऊदल—

क्या हरिजन सहायक मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान नारी बारी, जिला इलाहाबाद में हरिजनों-आदिवासियों के लिए एक आश्रम टाइप स्कूल इस वर्ष खोला गया है? यदि हां, तो उसमें कितने छात्र रोजाना जाते हैं? कितने छात्र रात्रि में रहते हैं और क्या उन्हें खाना, कपड़ा तथा रहने की पूरी व्यवस्था की गयी है?

डाक्टर चरण सिंह—

जी नहीं।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

ग्राम शेखपुर, फर्रुखाबाद में हरिजन कालोनी के निर्माण की मांग

15--श्री अनवार जमील--

क्या हरिजन सहायक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के कमालगंज विधान सभा क्षेत्र के शेखपुर ग्राम के हरिजन कालोनी निर्माण हेतु कोई योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

डाक्टर चरण सिंह--

जनपद फर्रुखाबाद के कमालगंज विधान सभा क्षेत्र के शेखपुर ग्राम के हरिजन कालोनी निर्माण हेतु कोई योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है इसलिए कार्य पूर्ण होने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में निर्मित हरिजन बस्तियों की सूची

16--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या हरिजन सहायक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कहां-कहां हरिजन बस्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा कितनी निर्माणाधीन हैं ? सरकार ने कितने रुपए व्यय किए हैं तथा कितने परिवार के लोगों को उसमें बसाया है ?

डाक्टर चरण सिंह--

देवरिया जिले में 37 हरिजन बस्तियों का निर्माण हुआ है जिस पर कुल 5,15,298.00 रुपया व्यय हुआ है। उनमें कुल 481 परिवार रहते हैं। सभी बस्तियां पूर्ण हैं। बनाई गई हरिजन बस्तियों की सूची तालिका 'अ' पर है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1032 पर।)

ब्लाक चाका, इलाहाबाद में भूमिहीनों को कृषि भूमि एवं आवास स्थल का आवंटन

17--श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जुलाई, 1975 से 31 जनवरी, 1976 की अवधि के मध्य जनपद इलाहाबाद, तहसील करछना ब्लाक चाका के किस-किस गांव के किन-किन भूमिहीनों को कितनी-कितनी भूमि कृषि हेतु दे कर उन पर वास्तविक कब्जा भी उनका करा दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

1--प्रश्नगत ब्लाक चाका में 1 जुलाई, 1975 से 31 जनवरी, 1976 तक कुल 74 गांवों में 674 भूमिहीनों को कृषि हेतु 296.76 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

2--इसमें से 585 अनूसूचित जाति, जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 256.05 एकड़ भूमि तथा 89 अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 40.71 एकड़ भूमि कृषि हेतु आवंटित की गई है ? विवरण सहित गांववार सूची † माननीय अध्यक्ष के कक्ष में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य कृपया देख लें।

3---उपरोक्त में से अनुसूचित जाति के 525 आवंटियों को 231.40 एकड़ भूमि पर तथा 74 अन्य आवंटियों को 34.70 एकड़ भूमि पर वास्तविक कब्जा दिला दिया गया है।

4--केवल 7 ग्रामों में कुल 75 आवंटियों को 30.66 एकड़ आवंटित भूमि पर फसल खड़ी होने के कारण अभी वास्तविक कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। फसल कटते ही उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा दिला दिया जाएगा।

---

†(छापी नहीं गयी।)

18--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 1 जुलाई, 1975 से 31 जनवरी, 1976 की अवधि में मध्य जनपद इलाहाबाद, तहसील करछना ब्लाक चाका के किस-किस गांव के किन-किन भूमिहीनों को कितनी-कितनी भूमि मकान के लिए देकर उनका वास्तविक कब्जा भी भूमि पर करा दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत अवधि में 3 ग्रामों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 47 परिवारों को आवास हेतु 1.62 एकड़ भूमि आवंटित की गई तथा आवंटित भूमि पर सभी आवंटियों को वास्तविक कब्जा भी दे दिया गया है। आवंटियों की गांववार सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1033-1035 पर।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 मार्च, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 मार्च, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 1976 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1976 को उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय, शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का सप्तम प्रतिवेदन†

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का सप्तम प्रतिवेदन (विधायकों की कार्य क्षमता एवं सूचनायें) प्रस्तुत कर रहा हूं।

विधायक एक कल्याणकारी अधिकारी (वेलफेयर आफिसर) के रूप में जनता का प्रतिनिधि है। उसका कार्य क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरा प्रदेश है। वह प्रभावी विधायक कैसे बन सके, इसके अध्ययन के लिए संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति (1974-75) ने "विधायकों की कार्य क्षमता एवं सूचना" नामक विषय का चयन किया।

समिति ने दिनांक 12 व 13 दिसम्बर, 1974, 29 जनवरी, 1975, 3, 4, 5, 6 तथा 7 फरवरी, 1975 की बैठकों में इस विषय पर विचार विमर्श किया तथा उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया।

समिति ने दिनांक 23 व 24 मई, 1975 तथा 24 नवम्बर, 1975 और 18 फरवरी, 1976 की बैठकों में इस, प्रतिवेदन के आलेख्य पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया।

मैं आ शा करता हूं कि इस प्रतिवेदन में व्यक्त किए गए विचार लाभाकारी सिद्ध होंगे।

---

†छापा नहीं गया।

समिति श्री सत्यप्रिय सिंह, सचिव, विधान सभा एवं सम्बन्धित अनुसचिव, समिति अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है, जिन्होंने इस अध्ययन के विषय में और इस प्रतिवेदन को तैयार करने में अपना सराहनीय योगदान दिया।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975-76) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश छठी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975-76) का पंचम प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग से सम्बन्तित है, प्रस्तुत करता हूं।

यह प्रतिवेदन दिनांक 29 सितम्बर, 1975 को समिति द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था परन्तु विधान सभा का अधिवेशन न होने के कारण इसे अब तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों की तुलना में, पर्यटन उद्योग का विकास बहुत ही पिछड़ा हुआ है। चौथी योजना में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। समिति को इसका अनुभव हुआ कि विकास कार्यों को मितव्ययिता के आधार पर स्थगित रखना, निश्चित धनराशि को समय से व्यय न किया जाना तथा पर्यटन उद्योग के प्रति शासन की उदासीनता ही इस पिछड़ेपन के कारण है।

इस प्रतिवेदन में समिति ने प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और संस्तुतियां की हैं। मुझे आशा है कि इनके कार्यान्वयन से पर्यटन एक बड़े उद्योग का रूप धारण करने और पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जन करने में सक्षम होगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि विधान सभा के माननीय सदस्य कुंवर श्रीपाल सिंह जनसंघ दल छोड़कर अब वे निर्दल हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976‡

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक चीज आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ऐसा देखने में आया है कि दोनों पक्ष इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह जो विधेयक है इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1976 तक प्रस्तुत कर दे। श्रीमन्, नामों की जो सूची होगी उसको मैं बाद में भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 को सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1976 तक प्रस्तुत करे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न उपस्थित करने के उपरान्त)

---

†छापा नहीं गया है।

‡30 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कुछ कारण तो बताए ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

अब तो आप पिछड़ गए।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं समझता था कि प्रस्ताव रखेंगे और मैं समझता था कि कुछ भाषण करेंगे, कुछ कहेंगे, इसके बारे में कि क्या कारण था? मान्यवर, मन्त्री जी से कहलाइए कि कौन से कारण थे जो मान लिया?

श्री अध्यक्ष—

मैं अब खड़े हो कर पढ़ रहा हूं, प्रश्न यह है कि, त्रिवेणी सहाय जी आप कुछ चूक गए। (हंसी)।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आप इसके बारे में कहलाइए, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

अब तो मैंने प्रस्ताव मत प्राप्त करने के लिए रख दिया अब प्रश्न नहीं उठता। (श्री त्रिवेणी सहाय के पुन: खड़े होने पर) फिर आप क्यों खड़े हो गए?

(श्री त्रिवेणी सहाय बैठ गए।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 को सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1976 तक प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976†

सहकारिता मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन को सूचना देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो केन्द्रीय और प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, केन्द्रीय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, तो उनकी जो प्रबन्ध समिति है उसमें हम निर्बल वर्ग के लोगों को भी रखें। निर्बल वर्ग जैसे, कृषक मजदूर, लघु किसान, सीमांत किसान, हरिजन अनुसूचित जाति के लोग इसमें आयेंगे। तो उनको भी प्रबन्ध-समिति में रख रहे हैं। जो केन्द्रीय समितियां और प्राइमरी सोसाइटीज हैं उनमें इनका 1/3 रिप्रेजेन्टेशन देंगे। अभी तक यह रिप्रेजेन्टेशन नहीं था यदि यह किसी तरह चुनाव में नहीं आ सके तो रजिस्ट्रार को अधिकार दिया है कि वह इतने लोगों को नामिनेट कर दे। इस तरह से जो हमारी प्राइमरी सोसाइटीज और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक हैं उसमें 1/3 निर्बल वर्ग के लोग आ जायेंगे। यह हमने निश्चय किया है कि एपेक्स बाडीज जो हैं, प्रोविंशियल बाडीज जो हैं तो उनकी जो बाडी आफ मैनेजमेंट है उसमें कम से कम 2 प्रतिनिधि निर्बल वर्ग के होंगे। हमने यह भी निश्चय किया है कि कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव, उपभोक्ता भन्डार जो हैं, उनकी प्रबन्ध समिति में 1/3 स्त्रियों को कर देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि स्त्रियां उनमें सुचारु रूप से सहयोग देंगी। अगर किसी तरह चुनाव में न आ पायेंगी तो हमारा रजिस्ट्रार नामिनेट कर देगा। प्रधान मन्त्री

---

†27 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

के 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार जो जमीनें बांटी गयी हैं। छोटे भूमिहीनों को उनको जो हमारे बैंक हैं वह लगभग 15 करोड़ रुपया देंगे और जो शेयर मनी लाने की आवश्यकता होगी उसके लिए 2 करोड़ रुपए हम उनको दें देंगे। तो यह सूचना मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन को देना चाहता था।

लेकिन तालियां आपने इसमें बजवायी नहीं ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

आप कहें तो बजवा दें। (हंसी)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अगर पसन्द आया हो तो कहना चाहिए। काम करते हैं तो उसकी भी सराहना नहीं होती तो उससे .....(हंसी)।

एक सदस्य—

अपनी तरफ से तालियां बजवाइए।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, सहकारी आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक था कि जो धनराशि है उसको जल्दी के जल्दी वसूला जाय इसलिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने यह सिफारिश की है कि जो हमारी प्रारम्भिक सोसाइटीज हैं, उनके जो सदस्य हैं इनमें से 70 फीसदी ऐसे लोग हों जिनसे रुपया वसूल न किया हो या 70 फीसदी व्यक्ति नादेहन्दा हो तो सोसाइटीज आटोमेटिकली डिजाल्व समझी जाएंगी। जो बैंक देने वाले हों यदि उनसे 60 फीसदी पैसा वसूल न किया गया हो या 40 फीसदी से ज्यादा वसूल न कर सके या 60 फीसदी व्यक्ति नादेहन्दा हो तो जो 2 वर्ष से बैंक है वह आटोमेटिकली डिजाल्व कर दिए जायंगे। यह भी तय किया कि यदि कोई प्रबन्ध समिति चाहे वह एपेक्स बाडी की हो या प्राइमरी बाडी की हो यदि समय के अनुसार चुनाव नहीं करा लेते हैं तो रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि उनकी जगह ऐडमिनिस्ट्रेटर बना दिए जायं। यह भी अधिकार दिया है कि जो कुछ ऐपेक्स बाडी हैं उनके सचिव जो ज्यादा प्रभावशाशी बनाने के लिए पोस्ट मैनेजिंग डाइरेक्टर को कर दिया है। सरकार ने यह भी अधिकार ले लिया है कि कर्मचारियों की जो सेवायें हैं उनको सेन्ट्रल केडर बना दिया जाय जिससे उनकी देख-रेख हो सके और राजनीति में न पड़ सकें जैसे प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज के सचिव, बैंक के सचिव, ब्रांच मैनेजर और फील्ड आफिसर इत्यादि होंगे। इस प्रकार तीन काम लिए हैं। जो बैंक ठीक तरह से काम नहीं करते चाहे वह रुपया वसूल करने के बारे में हों, चुनाव न करने पर कमेटी भंग कर देंगे और मैनेजिंग डाइरेक्टर बना देंगे तथा कर्मचारियों का एक कैडर बना देंगे। यह चीजें विधेयक में लाये हैं। मेरा ख्याल है कि आदरणीय सदस्य इसको पसन्द करेंगे।

*श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन सदन में 15 दिन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं मन्त्री जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस बिल को सदन में रखा है और जो कोआपरेटिव में बहुत बड़ा घपला है उसको दूर करने में इसमें प्रयास किया है लेकिन कोआपरेटिव में इतनी गड़बड़ियां होती हैं कि वह दूर नहीं होती हैं। अभी मन्त्री जी ने बहुत से बोर्ड स और बैंक्स को सुपरसीड किया है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप देखें कि वह जो बिल है पूरी तरह से उसको कवर नहीं करता है और इसमें बहुत सी ऐसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रेवती रमण सिंह]

बातें रह जाती हैं जिनमें सुधार करना बड़ा जरूरी है। करोड़ों रुपया जो कि खातेदारों से लिया जा रहा है और 48-49 से जमा है और अब 1976 आ गया है, पांच लाख रुपया जो बकाया है और बैंक में जमा है तो खातेदारों के लिए यह बताना बड़ा मुश्किल होगा कि हमारा कितना धन कटा है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह साफ कर दें कि जिन खातेदारों का धन कटा है वह कैसे बतला पायेंगे कि कितना धन काटा गया। जो उद्देश्य दिए गए हैं उनमें चौथा उद्देश्य यह है कि "यह भी विनिश्चय किया गया कि राज्य सरकार को सहकारी समितियों के कतिपय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवायें केन्द्रीयित करने के लिए शक्ति प्रदान की जाय जिससे कि उनकी कार्य दक्षता बढ़ायी जा सके।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हर जगह विकेन्द्रीयकरण हो रहा है तो मन्त्री जी यहां केन्द्रीयकरण क्यों करना चाहते हैं? जब सहकारी समिति का काम ही यह है कि विकेन्द्रीयकरण हो और गांव-गांव में उसका फैलाव हो तो फिर इसका केन्द्रीयकरण क्यों चाहते हैं? सातवें में यह है कि राज्य सरकार ने यू0 पी0 शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल रूल्स, 1938 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके ग्राम विकास (गन्ना) विभाग की दिनांक 24 नवम्बर, 1948 की अधिसूचना द्वारा यह निदेश दिया था कि कारखाने का प्रत्येक अध्यासी या प्रबन्धक और अन्य क्रय अभिकर्ता वर्ष 1948-49 के पेराई मौसम में गन्ना उत्पादन या गन्ना उत्पादन सहकारी समितियों को देय मूल्य में से दो आना प्रति मन की दर से कटौती करेगा। तत्पश्चात् उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि इस प्रकार काटी गयी धनराशि को यूनाइटेड प्राविन्सेज प्राविन्शियल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में जमा किया जायगा, और बैंक से गन्ना उत्पादक को व्यक्तिगत रूप से उनकी धनराशि के लिए बन्ध पत्र जारी किया था। इस प्रकार जमा की गयी कुल राशि लगभग 1,82,35,386 रुपये हुई। मान्यवर, इसमें से जो शेष धन बचता है वह 5,75,000 रुपया है। इसमें कहीं भी ब्यौरा नहीं दिया गया है कि जो बचा हुआ धन है उसकी बाबत खातेदारों को कैसे मालूम होगा कि इतना धन बैंक में जमा ह। इसके अतिरिक्त जो सूद होता है वह भी लाखों रुपए में आता है। इसका भी उल्लेख नहीं है कि किस प्रकार इसको दिलवायेंगे। हर वर्ष यह आश्वासन दिया जाता ह कि यह रुपया शीघ्र ही किसानों को दिलाया जायगा। लेकिन उसका जो सूद हर साल बढ़ता जा रहा है उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि किस प्रकार उसको दिलवायेंगे। इसी के साथ यह भी उल्लेख नहीं है कि क्या-क्या सुविधायें उनको प्रदान करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब इतना रुपया कोआपरेटिव मिल्स में आता है तो उसका उपयोग करने के लिये कोई उचित कदम उठायें। मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि हरिजनों को और महिलाओं को उचित स्थान देने के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करेंगे तो यह तो कमेटी में बहुमत बनाने का तरीका है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, यह तो मैंने नहीं कहा। अगर वे चुनाव में नहीं आ पाए तो भी उनके लिए स्थान रहेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि वह उसमें न रह सकें। रजिस्ट्रार को यह हक दिया गया है कि वह नामिनेट करके उन स्थानों की पूर्ति उन्हीं लोगों में से करे।

श्री रेवती रमण सिंह—

यह बात तो ठीक है,लेकिन ऐसा होता नहीं है। हरिजन या कमजोर वर्ग के लोग चुनकर आ नहीं पाते ह।

श्री अध्यक्ष—!

इसके अतिरिक्त आप कोई विकल्प बतायें।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आप चुनाव करवायें। इसमें जो 2 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा गया है वह उनको नहीं मिल सकेगा। कोआपरेटिव में कुछ ऐसे दलाल हैं जो बीच में पैसा ल लेते हैं और वह सही आदमी को मिल नहीं पाता है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह जो रुपया होगा वह तो हम उनको शेयर खरीदने के लिए देंगे। शेयर लेने के बाद ही उनका रुपया मिल सकता है। हम इसको देख लेंगे कि शेयर खरीदने के लिए उनका रुपया मिल जाय। कोआपरेटिव बैंक तो कर्जा ही देता है वह भी चेक से देता है। इसमें किसी तरह के घपले की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

श्री रेवती रमण सिंह—

इसके लिए मैं मन्त्री जी का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव में इस प्रकार का बड़ा घपला होता है लोगों ने पैसा अदा भी कर दिया है तब भी उनसे वसूली जारी है। आपका कुर्क अमीन फर्जी रसीद बनाकर उन लोगों से रुपया वसूल किया करता है और इस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाता है। इसी के साथ ही जो खातेदार बनकर पैसा लेते हैं वह भी उस पैसे का ठीक तरह से सदुपयोग नहीं करते हैं। यह पैसा विवाह, शादी आदि कामों में व्यय कर दिया जाता है और उसका सदुपयोग नहीं होता है। मन्त्री जी इस बात को भी देखें कि इस पैसे का सदुपयोग किया जाय। वह जिस प्रयोजन के लिये लिये गया है उसी में वह काम में लाया जाय अन्य कामों में नहीं।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कोआपरेटिव में लोगों ने करोड़ों रुपए का गबन कर रखा है और आप जिस तरह से वसूल कर रहे हैं उससे अधिकांश धन वसूल नहीं हो पाता है। जो जनता के टैक्स का धन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ चालाक लोग कोआपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं और वे उसमें माहिर होते हैं और वे कोआपरेटिव के धन का मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया करते है। आपके बिल में इसका कोई उल्लेख नहीं है जो हर जिले में 20–25 आदमी मिल कर एक समिति बना कर सरकार का करोड़ों रुपया है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से रोकेंगे? इसके लिए आप सख्त कदम उठावें ताकि भविष्य में करोड़ों रुपया प्रदेश का इधर-उधर हो जाता है वह न होने पाए। मन्त्री जी ने कई बैंक्स तथा बोर्ड्स को सुपरसीड किया है, उसी स्कीम के तहत वह पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण करायें। इससे उनको पता चलेगा कि 70, 80 फीसदी समितियां प्रदेश में ऐसी हैं जिनमें इसी तरह का धन्धा होता है। बहुत सी जगहों पर इलेक्शन भी फर्जी हुए हैं जैसे मेरे जिले इलाहाबाद में कोआपरेटिव बैंक का चुनाव कागज पर ही हुआ। इस तरह की धांधली केवल इलाहाबाद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में है और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार पर है और सरकार ने जो शुरूआत की है वह उसे बनाए रखे तो यह घपला काफी हद तक दूर हो जाएगा। लिहाजा इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय, तब इसे पास किया जाय।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 आज प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने कुछ निम्न वर्ग के लोगों का प्राविधान समितियों में किया है। जिन बैंक्स की वसूली 60;70 फीसदी नहीं हो पाई है उनको आगे काम नहीं करने दिया जायगा। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने हमको बताई। यह विधेयक जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उनके कथनानुसार यह बहुत इनकाम्पीटेंट है और इसी कारण आज के एजेन्डे में उन्होंने 13 संशोधन पेश किये हैं 22 खण्डों में। इससे सिद्ध होता है कि इसमें बहुत सी कमियां हैं। क्योंकि यह टेक्निकल मामला है इसलिए इसको अध्ययन करके प्रस्तुत किया जाता; इसके लिये इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय और जितने भी उनके संशोधन हैं, हमारे सुझाव हैं उनका समावेश करके पुन: इसको यहां प्रतुस्त किया जाय तो ठीक रहेगा। सहकारिता का मतलब मोटे तौर से हम यह जानते हैं कि सहयोग से काम किया जाय, लेकिन इस बिल के जरिए जनता का सहयोग बिलकुल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश]
समाप्त किया जा रहा है। वह सहकारीकरण नहीं बल्कि सरकारीकरण किया जा रहा है। इसमें एपेक्स संस्थाओं का नाम लिखा हुआ है जैसे उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ तो उसका नाम कर दिया जाय उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ। जो व्यवस्थायें इसमें की जा रही हैं उनके द्वारा निश्चित होता जा रहा है कि जो समितियां जनता के द्वारा चलाई गई थीं उनका नियंत्रण समाप्त हो रहा है। इसके लिये एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा जैसे कि कंपनीज में होता है, जैसा कि प्राइवेट संस्थानों में होता है। ठीक उसी प्रकार से आज सहकारी आन्दोलन का स्वरूप मंत्री जी बनाना चाहते हैं जिसके लिये कि यह बिल रखा गया है। जनता के द्वारा किये गये कामों में तरह-तरह की कठिनाइयां होती हैं और उन कठिनाईयों का हम तरह-तरह से मुकाबला करते हैं। उनको सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग लेने के लिये बराबर प्रयास हम करते हैं। लेकिन आज मान्यवर, आप देखेंगे इसमें जो एक नई धारा 31 (क) बढ़ाई जा रही है जिसमें 'शीर्ष समितियों के लिये सचिव के स्थान पर प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जायेगी'। मान्यवर, जो सचिव बनाये जाते हैं वह समिति के द्वारा होते हैं लेकिन अब उसे बदल दिया गया है और उनके स्थान पर प्रबंध निदेशक नियुक्त किये जा रहे हैं। उनकी नियुक्ति सरकार करेगी। जिसका नतीजा होगा कि आज तक जो जन समितियां थीं वह अब सरकारी हो जायेंगी। आज जितनी भी संस्थायें निर्मित होती हैं वह पहले प्राइमरी सोसायटी होती हैं, उसके बाद जिला सोसायटी होती हैं और उन सब को मिला कर प्रान्तीय सोसायटी होती हैं जैसे कि प्राविंशियल फेडरेशन होता है या बैंक होता है जिसमें हम देखते हैं कि जनता का कोआपरेशन मिलता है। लेकिन आज उनका मैनेजमेंट समाप्त हो रहा है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक शीर्ष समिति के लिये, सचिव के स्थान पर एक प्रबंध निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा। पहले मान्यवर, सचिव जो होता था वह समितियों के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन आज उसमें चेंज किया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक सहकारी समिति में एक सचिव होगा जो नियम की धारा 121 और 122 के उपबंध के अधीन रहते हुए समिति के द्वारा नियुक्त किया जायेगा लेकिन उसे आज हटाया जा रहा है। मान्यवर, इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है जहां पर जनता और सरकार के बीच करोड़ों रुपयों का व्यापार होता था आज वह सारा का सारा इस विधेयक के द्वारा समाप्त किया जा रहा है इस धारा के द्वारा ।

आप आज सहकारी आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं आपकी मंशा है कि प्राइमरी सोसायटीज के द्वारा निर्मित जो बड़ी बड़ी संस्थायें हैं उनको सरकार के कब्जे में ले लिया जाय ताकि उनका दुरुपयोग यह कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी मुझे एक निमंत्रण पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि 'देश के युवा नेता एवं जनशक्ति के प्रतीक श्री संजय गांधी यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन प्रेस के नवीनीकरण के अवसर पर पधार रहे हैं और वह इसका उद्घाटन करेंगे।' तो मान्यवर, इस तरह से ये जो बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं इस तरह से बड़े-बड़े समारोहों का आयोजन कर पैसे का दरुपयोग करती हैं। मान्यवर, आज जनता के सहयोग के नाम पर उन पर कब्जा किया जा रहा है और इस तरह से शुरू में जो कोआपरेटिव मूवमेंट शुरू किया गया था उसका रूप बदल कर सरकारी मूवमेंट किया जा रहा है। मान्यवर, यह ठीक नहीं है इसलिये हमने राय दी है कि सहकारिता को जीवित रखने के लिये इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय जो यह देखे कि इसमें क्या परिवतन लाये जायं और फिर यह यहां पर प्रस्तुत किया जाय। (व्यवधान) मान्यवर, जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनके प्रबंध के बारे में उन्होंने बताया है कि परिवर्तन किया जा रहा है। मान्यवर, कहा गया है कि जितनी भी सहकारी समितियां हैं, उनके अन्दर अनेकों गबन हुए ह, उसके लिये वहां एक अनुसंधान शाखा भी बनाई है। तो मान्यवर, 147 लोग उसमें काम कर रहे हैं, अफसर और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। उसमें 2226 अभियोग उपस्थित किये गये हैं। दो हजार से ऊपर गबन के मामले उसमें हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट है, और उसके अलावा ऐसी हजारों रिपोर्टें हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी इन्टरटेन नहीं हुई ह या अभी प्रकाश में ही नहीं आयी

हैं। सहकारिता में इतनी बड़ी धनराशि का गबन हो रहा है कि कुछ कहने को नहीं। इसकी धनराशि देखी जाए तो 3 करोड़ रुपये से ऊपर का यहां गबन ह। इतना बड़ा गबन उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान या कार्य प्रणाली में नहीं है, जितना बड़ा यहां है।

मान्यवर, अब देखें कि काम कितना हुआ है। केवल 16 अभियोग अभी तक साबित हो सके हैं और 7 लाख रुपये केवल प्राप्त हो सके हैं। यह इतना बड़ा अन्तर है जिसे आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसमें सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। कोशिश यह की गई है कि सारे के सारे सहकारी मूवमेंट को खत्म करके नई धारा 31 (क) के अन्तर्गत सारे का सारा मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इसमें जो धारा 11 जोड़ी गई है; उसमें दिया है—

"(XI) ऐसे विनियमों के, यदि कोई हों, जिन्हें प्रबन्ध कमेटी बनाये, अधीन रहते हुए, बातचीत करना और निर्माण-कार्य के दौरान 50 लाख रुपये तक की प्रत्येक और उसके पश्चात् 25 लाख रुपये तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ, उपयुक्त किसी विषय के सम्बन्ध में समिति के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना।"

मान्यवर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर बना है, वह 50 लाख और उसके बाद 25 लाख रुपये तक की प्रत्येक संविवाद निर्माण कार्य की स्वोकृत कर सकेगा, उसकी स्वीकृति और अपने द्वारा खर्च कर सकते ह। यह एकाधिकार नहीं है तो क्या है? यह कोआपरेटिव नहीं है। और उसे सरकार अपने मन से नियुक्त करेगी और यह सारा अधिकार एक आदमी में निहित रहेगा। इस तरह से सहकारिता मूवमेंट बिलकुल खत्म हो गया। आपने खंड 11 में धारा 35 का संशोधन प्रस्तुत किया है— "शब्द" आर नियत रीति से उक्त प्रयोजन के लिये बुलाई गयी सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात् "निकाल दिए जाएंगे",। बोर्ड सुपरसीड तो होता है, यदि उसमें कोई अनियमितता ह। उसकी शिकायत आनी है, जांच कराई जाती है और सिद्ध होने पर आप उसे सुपरसीड करते हैं। इसमें आप उसकी जनरल बाडी की बैठक बुलाते हैं और नोटिस देकर उसे सस्पेंड करते हैं, और अब इसको समाप्त करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि जनरल बाडी की बैठक बुलाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रार जब चाहे, सरकार की इच्छा पर वगैर जनरल बाडी की मीटिंग बुलाए उसे नोटिस दे सकता है और उसको खत्म कर सकता है। इस कदर आपने सरकारीकरण कर दिया है। यों मंशा आपकी अच्छी है कि पिछड़े और दबे वर्ग के लोगों को स्थान दिया जाए। लेकिन इसमें दुर्भावना छिपी हुई है। चुनाव में उनको आने दिया जाए, लेकिन नामजद करने की प्रणाली गलत और दुर्भावनायुक्त है। आप चाहते हैं कि प्रत्येक समिति में आपका निश्चित कब्जा होना चाहिये और यदि किसी प्रकार न हो सके तो आपने उनको उन्हें अवक्रान्त करने का अधिकार दे दिया है यानी यह अधिकार आपने अपने हाथ में ले लिया है।

मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सहकारी मूवमेंट इस बिल के द्वारा समाप्त हो रहा है। इसलिये इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए। मुझे मालूम पड़ता है कि उधर के साथियों ने भी इसे ठीक से देखा नहीं है, इसका परिणाम प्रदेश को 9 करोड़ जनता को भुगतना पड़ेगा। इसमें एक 18 नम्बर का खंड है। इसमें लिखा है कि किन्हीं कार्यवाही का खर्च देने के प्रयोजनाथ समिति की निधि से कोई व्यय निबंधक की बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जायगा। मान्यवर, अगर मान लीजिए समिति की ओर से सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी तो सरकार बाध्य है। इसमें यह प्रतिबन्ध किया जा रहा है कि न्यायालय के खर्च के लिए वह रजिस्ट्रार से अनुमति ल। तो मान्यवर, सरकार के खिलाफ कार्यवाही के लिये रजिस्ट्रार क्यों अनुमति देगा। इसलिये सारे के सारे अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार से सरकार ने इस बिल के द्वारा अपनी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया है। सहकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है आज उसको समाप्त किया जा रहा ह। मान्यवर, इसलिय मैंने यह निवेदन किया है कि यह बिल

[श्री सत्य प्रकाश]

जो हैं चूंकि इसमें संशोधन स्वयं ही प्रस्तुत किये गये हैं, इन दो-तीन-चार बातों को लेकर प्रवर समिति को भेज दिया जाय और उसके बाद इसको लिया जाय। जैसे नगर पालिका का मामला है। इसका भी मामला समिति में चल रहा है। यह कोई साधारण मामला नहीं है। उस पर विचार करना पड़ता है। यह तो आगे आने वाले वर्षों में पता चल जायेगा। इसमें जनता का कोई मूवमेंट नहीं है। यह तो केवल सरकारी अफसरों का, मंत्रियों का मूवमेंट है। मान्यवर, इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और समिति के विचार करने के बाद तब इसको पारित किया जाय।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, सहकारिता की जो मंशा है उस पर हमें चोट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये कि सहकारिता एक ऐसा विषय है पूरी सरकार की बाडी का जिससे सारी जनता से लेकर अन्य उपभोक्ताओं को लाभ होता है, चाहे वह कृषि हो, चाहे व्यापारी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके तहत में मौलिक परिवर्तन लाना होगा। हम एक तरफ इस बात को मानते हैं, कि उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिये, लेकिन दूसरी तरफ गांवों में, कस्बों में, वहां पर जितने सदस्य होते हैं हर सदस्य के विधान क्षेत्र के अन्दर सहकारिता का आन्दोलन है। हम जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को देखते हैं तो सरकारी कर्मचारी जहां पर वह जिला स्तर पर होता है या कुछ भी देता है उसकी नियत अगर लूटने की होती है, तो गांव के जो लुटेरे वर्ग के हैं उनके हाथ से सहकारिता आन्दोलन की पूरी बात होती है। मैं समझता हूं सहकारिता आन्दोलन को ध्वस्त करने में जितने सरकारी कर्मचारी दोषी हैं, उसके 10 गुना यानी हम अपने को राष्ट्र प्रेमी कहलाने वाले डायरेक्टर जो होता है, उसको ले लीजिए, कौन होता है ? वही होता है जो सामंत या पापुलर या गांव का जो 420 होता है। मैं थोड़ा सा ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि इसमें मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। इसको आप प्रवर समिति में भेज दें।

आप देखें कि एक-एक जगह, एक एक जिले में लाखों का घोटाला है। आप उसमें सक्षम नहीं हो रहे हैं। कोई प्रस्ताव लाइये। मैं अपने जिले की बात किसी भी भाषण में अच्छा नहीं समझता हूं। पूरे के पूरे जिनका सहकारिता आन्दोलन से कोई मतलब नहीं था, जो सत्ता पक्ष में थे 1 लाख रुपये का चोट दिया। लाख रुपये एक संघ से गायब हो जाय, एक पैसे की वसूली न हो, कितनी बड़ी बात है। मैंने इसी सदन में प्रश्न उठाया था कि एक जिलेदार जो होता है, उस बाडी से वह मिला रहता है, यहां से लेकर डिप्टी डायरेक्टर या जितने कर्मचारी होते हैं 60 हजार का गबन अभी पिछले महीने में जलालपुर के जिलेदार पर था और वह अब भी सर्विस में है। सस्पेंड कर दिया गया लेकिन बन्द नहीं किया गया। चाहे आप सरकारी करण कर दें चाहे इसको आप जनता के बीच दे दें। आपकी मन्शा बिल-कुल सही है कि आप निर्बल वर्ग के हाथ में उस सहकरिता का आन्दोलन को देना चाहते हैं। आपकी मन्शा छोटे किसानों को सहायता देने के लिये है लेकिन उसी सहायता किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है, जब तक आप समान्त वर्ग पर हमला नहीं करेंगे और जब तक आप गुन्डों को हटायेंगे नहीं। अगर हमारी भी नियत खराब होगी और उन सामन्तों को वोट लेने के लालच से उसको भी ले लेंगे और उसका सहयोग लेगे कहेंगे कि सहकारिता में आओ तो निर्बल वर्ग को कोई फायदा नहीं होगा। जो भाई जी ने कहा वह अपनी जगह पर सत्य है क्या आप इसको मानते हैं कि जो गांव का लुटेरा वर्ग है जो आज लूट रहा है और उसी ने करोड़ों की दौलत लूटी है।

जो सरकारी कर्मचारी है, उच्च अधिकारी है उसने लाखों लाख रुपया नहीं लूटा है, बल्कि सहकारिता के आन्दोलन में शिरकत करने वाले सामान्त वर्ग ने, उस लुटेरे वर्ग ने लूटा है। जब तक आप उनको दन्ड नहीं देंगे तब तक सहकारिता आन्दोलन ही नहीं बल्कि सारा आन्दोलन फेल होगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि पूरी छानबीन करें। अगर इसको

प्रवर समिति में भेज दें तो अच्छी बात होगी क्योंकि उस पर काफी विचार विमर्श होगा। जिनके ऊपर कर्ज नहीं है उनके नाम कर्जा चढ़ा दिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने देखा कि 12 हजार रुपया गांव के निर्बल वर्ग के ऊपर इसी तरह से है। 35 आदमी जो तालुकेदार के यहां नौकरी करते थे और वह उनके असामी थे उनके ऊपर एक लाख रुपया है। उनके यहां न जिलेदार मांगने जाता है। हमारे जिले में लाखों रुपयों का गबन है। माननीय मंत्री जी आप उसकी छानबीन करें। जिन लोगों ने गबन किया है उनको जेलों में बन्द किया जाना चाहिये। जिलेदार गबन करता है पुलिस आती है लेकिन उसको बन्द नहीं किया गया और जब एक साल बाद बी0 डी0 ओ0 ने उस पर चार्ज लगाया कि 60 हजार रु0 का गबन है, चार्ज लगाया तो उस जिलेदार की सहायता नवयुवकों ने देने की कोशिश की। उसकी सहायता हमारे विधायक भी करते हैं।

मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने कर्ज लिया और वापस नहीं किया या जिन्होंने गबन किया है उनकी जायदाद से सख्ती के साथ वसूल किया जाय। और जो गरीब और निर्बल लोग हैं जिनके ऊपर गलत कर्ज लगाया गया है, उनके मामलों की पूरी तरह से छान-बीन होनी चाहिये। आप को चाहिए कि उन आदिमयों की पूरी फाइल को लेकर आपके कर्मचारी गांवों में जायं और जांच करें, अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो विभाग में कोई सुधार होने वाला नहीं है। आज ये निर्बल लोग यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी लूट का धन्धा अगर कोई है तो यही है। यही एक विभाग है जिससे गरीबों की सहायता आप कर सकते हैं।

दूसरे यह भी देखा गया है कि जो लोग-एक्चुअली देना चाहते हैं, उनसे 4–4 और 5–5 साल तक वसूल नहीं होता है। और जब उन पर इतना इन्टरेस्ट हो जाता है कि वे दे नहीं सकते हैं तो वसूली होती है। नतीजा क्या होता है कि वसूल करने वाले सौ सौ रुपया जिलेदार, जो किसी विधायक के आदमी होते हैं, लेकर 2 साल तक की मुल्तवी कर देते हैं और उनका कहना यह होता है कि हम एक ऐसी बाडी हैं कि हमें न कोई कलेक्टर, न कोई अधिकारी, न कोई नेता और न कोई विधायक ही कुछ कह सकता है। होना यह चाहिये कि आपके कर्मचारी गांव में जायं उस क्षेत्र के विधायक को बुलायें, उन सम्बन्धित निर्बल लोगों की फाइलें साथ रहें और तब विस्तृत रूप से इन्क्वायरी की जाय। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका निर्बल वर्ग नेस्त नाबूद हो जायगा। अगर यह ऐसा ही रहा और इसमें कोई सुधार नहीं किया गया तो यह आन्दोलन लुटेरे वर्ग का होगा और सबसे अधिक करप्शन इस विभाग के द्वारा होगा। यही नहीं आप आगे के आने वाले चुनाव में भी कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। अत: मेरी प्रार्थना है कि आप इसे प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें जो इस पर विस्तृत रूप से विचार कर सके और इसमें जो खामियां रह गई हैं, उन्हें दूर कर सकें।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब माननीय लक्ष्मी शंकर यादव इस विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने सहकारिता के संरक्षण के लिये 3 कदम उठाये थे। एक तो उन्होंने चेक सिटस्म जारी किया, जिससे फर्जी ऋण का रास्ता बन्द हो गया, दूसरे सेवा संस्थागत मंडल कायम करके लोगों के ऊपर से भाई भतीजा वाद के लांछन को उठा दिया और तीसरे गबन करने वालों के लिये पुलिस सेल कायम करके यह भी बता दिया कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। ये तीनों उनके क्रान्तिकारी कदम थे। फिर भी जो कमियां रह गई थीं उन्हें आज हमारे मंत्री जी ने पूरा कर दिया। लोग चुनाव नहीं कराते थे और अदालतों की आड़ ले लेते थ। जो भी कदम हमारे माननीय मंत्री जी ने उठाये हैं, वे सराहनीय हैं। विरोधी दल की ओर से इस विधेयक का विरोध किया जा रहा था साथ ही साथ इसका स्वागत भी किया जा रहा था। उन्हें प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक, सहकारी कानून में जो कमियां थीं उनको पूरा कर रहा है। इसमें मंत्री जी को यह सभी

[श्री अम्बिका प्र ाद सिंह]

देखना है कि आखिर क्यों इसमें खराबी आ जाती है। बुनियादी तौर पर सुपरवाइजर इसके बैकबोन होते हैं। आज उनकी नौकरी में अस्थिरता है। एक मर्तबा वह बैंको के अधीन कर दिये गये, पहले पी0 सी0 यू0 के अधीन थे। अब फिर पी0 सी0 यू0 के अधीन कर दिये गये हैं। उनकी नौकरी में स्थायित्व होना चाहिये ताकि उनको नौकरी से मोह हो। वह यह न समझें कि हम अरवी के पत्तों के पानी हैं। जब हमने स्वीकार कर लिया है कि समाजवाद सहकारिता आन्दोलन के जरिये से आयेगा तो हमें बुनियादी तौर पर ठोस कदम उठाने चाहिये। मंत्री जी, एक बात जरूर है कि इसमें आपने सु ार लाने के लिये सरकारी नियन्त्रण भी रखा है, रखना जरूरी भी थां, लेकिन एक एहतियात और आपको करनी होगी कि सरकारी तन्त्र पर आपको विशेष अंकुश रखना होगा।

मैं एक घटना सुल्तानपुर की बता देना चाहता हं। एक ए0 आर0 महोदय थे। उन्होंने 16 हजार रुपये बैंक से निकाल लिये। उसके ऊपर जांच हुई, वह बरखास्त हो गये। मैंने एक पत्र लिखा तत्कालीन कोआपरेटिव सचिव श्री भगवन्त सिंह को कि 16 हजार रुपये इनकी जमानत से पूरा कर लिया जाय। तो उन्होंने एक बहुत ही ह्यूमरस लेटर मुझे लिखा कि आपको मालूम नहीं कि गजटेड अफसर की कोई जमानत नहीं होती। वह बरखास्त हो गया इसी से आपको संतोष होना चाहिये। जहां आप सरकारी तन्त्र को शक्ति दे वहीं नियन्त्रण भी उसके ऊपर रखें।

एक बात सहकारिता आन्दोलन की मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जहां चक सिस्टम से हमें सुविधा मिली, जहां पुलिस सेल खोल देने से गबन करने वालों के दिलों में एक भय पैदा हुआ लेकिन आपके सेल बहुत कम हैं। प्रत्येक जिले में एक सब इंस्पेक्टर भी नहीं दिया गया है तो सुधार में तेजी कैसे होगी। उनके हाथ में और अधिकार बढ़ाये जायं ताकि गबन करनेवाले भयभीत हो जायं कि वह जेल भी जा सकते हैं। विरोधी दल प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश न करें। जो कमियां थीं उनकी पूर्ति की गयी है। इसका स्वागत करना चाहिये। प्रवर समिति को भेजने की एक आदत सी पड गयी है विरोधी दल की, साथ ही साथ वरना वह भी इसका स्वागत करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष जी, आप जरा देर से आये, लेकिन बहुत दुरुस्त आये।

श्री अध्यक्ष—

म तो समय से आया, आप इनको कहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

इनका बहुत इन्तजार था और इस सरकार ने तिकड़म करके इनके हाथ एक ऐसा मुर्गा पकड़ा दिया, जिसकी सांस चल रही है। आफ्टर डेथ डाक्टर। यह बात सही ह कि उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन एक बहुत पवित्र आन्दोलन है। सारी जनता का, हमारे राष्ट्र का यह आन्दोलन ह और इसकी सफलता पर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है। मगर पिछले 20–25 वर्षों में इस आन्दोलन को चलाने वालों ने प्रधान से लेकर प्रधान मंत्री तक, अपवित्र बना दिया है। वरना इस विधेयक को लाने की जरूरत न पड़ती। अभी माननीय सदस्य ने लक्ष्मीशंकर यादव जी का बड़ा गुणगान किया, मैं भी उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने इस आन्दोलन को पवित्र बनाने के लिये अपने काल में पूरी कोशिश की और चाहा कि यह ठीक हो जायें। इस आन्दोलन की 4 समस्यायें हैं—(1) धन का अपव्यय, (2) धन की वसूली (3) कर्मचारियों पर नियन्त्रण और (4) चुनाव। यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चारों चीजें सहकारिता में बड़े महत्व की हैं। इन चीजों को ठीक करने के लिये माननीय मंत्री जी जो बिल लायें हैं उसके कुछ अंश का मैं स्वागत करता हूं। मगर मेरी प्रार्थना है कि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाय। आपके दिमाग में यह जो कीड़ा है.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कीड़ा आपके दिमाग में है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह मान्यवर कहां से बोल पड़े—दाल भात में मूसलचन्द। मैं यह कह रहा था कि आज हर चीज सरकार की हो गयी है। सरकार क्या हनुमान जी हैं। सारी चीज सरकार के हाथों में दे देंने से मालूम यह होता है कि हमारा जन प्रतिनिधियों पर से विश्वास उठ गया है। आप सहकारिता को इतना टाइट मत कीजिये। यदि यह आन्दोलन सरकार के हाथों में चला जायगा तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा। मुझे भी इसमें काम करने का अवसर मिला है। पी0 सी0 एफ0 का म सेक्रेटरी रहा हूं। मैंने एक जगह देखा कि जो काम 1 लाख रुपये से शुरू किया गया था वहां केवल 37 हजार रुपये ही रह गये थे। जब रजिस्टर निकलवाकर देखा तो मालूम पड़ा कि कांग्रेस के बड़े-बड़े दिग्गजों के नाम, किसी के नाम 20 हजार,किसी के नाम 11 हजार, किसी के नाम कुछ, 20–20 सालों से रकम चढ़ी हुई थी और कभी वसूली की कार्यवाही की ही नहीं गयी। एक साहब तो ऐसे थे जिन्होंने पहले खाते में जमा किया, फिर निकाल लिया। गोंडा जिल में कितने लोग ऐसे हैं जिन पर 5 हजार से ज्यादा बकाया है, एक बार मैंने यहां यह सवाल पूछा था। मालूम हुआ उसमें कई ब्लाक प्रमुख थे और एम0 एल0 ए0 तथा एम0 एल0 सी0 तक थे उन पर बकाया था। अभी तक इसकी वसूली हो रही है और सख्ती की साथ वसूली हो रही है और होनी भी चाहिए। राज्य का पैसा लोग अपनी झोली में डाल कर उसे घर का पैसा समझने लगते हैं। मैं इसके खिलाफ हूं। कड़ाई के साथ पैसा वसूला जा रहा है। "अंधा बांटे रेवड़ी, अपने घराना देय" यही बात वहां हो रही है। माननीय सदस्य जाकर देखें वहां इस मूवमेंट में किसी की दिलचस्पी नहीं है। माननीय शान्ति प्रसन्न शर्मा जी के सामने ही इस तरह का कोई केस आवेगा तो वे सोचेंगे कि अरे यह तो हमारा विधायक है यह तो हमारा ब्लाक प्रमुख है या हमारी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है और उस तरफ से अपनी आंखें मूंद लेंगे। क्या इस तरह से आंखें मूंदने से यह मूवमेंट आगे बढ़ सकेगा? मैं सेंट्रल कोआपरेटव कि बलरामपुर का उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वहां पर ट्रैक्टर में डीजल डाला गया बैंक के पैसे से और उसे जीप में पेट्रोल का खर्चा दिखलाया गया। सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक बलरामपुर में इतनी गड़बड़ी है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। स्कूटर आदि की सुविधायें इसलिये दी जाती है कि उनका पाप और भ्रष्टाचार कहीं मालूम न होने पावे।

एक सदस्य—

सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री त्रिवेणी सहाय—

रोशन लाल कमेटी रिपोर्ट से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो कोआपरेटिव डाइरेक्टर्स हैं उन्होंने.....

श्री अध्यक्ष—

आप जरा विश्राम करें। कोरम के लिये घंटी बजायी गयी है।

उचित तो यही है कि माननीय सदस्य 1 और 2 के बीच में कोरम का प्रश्न न उठाये। लेकिन जब कोई उठा देता है तब तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करनी ही पड़ती है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

श्री त्रिवेणी सहाय–

रोशनलाल कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें कुछ ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं कि बिल्डिंग तो बनी नहीं और पैसा गायब, डाइरेक्टर यात्रा पर गये नहीं लेकिन यात्रा–भत्ता तैयार है। कहने का मतलब यह है कि कोआपरेटिव में जाकर चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जनता के प्रतिनिधि हों, सब की मिल कर इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि कोआपरेटिव मूवमेंट में अच्छे और ईमानदार आदमियों को लाया जाय और जो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, जिनका आचरण ठीक नहीं है उनको सब लोग मिल कर निकालने को कोशिश करें, तब जाकर यह मूवमेंट ठीक होगा। माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बिल का स्वागत मैं इसलिये करता हूं कि उनका यह एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास में उनको जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन अच्छा होता कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाता तो वहां कई नये और अच्छे सुझाव मिल सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं चाहे वे किसी तरह से भी सोचें और कुछ खिलाफ कह गये हों लेकिन मेरे खयाल से उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया है। जैसा कि सभी सदस्यों ने गन्ना नीति के बारे में कहा था कोआपरेटिव बैंक से इस संस्था को हम ट्रांसफर कर रहे हैं और जो देनदार है, उसके जो क्लेमेंट होंगे, उनको तो वह मिलेगा ही। जहां तक मैनेजिंग डाइरेक्टर की बात कही गयी तो मैनेजिंग डाइरेक्टर कोई नयी चीज नहीं है। जो सचिव के अधिकार थे, वहीं अधिकार हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज अच्छी तरह से काम कर रही हैं चाहे वह हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गूजरात हो, वहां सब जगहों पर मैनेजिंग डाइरेक्टर को रखा गया है और उनको अधिकार दिये गये हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि दुरुपयोग होता है। तो हमारे जो आदरणीय साथी ने कहा यह बात सही है, हम मानते हैं कि कहीं-कहीं कोआपरेटिव मूवमेंट जैसा होना चाहिये उस तरह का नहीं है, गल्तियां हैं। गल्तियां दोनों तरफ से हैं। मैंने इन चीजों का सुधार किया है। इनके लिये मैंने 3 बातों को रखा है। पहली तो यह कि जहां चुनाव नहीं करायेंगे, समय के अन्दर तो वह अपने आप समाप्त हो जायंगी और सचिव चार्ज ले लेगा। सरकार अपने हाथ में कोई ताकत नहीं रखना चाहती है। जो लोग 10–15 साल से किसी न किसी तरह रह रहे हैं वह अपने आप समाप्त हो जायेंगे। उसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव भी करा देंगे।

दूसरी चीज यह है कि कोआप्ररेटिव सोसाइटीज के अन्डर में जो लोग काम करते थ उनका आज तक कोई कैडर नहीं बना। उनको मालूम नहीं था कि किसके कहने से काम करना है या कहां रहना है तो वह अधिकार सरकार अपने ऊपर ले रही है। नियम बनाये जा रहे हैं इससे दोनों तरफ से फायदा होगा। एक तरफ लोगों को विश्वास हो जायगा कि उनकी सर्विसेज रेगुलर हैं और दूसरी तरफ हम यह भी देखेंगे कि एक जगह की कोई अपनी बपौती न बना सके। 3 वर्ष तक रखेंगे उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे और 6 वर्ष बाद में जिले से बाहर कर देंगे। इस तरह के अधिकार सरकार ने अपने ऊपर ले लिये हैं।

इसके अलावा जो बैंक हैं या सोसाइटीज हैं यह रुपया देने का माध्यम हैं। लेकिन रुपया तभी बढ़ेगा जब वापस आये। तो जो सोसाइटीज या बैंक अपने रुपये को वसूल नहीं करते, 2 वर्ष तक वसूल नहीं करते। ऐसा रिजर्व बैंक ने भी कहा है, तो उस बैंक को हम सुपरसीड कर देंगे तो यह सब बातें थीं जिनको कि आप लोग चाहते थे। यह बातें मैंने की हैं। मैंने कोआपरेटिव मूवमेंट के जो लोग थे, प्रांत के, उन लोगों से सलाह की और जो उन्होंने सजेस्ट किया, बहुत सी चीजों को मैंने कर दिया है। अब इसको प्रवर समिति में भेजने की मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है। हमने एक कमीशन भी बनाया है कोआपरेटिव मूवमेंट को देखने के लिये। उसके कुछ सजेशंश आयेंगे। सजेंशंश आने के बाद अगर हमें देखेंगे

कि इनकी आवश्यकता है तो एक व्यापक विधेयक भी लायेंगे। जब यह लायेंगे तो पहली स्टेज पर आपसे सलाह करेंगे यदि आप कहेंगे तो बाद को स्टेज पर सलाह करेंगें। आप लोग जो चाहते थे कि यह बातें होनी चाहिये तो वह मैंने इसमें कर दी हैं। तो प्रवर समिति में इसको भेजने की मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवर समिति में न भेजकर आप इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन सदन में 15 दिन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 4 तथा 5

2— उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11; 1966 की धारा 2 का संशोधन

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ाये जायेंगे, अर्थात् :—

"(क–1) 'कृषि ऋण समिति' का तात्पर्य उस ऋण समिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्य करता हो ;

(क–2) 'कृषि कार्य' के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा :—

(i) कृषि फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण या क्रय–विक्रय ;

(ii) उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालना या पशुपालन जिसके अन्तर्गत शूकर पालन, मत्स्य संवर्द्धन, कुक्कुट पालन और दुग्ध व्यवसाय भी है ;

(क–3) 'कृषि समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्य करता हो;

(क–4) 'शीर्ष समिति', 'शीर्ष स्तर समिति' या 'राज्य स्तर सहकारी समिति' का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ;
(2) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ ;
(3) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;
(4) प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ;
(5) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ ;
(6) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ ;
(7) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी फेडरेशन लिमिटेड ;
(8) उत्तर प्रदेश केन यूनियन्स फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ;

(9) उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन लिमिटेड, कानपुर ; या

(10) कोई अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है—

(i) उसकी सदस्यता में कम से कम एक ऐसी अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति हो जिसका कारोबार या व्यापार उसी प्रकार का हो ; और

(ii) उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हो ; और

(iii) उसका मुख्य उद्देश्य साधारण सदस्यों के रूप में अपने से सम्बद्ध सहकारी समितियों को कार्य करने में सुविधा देना हो ; " ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ाया जायगा; अर्थात् : —

"(घ–1) 'केन्द्रीय समिति' या 'केन्द्रीय सहकारी समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसका साधारण सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो प्रारम्भिक सहकारी समिति की श्रेणी में न आती हो ; " ;

(iii) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"(झ–1) 'ऋण समिति' का तात्पर्य उस समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिये निधि एकत्र करना हो ;" ;

(iv) खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ाया जायगा; अर्थात् :—

"(थ–1) 'प्रारम्भिक समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिये सुलभ न हो ; " ।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायेगी; अर्थात् :—

"(3) जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिये उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो; वहां ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय समय पर यथा संशोधित उस उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझा जायगा । "

धारा 15 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 15 में—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या किसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, उपधारा (1) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस सम्बद्ध समितियों के सदस्यों को दी जायेगी, और प्रारम्भिक संकल्प

की प्रतियां ऐसी समितियों के सदस्यों और ऋणदाताओं पर निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायंगी, अर्थात् :—

(क) लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करके व्यक्तिगत तामील द्वारा; या

(ख) जिस व्यक्ति ने खण्ड (क) के अधीन लिखित रूप में प्राप्ति अभिस्वीकार की हो उसका अपवाद करके, प्रत्येक व्यक्ति के पते पर, जैसा समिति के अभिलेख में उल्लिखित हो, प्रेषण प्रमाण–पत्र के अधीन डाक द्वारा, और किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसका समिति के कार्य क्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन द्वारा भी ।";

(ii) उपधारा (3) में, खंड (i) में, शब्द "प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति उसे प्राप्त होने से तीन मास की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द "उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर" रखे जायेंगे;

(iii) उपधारा (4) में, शब्द "समस्त समितियों के सभी सदस्यों तथा ऋणदाताओं को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने क तीन मास" के स्थान पर शब्द "उपधारा (3) के खंड (i) में निर्दिष्ट अवधि के" रखे जायेंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

5—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या ऐसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, इस धारा में निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस समिति के सदस्यों को दी जायेगी और प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के सदस्यों और ऋणदाताओं पर धारा 15 की उपधारा (2) में, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायगी ।";

(ii) उपधारा (3) में, खंड (i) में शब्द "प्रारम्भिक संकल्प उसे प्राप्त होने से, तीन मास की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द "धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन जैसा कि वह इस धारा की उपधारा (2) के आधार पर लागू किया जाय, प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से, या यथा-स्थिति, उसके खंड (ख) के अधीन किसी समाचार–पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर" रखे जायेंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, शब्द "समिति के समस्त सदस्यों और ऋण दाताओं को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने से तीन मास" के स्थान पर शब्द, "उपधारा (3) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि के" रखे जायेंगे ।

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड (2)(ii) द्वारा बढ़ाये जाने वाले खण्ड (घ–1) में शब्द 'सहकारी समिति की श्रेणी में न आती हो' के स्थान पर शब्द 'सहकारी समिति न हो' रख दिये जायं ।"

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) (ii) द्वारा बढ़ाये जाने वाले खण्ड (घ-1) में शब्द "सहकारी समिति की श्रेणी में न आती हो" के स्थान पर शब्द " सहकारी समिति न हो" रख दिये जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम समुझ तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड (2) (iv) द्वारा बढ़ाये जाने वाले खण्ड (थ-1) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायं:—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(i) किसी सहकारी क्रय-विक्रय समिति को जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले के एक भाग में या एक से अधिक जिले के भाग में हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा चाहे उसका साधारण सदस्य कोई अन्य समिति हो या नहीं;

(ii) कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अध्याय 6 के अधीन क्रय किया है, ऐसा अंश क्रय किये जाने पर भी पूर्ववत् प्रारम्भिक समिति ही रहेगी;

(iii) किसी सहकारी समिति को, जिसका कार्य-क्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, रासायनिक खाद, कीट नाशक दवा, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल का संग्रह और अपने साधारण सदस्यों में वितरण करना हो और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, भले ही उसके सदस्य अन्य सहकारी समिति हो ;" ।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड (2) (iv) द्वारा बढ़ाये जाने वाले खंड (थ–1) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिये जायें :—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(i) किसी सहकारी क्रय-विक्रय समिति को जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले के एक भाग में या एक से अधिक जिले के भाग में हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायगा चाहे उसका साधारण सदस्य कोई अन्य समिति हो या नहीं ;

(ii) कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अध्याय 6 के अधीन क्रय किया है, ऐसा अंश क्रय किये जाने पर भी पूर्ववत् प्रारम्भिक समिति ही रहेगी;

(iii) किसी सहकारी समिति को, जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, रासायनिक खाद, कीट नाशक दवा, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल का संग्रह और अपने साधारण सदस्यों में वितरण करना हो और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, भले ही उसके सदस्य अन्य सहकारी समिति हो;"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2, तथा खंड 3, 4 और 5 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 6

6--मूल अधिनियम की धारा 20 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :-- धारा 20 का संशोधन

"(कक) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा, यदि--

(i) वह बाकीदार है और कम से कम तीन मास की अवधि-पर्यन्त बाकीदार रहा है ; या

(ii) वह ऐसे बाकीदार का, जैसा कि उप-खंड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिभू है ; या

(iii) यह ऐसी बाकीदार समिति का, जैसा कि उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

स्पष्टीकरण-- इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्द "बाकीदार" का तात्पर्य ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सहकारी समिति या निगमित निकाय हो) जिसने संबद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो।"

श्री राम समुझ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 6 द्वारा बढ़ाये जाने वाले खंड (कक) के उपखंड (i) में शब्द "तीन मास" के स्थान पर शब्द "छः मास" रख दिये जायं और उपखंड (ii) निकाल दिया जाये तथा उपखंड (iii) को पुनः संख्यांकित करके उपखंड (ii) कर दिया जाये तथा उसके वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय ;

"स्पष्टीकरण:--

इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्द "बाकीदार" का तात्पर्य--

(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति को किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो; या

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।"

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "खण्ड 6 द्वारा बढ़ाये जाने वाले खंड (कक) के उपखंड (i) में शब्द " तीन मास" के स्थान पर शब्द "छः मास" रख दिये जायं और उपखंड (ii) निकाल दिया जाये तथा उपखंड (iii) को पुनः संख्याकित करके उपखंड (ii) कर दिया जाये तथा उसके वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय ;

"स्पष्टीकरण :--

इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्द " बाकीदार" का तात्पर्य--

(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति को किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो ; या

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 6 विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 7 व 8

धारा 29 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 29 में--

(i) उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "जब तक कि उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन नये निर्वाचन न हो जायें अथवा उपधारा (5) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्देशन न कर दिय जाये" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :--

"जब तक कि इस धारा के अधीन समिति द्वारा नये निर्वाचन न किये जायें या निबन्धक द्वारा अन्य व्यवस्था न की जाय" ;

(ii) उपधारा (3), (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रखी जायेंगी, अर्थात् :--

"(3) प्रबन्ध कमेटी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व धारा 32 के उपबन्धों क अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में प्रबन्ध कमेटी क सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये कार्यवाही करे, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उन सदस्यों का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त होता ह।

(4) जहां प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन वहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ हो वहां जब तक ऐसा निर्वाचन न हो जाय, तब तक के लिये निबन्धक समिति के कार्य कलाप के प्रबन्ध के लिये प्रशासक नियुक्त करेगा, और उसे एसी व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन करने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि इस उपधारा के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाय, तब तक समिति का सचिव दो सप्ताह

से अनधिक अवधि के लिये प्रबन्ध कमेटी के केवल वर्तमान कर्त्तव्यों का प्रभार ग्रहण करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त प्रशासक को, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये, जिन्हें निबन्धक समय-समय पर दे सकता है, प्रबध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने का अधिकार होगा और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के सभी प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह प्रबन्ध कमेटी है।

(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिये यथाशीघ्र व्यवस्था करेगी जो समिति का प्रबन्ध उससे ग्रहण कर ले।

(7) जहां प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल 3 अक्तूबर, 1975 के (जिसे आगे इस धारा में 'उक्त दिनांक' कहा गया है) पूर्व समाप्त हो गया हो, वहां इस बात के होते हुये भी कि निबन्धक ने उपधारा (4) क अधीन, जसा कि वह उक्त दिनांक के ठीक पहले था, कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी, निबन्धक उक्त दिनांक के पश्चात् यथाशीघ्र उपधारा (4) क अनुसार, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, कार्यवाही करेगा, और तद्नन्तर उप-धारा (2) क प्रतिबन्धात्मक खंड के आधार पर, जसा कि वह उक्त दिनांक क पहले था, या धारा 35 के अधीन किसी आदेश के आधार पर, पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पद से तत्काल मुक्त समझा जायगा और उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा प्रतिस्थापित उप-धारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त प्रशासक ही समिति की प्रबन्ध कमेटी तथा अधिकारियों के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये सक्षम होगा।"

धारा 31 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 31 में--

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 31-क में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा" रख दिये जायेंगे, और शब्द और अंक "धारा 121 और 122" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 121, 122 और 122-क" रखे जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द और अंक "धारा 121 या 122" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 121, धारा 122 या धारा 122-क" रख जायेंगे।

श्री राम समुझ तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 7 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय :

"(4) यदि समिति, बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहती है तो जब तक कि

[श्री राम समुझ तिवारी--]

समिति सदस्यों का निर्वाचन न हो जाय, तब तक के लिये निबन्धक समिति के कार्यकलाप के प्रबन्ध के लिये--

(i) किसी शीर्ष या केन्द्रीय समिति की स्थिति में, प्रशासक नियुक्त करेगा, और

(ii) किसी अन्य समिति की स्थिति में, प्रशासक नियुक्त कर सकता है, और उसे ऐसी व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन करने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस उपधारा के अधीन किसी शीर्ष या केन्द्रीय समिति में कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाय, तब तक समिति सचिव चार सप्ताह से अनधिक अवधि के लिये प्रबन्ध कमेटी के केवल वर्तमान कत्तव्यों का प्रभार ग्रहण करेगा।"

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 7(ii) द्वारा प्रतिस्थापित की जानेवाली वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय: --

"(4) यदि समिति, वहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहती है तो जब तक कि समिति के सदस्यों का निर्वाचन न हो जाय, तब तक के लिये निबन्धक समिति के कार्यकलाप के प्रबन्ध के लिये--

(i) किसी शीर्षक या केन्द्रीय समिति की स्थिति में, प्रशासक नियुक्त करेगा, और

(ii) किसी अन्य समिति की स्थिति में, प्रशासक नियुक्त कर सकता है, और उसे ऐसी व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन करने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस उपधारा के अधीन किसी शीर्ष या केन्द्रीय समिति में कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाय, तब तक समिति सचिव चार सप्ताह से अनधिक अवधि के लिये प्रबन्ध कमेटी के केवल वर्तमान कर्त्तव्यों का प्रभार ग्रहण करेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)"

श्री राम समुझ तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 7 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय :

"(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त शासक अपनी नियुक्ति के दिनांक से या उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक से पांच मास के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार समिति को प्रबन्ध उससे ग्रहण करने के लिये, प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उस अवधि को जिसमें प्रशासक को विधि न्यायालय के किसी आदेश से ऐसा करने से रोका जाय, पांच मास की उक्त अवधि की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय :

"(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त शासक अपनी नियुक्ति के दिनांक से या उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक से पांच मास के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार समिति का प्रबन्ध उससे ग्रहण करने के लिये, प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उस अवधि को जिसमें प्रशासक को विधि न्यायालय के किसी आदेश में ऐसा करने से रोका जाय, पांच मास की उक्त अवधि की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 7 और खंड 8 विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 9–10

नयी धारा 31–क का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायेगी अर्थात् :—

शीर्षक समितियों के लिए सचिव के स्थान पर प्रबन्ध–निदेशक की नियुक्ति

31–क—(1) प्रत्येक शीर्ष समिति के सचिव के स्थान पर एक प्रबन्ध–निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट प्रथम वर्ग के अधिकारी से अनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा, और उसकी सेवायें समिति में प्रतिनियुक्ति पर समझी जायेंगी और उसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित वेतन और भत्ता समिति के निधि से दिया जायगा।

(2) प्रबन्ध–निदेशक प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य होगा और उसे मतदान का अधिकार होगा।

(3) किसी शीर्ष समिति के सम्बन्ध में अधिनियम में सचिव के प्रति समस्त निर्देश, जहां कहीं व्यवहार्य हो, प्रबन्ध–निदेशक के प्रति निर्देश समझा जायगा।

(4) प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य–कार्यपालक अधिकारी होगा और प्रबन्ध कमेटी के नियंत्रण में रहते हुए, उसका निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होगा, अर्थात् :—

(i) समिति के प्रशासन पर समान्य नियंत्रण रखना ;

(ii) प्रबन्ध कमेटी और सामान्य निकाय की बैठक बुलाना;

(iii) समिति की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और समिति की रोकड़ बाकी और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना ;

(iv) बचन–पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और संक्रमित करना और समिति की ओर से चेक और अन्य परक्राम्य संलेख का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर और परक्रमण करना ;

(v) समिति के दिनानुदिन कार्य और मामलों के सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी होना ;

(vi) समस्त जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना और बैंक में समिति का लेखा चलाना ;

(vii) समिति के पक्ष में समस्त बन्ध–पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना;

(viii) समिति के बजट प्राविधान के अधीन रहते हुए, ऐसे पदों का सृजन करना जिसके लिये वेतनमान का अधिकतम 1,250 रुपये से अधिक न हो और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड क माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों मे व्यवस्थित है ;

(ix) समिति के कर्मचारियों के अधिकार, कर्त्तव्य और उत्तर-दायित्व अवधारित करना ;

(x) समिति द्वारा या उसके विरुद्ध या अन्यथा समिति के मामले के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, संचालित, प्रतिवादित, प्रशमित या परित्यक्त करना और समिति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिये समय देना ;

(xi) ऐसे विनियमों के, यदि कोई हों, जिन्हें प्रबन्ध कमेटी बनाये, अधीन रहते हुए, बातचीत करना और निर्माण-कार्य के दौरान 50 लाख रुपये तक की प्रत्येक और उसके पश्चात् 25 लाख रुपये तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त किसी विषय के सम्बन्ध में समिति के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना ;

(xii) अपना अन्तिम नियंत्रण और प्राधिकार रखते हुए, किसी समिति के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने में निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना।"

धारा 34 का संशोधन

10––मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :––

"(7–क) इस अधिनियम में या किसी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी––

(1) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उपधारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई सरकारी सेवक या तो नाम से या शासकीय पदनाम से नाम–निर्दिष्ट किया जा सकता है ;

(2) शासकीय पदनाम से इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट कोई सरकारी सेवक प्रबन्ध कमेटी की किसी विशिष्ट बैठक में उपस्थित होने के लिये अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है, और ऐसे अधिकारी को कमेटी के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।"

श्री राम समुझ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 1 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 31–क की उपधारा (2) से शब्द "और उसे मतदान का अधिकार होगा" निकाल दिये जायं ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 'खंड 9 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 31-क की उपधारा (2) से शब्द "और उसे मतदान का अधिकार होगा" निकाल दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम समुझ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 9 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 31–क की वर्तमान उपधारा (4) म शब्द "प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और प्रबन्धक कमेटी के नियंत्रण मे रहते हुए, उसका निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होगा", के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और प्रबन्ध कमेटी और सभापति के ऐसे नियंत्रण में रहते हुए जैसा नियमों और समिति की उपविधियों में उपबन्धित किया जाय, उसका निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होगा,"।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 31–क की बर्तमान उपधारा (4) में, शब्द "प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और प्रबन्ध कमेटी के नियन्त्रण में रहते हुए, उसका निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होगा", के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और प्रबन्ध कमेटी और सभापति के ऐसे नियंत्रण में रहते हुए जैसा नियमों और समिति की उपविधियों में उपबन्धित किया जाय, उसका निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होगा,"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम समुझ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 9 द्वारा मल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 31–क की उपधारा (4) में, खण्ड (viii) के स्थान पर

[श्री राम समुझ तिवारी]

निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(viii) समिति के बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुए तीन मास की अवधि के लिये, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाए गये विनियमों में व्यवस्थित है,"।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 31-क की उपधारा (4) में, खण्ड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-

"(viii) समिति के बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुए तीन मास की अवधि के लिये, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों में व्यवस्थित है,"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम समुझ तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 9 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 31-क की उपधारा (4) के खन्ड (XI) में, अंक व शब्द "50 लाख" के स्थान पर शब्द "5 लाख" तथा अंक व शब्द "25 लाख" के स्थान पर शब्द "2 1/2 लाख" रख दिये जायं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 31-क की उपधारा (4) के खण्ड (XI) में, अंक व शब्द "50 लाख" के स्थान पर शब्द "5 लाख" तथा अंक व शब्द "25 लाख" क स्थान पर शब्द "2 1/2 लाख" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 9 और खण्ड 10 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड— 11

धारा 35 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(क) उप-धारा (1) में—

(i) शब्द "और नियत रीति से उक्त प्रयोजन के लिए बुलाई गयी सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात्" निकाल दिए जायेंगे ;

(ii) प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा ;

(ख) उपधारा (2) में—

(i) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "अवक्रान्त न की जाय तो उसे पुन : स्थापित किया जायगा" के स्थान पर शब्द "अपने के निलम्बन के दिनांक से छ : मास के भीतर अवक्रांत न की जाय तो उसे पुन : स्थापित किया जायगा," रखे जायेंगे ;

(ii) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जिस अवधि में उपधारा (1) के अधीन या इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के किसी आदेश से स्थगित रहे उस अवधि को छ : मास की उक्त अवधि की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायगा।"

(iii) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—समिति के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए इस उपधारा के अधीन की जाने वाली व्यवस्था में उपधारा (3) में उल्लिखित प्रकार की कोई व्यवस्था सम्मिलित हो सकती है, और उपधारा (4) और (5) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

(ग) उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से" निकाल दिए जायेंगे, और शब्द "और बढ़ाई गई कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी" के स्थान पर शब्द "और, भले ही अवक्रमण की अवधि या बढ़ाई गई अवधि समाप्त हो गई हो, इस प्रकार अवधि बढ़ाई जा सकती है" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जाएंगे।

श्री राम समुझ तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 11 निकाल दिया जाय तथा पश्चात्वर्ती खण्ड 12 से 23 को पुन : संख्यांकित करके खण्ड 11 से 22 कर दिया जाय।"

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खण्ड 11 निकाल दिया जाय तथा पश्चात्वर्ती खण्ड 12 से 23 को पुन : संख्यांकित करके खण्ड 11 से 22 कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 12 से 16

12—मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :— नयी धारा 35-क का बढ़ाया जाना

"35-क—(1) इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां दो लगातार सहकारी वर्षों के लिए (जिसके अन्तर्गत इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व की कोई अवधि भी है) —

(क) किसी प्रारम्भिक समिति का, जो ऋण समिति है, किसी सहकारी वर्ष में अपने सदस्यों के विरुद्ध कुल देयों का सत्तर प्रतिशत से अधिक ऐसे वर्ष के अन्त में अदत्त रह जाय, या

(ख) किसी ऐसे वर्ष के अन्त में बाकीदार सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के ऋणी सदस्यों की कुल संख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक हो जाय,

वहां किसी ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति और सभी सदस्य उपधारा (3) के अधीन आदेश प्रभावी होने पर इस रूप में अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जिस प्रकार वे किसी प्रारम्भिक ऋण समिति पर लागू होते हैं, वित्त पोषण बक पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों "सत्तर प्रतिशत" के निर्देश को "साठ प्रतिशत" के निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(3) किसी समिति या बैंक के सम्बन्ध में, जैसा कि उपधारा (1) या उपधारा (2) म निर्दिष्ट है, निबन्धक ऐसी समिति या बक के, जिसे वह उपयुक्त समझे, कार्यों के प्रबन्ध के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे और धारा 35 की उपधारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—सन्देह को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निबन्धक के लिए इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति और अन्य सदस्यों को या सामान्य निकाय को नोटिस जारी करना या कारण बताने का कोई अवसर देना आवश्यक न होगा।"

धारा 44 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द और कोष्ठक "(जिसे इस अध्याय में आगे 'शीर्ष समिति' कहा गया है)" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 45 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 45 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द और कोष्ठक "(जिसे आगे इस अध्याय में 'केन्द्रीय समिति' कहा गया है)" निकाल दिए जायेंगे।

नयी धारा 71-क का बढ़ाया जाना

15—मूल अधिनियम के अध्याय 9 में, धारा 71 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

"71-क—(1) यदि कोई सहकारी समिति (जिसे आगे इस धारा में ऋणी समिति कहा गया है) अपने ऋण का भुगतान किसी अन्य सहकारी समिति को (जिसे आगे इस धारा में ऋणदाता समिति कहा गया है) इस कारण करने में असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने धन का भुगतान करने में चूक किया है और ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी ने अपने सदस्यों से प्राप्य धन की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही करने में लोप या उपेक्षा बरती है तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऋणदाता समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त कमेटी को चूक करने वाले सदस्यों के विरुद्ध धारा 70 या, यथास्थिति, धारा 92 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने के निदेश दे सकती है।

ऋणदाता समिति का ऋणी समिति और उसके सदस्यों के विरुद्ध अधिकार

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन उस नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर ऋणी समिति की

प्रबंध कमेटी नहीं करती है, तो चूक करने वाले ऐसे सदस्यों के विरुद्ध ऋणदाता समिति स्वयं धारा 70 या, यथास्थिति, धारा 92 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है मानों वह ऋणदाता समिति के सदस्य हों और उस दशा में इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियम और ऋणी समिति की उप विधियों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त उपबन्धों में ऋणी समिति और उसकी प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश ऋणदाता समिति और उसके प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश हों।

(3) जहां ऋणदाता समिति ने ऋणी समिति द्वारा देय किसी धन के सम्बन्ध में ऋणी समिति के विरुद्ध धारा 92 में निर्दिष्ट अभिनिर्णय या आदेश प्राप्त कर लिया है, वहां ऋणदाता समिति इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार या तो ऋणी समिति की परिसम्पत्तियों से, या उसके सदस्यों से ऋणी समिति को उनसे प्राप्य ऋण की मात्रा तक, या दोनों से ऐसे धन की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकती है।"

नयी धारा 95-क का बढ़ाया जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 95 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

"95-क (1) निबन्धक, धारा 34 में निर्दिष्ट समिति या ऋण कृषि समिति द्वारा किसी सदस्य को दिए गए किसी ऋण या उसकी किसी किस्त की बकाया की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र देने पर और ऐसे ऋण के सम्बन्ध में लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् देय धनराशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

कृषि समिति के देयों की वसूली के लिए विशेष उपबन्ध

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अन्तिम और देयों का निश्चायक सबूत होगा, जिसे मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।"

श्री राम समुझ तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 12 (जो पुनः संख्यांकित करके खण्ड 11 हो गया है) में, स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।"

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खण्ड 12 (जो पुनः संख्यांकित करके खण्ड 11 हो गया है) में, स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 12 तथा खण्ड 13, 14, 15 और 16 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 17 से 22

धारा 103 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 103 में, उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (क) में अंक "6" निकाल दिया जायगा ;

(ii) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(ख) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (2), खण्ड (3) या खण्ड (6) के अधीन अपराध करता है दोष सिद्धि पर किसी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थ दण्ड का भी भागी होगा जो तीन हजार रुपए तक हो सकता है ;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।"

नयी धारा 117-क का बढ़ाया, जाना

18—मूल अधिनियम की धारा 117 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में मुकदमों पर होने वाले व्यय का नियन्त्रण

"117-क—धारा 29, धारा 34, धारा 35 या धारा 35-क के अधीन निबन्धक या राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जाय या दिया जाना भावित हो उसके विरुद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा किसी न्यायालय में दायर की गयी या संस्थित किन्हीं कायवाहियों का खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय निबन्धक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।"

नयी धारा 122-क का बढ़ाया जाना

19—मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय सेवाओं का केन्द्रीयकरण

"122-क—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे, ऐसी सहकारी समितियों के लिए सर्वसामान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिए उपबन्ध नियमों द्वारा कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती की प्रणाली और सेवा की शर्तों को नियत कर सकती है।

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों के कर्मचारी यदि उपयुक्त पाए जाएं, अस्थायी रूप से या अन्तिम रूप से सेवा में आमेलित किए जाएंगे, जब तक कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को उस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना न दे दे और अन्य कर्मचारियों

की सेवायें नियत रीति से समाप्त हो जाएंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई कर्मचारी उपर्युक्त नोटिस देता है, वहां समिति में उसकी सेवायें ऐसी नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जाएंगी और वह समिति से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो —

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसकी सेवा के तीन मास की अवधि के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, उसके वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ता भी है) के बराबर होगा ;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसकी सेवा के एक मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, उसके वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ता भी है) के बराबर होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति का उक्त सेवा में सम्मिलित पद से भिन्न किसी पद पर स्वत्व (लीएन) हो वहां वह उस पद पर, जिस पर उसका स्वत्व है, प्रतिवर्तित किए जाने का हकदार होगा और यदि वह इस प्रक र प्रतिवर्तित होता है तो वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।"

धारा 125 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 125 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "सम्बद्ध समितियों को सुनवाई का एक और अवसर देने के पश्चात्" निकाल दिए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "सभी समितियों के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं द्वारा उपधारा (3) में अभिदिष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास" के स्थान पर शब्द "धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन" रखे जाएंगे।

धारा 126 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 126 में,—

(क) उपधारा (2) में शब्द, "सम्बद्ध समिति को सुनवाई का एक और अवसर देने के पश्चात्" निकाल दिए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "समिति के सभी सदस्यों तथा ऋणदाताओं द्वारा उपधारा (3) में अभिदिष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास" के स्थान पर शब्द "धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन" रखे जाएंगे।

कतिपय अनर्ध्यथित निक्षेप का संस्थान को अन्तरण

22—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में (जिसे यहां आगे बैंक कहा गया है) उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की ओर से राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 3072-एस(2)/12-सी–188-1948, दिनांक 24 नवम्बर, 1948 और संख्या 3321-एस/12-सी—188–1948, दिनांक 19 जनवरी, 1949 के अनुसरण में सावधि निक्षेप के रूप में जमा की गयी समस्त धनराशि, उस पर ब्याज सहित, जो 24 नवम्बर, 1975 को सम्बद्ध गन्ना उत्पादकों द्वारा अध्यर्थित न हो, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान को (जिसे आगे संस्थान कहा गया है)

ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करें, बैंक द्वारा दी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्तरित की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में बैंक और संस्थान के मध्य कोई विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायगा, और उसका विनिश्चिय अन्तिम होगा और उससे दोनों बाध्य होंगे।

(3) संस्थान इस प्रकार प्राप्त धनराशि को एक पृथक लेखा में रखेगा, और उसको, यथास्थिति, जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों की ओर से न्यास के रूप में रखगा।

(4) बैंक द्वारा संस्थान को उक्त धनराशि का भुगतान किए जाने पर, बैंक केवल इस प्रकार भुगतान की गयी राशि की सीमा तक अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगा, और जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों को उसका भुगतान करने का दायित्व उपर्युक्त सीमा तक संस्थान को अन्तरित हो जायगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन संस्थान को भुगतान होने पर यथाशीघ्र, संस्थान एक सामान्य नोटिस, जिसमें ऐसे सभी विवरण होंगे, उस रीति से, जिसका निदेश राज्य सरकार आदेश द्वारा दे, प्रकाशित करेगा कि संस्थान को इस प्रकार अन्तरित धनराशि में से उनको देय भुगतान के लिए यथास्थिति, जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों के दावे (जो नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे) आमन्त्रित किए जाते हैं।

(6) सामान्य नोटिस के अनुसरण में प्राप्त कोई दावा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी ऐसे अधिकारी द्वारा (जिसे आगे अध्यर्थना प्राधिकारी कहा गया है) जो सहायक गन्ना आयुक्त के निम्न श्रेणी का न हो, विनिश्चित किया जाएगा।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन अध्यर्थना प्राधिकारी द्वारा कोई दावा अस्वीकार कर दिया जाय, तो अध्यर्थी को उस जिले के, जिसमें जमाकर्ता गन्ना उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य था, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

(8) उपधारा (6) के अधीन अध्यर्थना प्राधिकारी का विनिश्चय, उपधारा (7) के अधीन किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा, और ऐसी अपील में, यदि कोई हो, जिला न्यायाधीश का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

(9) संस्थान को अन्तरित की गयी राशि में से, कोई राशि, जिसके लिए सामान्य नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई दावा न किया गया हो, या जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रकार से प्रस्तुत दावा को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो, परित्यक्त सम्पत्ति समझी जायगी और स्वामीहीन रिक्थ के रूप में राज्य में निहित हो जाएगी और वह ऐसी निधि में, जिसे उत्तर प्रदेश गन्ना विकास निधि कहा जायगा, अन्तरित हो जाएगी और उसका भाग समझी जाएगी।

(10) गन्ना की खेती के विकास, अनुसन्धान और प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए और गन्ना उत्पादकों के लिए सामान्य उपयोगिता के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जैसा गन्ना आयुक्त समय-समय पर निदेश दें, वह निधि संस्थान में निहित होगी और उसके द्वारा रखी और प्रशासित की जायगी।

श्री राम समुझ तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 17(ii) (ग) में शब्द "अजमानतीय" के स्थान पर शब्द "जमानतीय" कर दिया जाय।"

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खण्ड 17(ii)(ग) में शब्द "अजमानतीय" के स्थान पर शब्द "जमानतीय" कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 17 व खण्ड 18, 19, 20, 21 तथा 22 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 23

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 3, 1976 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26, 1975 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36, 1975

निरसन और अपवाद

23—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन और उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1975, और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों का उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बक लिमिटेड में निक्षप (अनध्यर्थित निक्षेप के लिए न्यास) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, कोई कार्य या कोई कार्यवाही, जो

(क) उक्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया हो या की गयी हो, उसे इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस प्रकार संशोधित मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन किसी समिति के प्रशासन के लिए कोई तदर्थ कमेटी निबन्धक द्वारा नियुक्त की गयी थी, वहां वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो सप्ताह के भीतर तदर्थ कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करेगा और जब तक ऐसा प्रशासक नियुक्त न किया जाय तब तक प्रबन्ध कमेटी के केवल वर्तमान कर्त्तव्यों का भार तदर्थ कमेटी ग्रहण करेगी ; या

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36, 1975

(ख) उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों का उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में निक्षेप (अनध्यर्थित निक्षेप के लिए न्यास) अध्यादेश, 1975 के अधीन किया गया हो या की गयी हो, उसे इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी ;

मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री राम समुझ तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 23(2)(क), जो पुन : संख्यांकन के पश्चात् खण्ड 22(2)(क) होगा, में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्त में आया हुआ शब्द "या" निकाल दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष का केन्द्रीय समिति मे भिन्न किसी समिति के सम्बन्ध में जहां निबन्धक ने प्रशासक नियुक्त किया है, वहां वह यदि उचित समझे, बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी को समिति का प्रबन्ध पुन : सौंप सकता है, किन्तु इससे उक्त उपधारा (4) के अधीन पुन : कार्य करने के लिए, जब कभी वह ऐसा करना उचित समझे, उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, या"।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 23(2)(क), जो पुन: संख्यांकन के पश्चात् खण्ड 22 (2)(क) होगा, में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्त में आया हुआ शब्द "या" निकाल दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष का केन्द्रीय समिति से भिन्न किसी समिति के सम्बन्ध में जहां निबन्धक ने प्रशासक नियुक्त किया है, वहां वह यदि उचित समझे, बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी को समिति का प्रबन्ध पुन: सौंप सकता है, किन्तु इससे उक्त उपधारा (4) के अधीन पुन: कार्य करने के लिए, जब कभी वह ऐसा करना उचित समझे, उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, या"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 23 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय अनध्यर्थित धनराशि के सम्बन्ध में न्यास सृजित करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) धारा 7 को 16 फरवरी, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा, धारा 9 ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार तदर्थ अधिसूचना द्वारा नियुक्त करें, धारा 22 को 24 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा और शेष धारायें 3 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 यथा संशोधित, पारित किया जाय।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। पिछले दिनों से मैं बराबर कहता चला आ रहा हूं और वह बात आज सार्थक हुई है। ये लोग अपनी पार्टी के अन्दर बैठ कर न तो कोई सलाह मशविरा करते और न ही इस प्रकार का उनको मौका देते और इस तरह के विधेयक यहां ले आते हैं और फिर पता चलता है कि इसमें ये—ये चीजें रह गई हैं।

आप देखें कि जो बात मैं कह रहा था, वह सच हो रही है। एक स्टीम रोलर की तरह से चलते हैं उसका क्या नतीजा होगा यह नहीं सोचते हैं। प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिये सोच विचार करना जरूरी होता है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

ऐसी बात नहीं है। माननीय राममूर्ति जी को भ्रम हो गया। मैंने तो यह किया कि पार्टी के अलावा भी जितने प्रान्त भर के कोआपरेटर थे, उनसे सलाह ली। जहां पहले मैनेजिंग डायरेक्टर को वोट देने का अधिकार था उसे हटाया गया और ऐसे ही 50 लाख के स्थान पर 5 लाख कर दिया। तो यह सब सलाह मशवरा करने के बाद ही हुआ। वह इस बात को पसंद करेंगे कि मैंने न सिर्फ अपने साथियों से सलाह ली बल्कि प्रान्त भर के कोआपरेटर्स से भी सलाह ली। उसके बाद भी यह शिकायत करते हैं।

श्री राम मूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, तो मेरी बात ठीक हुई या इनकी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय जहां पर दोनों तरफ के सदस्य होंगे उनको हर चीज को देखने का मौका मिलेगा। यह अच्छा नहीं है कि जल्दी में काम कर दो और फिर संशोधन आए।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जल्दी की बात नहीं है। यह तो आर्डिनेन्स आया था। इसमें जितना हम एकोमोडेट कर सकते हैं वह हमने किया है।

श्री राम मूर्ति—

आर्डिनेन्स लाना भी बुरी बात है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

वह आपकी राय है। सब लोगों से पूछ कर उसमें सुधार किया गया उसके बाद भी आपको शिकायत है।

श्री राम मूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बिल के बारे में शिकायत नहीं है और न एमेंडमेंट के बारे में शिकायत है। शिकायत सिर्फ यह है कि बिना सोचे समझे काम कर देते हैं। अंधाधुंध काम करते हैं और फिर बाद में गलतियां रह जाती हैं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

कानून में तो हमेशा यह बात रहेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 यथा संशोधित पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर प्रवर समिति में कार्य करने हेतु सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर नियुक्त प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य रखे जाएं :—

सर्वश्री—(1) गोविन्द सिंह नेगी, (2) बालकृष्ण सनवाल, (3) गुलाब सिंह, (4) जंग बहादुर सिंह (अतरौलिया), (5) रघुनाथ सिंह, (6) देव बहादुर सिंह,

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

(7) श्रीमती सरस्वती टम्टा, (8) सर्वश्री गोविन्द सिंह मेहरा, (9) चौधरी छेदालाल, (10) गोपाल दत्त ओझा, (11) भारत सिंह, (12) गोविन्द प्रसाद गैरौला, (13) शिवानन्द नौटियाल, (14) बेचन राम, (15) जंग बहादुर सिंह पटेल, (16) यादवेन्द्र सिंह, (17) दयाकिशन पाण्डेय, (18) त्रिवेणी सहाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर नियुक्त प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य रहेंगे :—

सर्वश्री गोविन्द सिंह नेगी, बालकृष्ण सनवाल, गुलाब सिंह, जंग बहादुर सिंह, (अतरौलिया), रघुनाथ सिंह, देवबहादुर सिंह, श्रीमती सरस्वती टम्टा, सर्वश्री गोविन्द सिंह मेहरा, चौधरी छेदा लाल, गोपाल दत्त ओझा, भारत सिंह, गोविन्द प्रसाद गैरोला, शिवानन्द नौटियाल, बेचन राम, जंगबहादुर सिंह पटेल, यादवेन्द्र सिंह, दयाकिशन पाण्डेय, त्रिवेणी सहाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) विधेयक, 1976†

न्याय मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(इस समय 1 बजकर 41 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह विधेयक इस दृष्टि से लाया गया कि जो सरकारी कर्मचारियों के सिलसिले में साक्षियों को लाने की बात है या डाकूमेंट प्रोड्यूस करने की बात है, वह अब तक सन् 1953 के ऐक्ट के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित थी परन्तु अब इसके माध्यम से, जो स्टेच्यूट के माध्यम से कारपोरेशन बनेंगे या इसके साथ-साथ जो स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थानों के अन्य कर्मचारी हैं, वे सब भी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। जो विभागीय जांच होगी, उसमें भी साक्षी और डाकूमेंट पेश करन के लिए उसको अधिकार दिया जा रहा हैं। इसके साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि जो सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाते हैं या अवकाश प्राप्त कर लेते हैं उनके सेवाकाल में यदि कोई गड़बड़ी हुई है, गबन हुआ है, जिसके कारण सरकार को या स्थानीय निकाय, कारपोरेशन या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को, नुकसान उठाना पड़ा है, तो इस रुपए की वसूली के सम्बन्ध में उनकी पेन्शन से कटौती करने की बात तथा दूसरी बात का प्राविधान इस विधेयक में किया गया है। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि आज के संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों को ठीक तरह से काम करना चाहिए और इस सिलसिले में जो ऐसे कर्मचारी हैं, जो दोषी हैं अपने कर्त्तव्य पालन में, उनके खिलाफ ठीक प्रकार से कार्यवाही चल सके, उसके लिए यह आवश्यक है। उनके खिलाफ कार्यवाही करने से सम्बन्धित व्यवस्था करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नही होंगी। इसको पास करने मे कोई दिक्कत नहीं होनी, चाहिए।

---

†1 अप्रैल, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) विधेयक, 1976 जसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7

विभागीय जांच, जिन पर अधिनियम लागू होगा

2—इस अधिनियम के उपबन्ध उस व्यक्ति के सम्बन्ध में की गयी प्रत्येक विभागीय जांच पर लागू होंगे:—

(क) जो व्यक्ति राज्य की किसी असैनिक सेवा के सदस्य हैं या राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करते हैं,

(ख) जो व्यक्ति निम्नलिखित की सेवा में हैं या उनके अधीन कोई पद धारण किए हुए हैं :—

(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(2) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण का कोई बोर्ड या निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत कोई कम्पनी न हो) ;

अधिनियम संख्या 1; 1956

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार समादत्त अंश-पूंजी के पचास प्रतिशत से अन्यून को धारण किए हैं या ऐसी सरकारी कम्पनी की समनुषंगी कोई कम्पनी ;

अधिनियम संख्या 21; 1860

(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में, सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतया लोक अधिकारी या राज्य सरकार के नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, या दोनों हैं ;

(ग) जो व्यक्ति खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य या किसी पद के धारण करने वाले न रह गए हों, उनके उस समय के कार्य या लोप के सम्बन्ध में जब कि वे ऐसी सेवा के सदस्य या ऐसे पदों के धारण करने वाले थे ।

परिभाषाएं

3—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विभागीय जांच" का तात्पर्य धारा 2 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच से है, जो :—

(i) राज्य विधान मन्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम ; या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए, या अनुच्छेद 313 के अधीन जारी रखे गए किसी नियम,

के अधीन और अनुसार की जायं ;

(ख) "जांचकर्ता प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के द्वारा या अधीन विभागीय जांच करने के लिए सशक्त है, और उसके अन्तर्गत वह

अधिकारी या प्राधिकारी भी है, जिसको सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी जांच करने की शक्ति प्रतिनिहित कर दी है ;

(ग) "आरोप" के अन्तर्गत कोई ऐसा अभिकथन भी है जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जब वह सेवा में हो या जब वह कोई पद धारण करता हो, अनुशासनिक कार्यवाही करना प्रस्तावित हो या, जहां वह सेवा में न रह गया हो या पद न धारण कर रहा हो, वहां कोई दुराचरण या उपेक्षा भी है, जिसके कारण पेन्शन को या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने के लिए या सेवायोजक की किसी आर्थिक हानि को पेन्शन से वसूल करने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित हो।

प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति

4 —(1) प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् :— अधिनियम सख्या 5, 1908

(क) किसी साक्षी को समन करना और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो :

(ग) किसी विशेषाधिकार की अभ्यर्थना के अधीन (जिसके सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी किन्तु उसकी धारा 162 लागू न होगी), किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभियाचना करना। अधिनियम संख्या 1, 1872

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत जांचकर्त्ता प्राधिकारी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सब्सिडियरी बैंक) ऐक्ट, 1959 की धारा 2 के खण्ड (के) में यथा-परिभाषित किसी समनुषंगी बैंक, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित किसी समरूपी नए बैंक को :— ऐक्ट संख्या 38; 1959 अधिनियम संख्या 5, 1970

(क) कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज को, जिसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, समनुषंगी बैंक या समरूपी नया बैंक गोपनीय प्रकार का होने का दावा करे, पेश करने, या

(ख) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को विभागीय जांच की कार्यवाहियों के अभिलेख का अंग बनाने; या

(ग) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को, यदि पेश किया जाय, अपने समक्ष किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण कराने ;

के लिए बाध्य नहीं करेगा।

(3) किसी साक्षी की हाजिरी या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी की गई कोई आदेशिका या तो सीधे (डाक द्वारा या सन्देशवाहक द्वारा) या उस जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील और निष्पादित की जा सकती है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह साक्षी या अन्य व्यक्ति, जिस पर आदेशिका तामील या निष्पादित की जानी है, स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है।

(4) जहां कोई आदेशिका, उपधारा (3) के अनुसार जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील या निष्पादित की जाय वहां वह, उसकी अवज्ञा के लिए कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ, जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा जारी की गई आदेशिका समझी जायगी।

अधिनियम संख्या 5, 1908

(5) जहां कोई आदेशिका उत्तर प्रदेश डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग्स (ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा जारी की जाय, और उसको जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किए बिना तामील और निष्पादित किया जाय, वहां ऐसी किसी आदेशिका की अवज्ञा के लिए कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ अधिकरण को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में आदेश 16 के नियम 10 से 18 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

अधिनियम संख्या 2, 1974

(6) इस अधिनियम के अधीन विभागीय जांच करने वाला प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायगा।

क्षेत्र सीमाएं जिनमें धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा

5—धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता इस अधिनियम के बिस्तार पर्यन्त क्षत्रीय सीमाओं तक विस्तृत होगी।

नियम बनाने की शक्ति

6—राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1953

7—(1) उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, 1953 दिनांक 17 सितम्बर, 1975 से निरसित किया जाता ह।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, 1976

(2) उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(3) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत दिनांकों पर प्रवृत्त था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) विधेयक, 1976

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कतिपय विभागीय जांच में साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 17 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) विधेयक, 1976 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों का मत है कि मद्यपान का कितना बुरा असर खासतौर से जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं, उन पर पड़ता है। इसलिए इसको रोकने के लिए, यह किया गया है। जो विज्ञापन लगा कर प्रचार करते हैं, मान्यवर, विधेयक बड़ा स्पष्ट है, केवल मदिरा पान रोकने के लिए और उसमें किसी प्रकार का प्रचार न हो, बल्कि हमारा प्रयास है कि मद्य-निषेध की दिशा में हमारा प्रचार हो। जो हमारे बड़े-बड़े होर्डर बोर्ड लगाकर प्रचार करते हैं, उसके स्थान पर मद्य-निषेध का प्रचार करेंगे। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

---

†1 अप्रैल, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 12

परिभाषाएं

2--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "विज्ञापन" के अन्तर्गत कोई मुद्रित, साइक्लोस्टाइल, टाइप किया हुआ, हाथ से लिखा हुआ या रंग से तैयार किया हुआ पदार्थ या रेखांकन या चित्रांकन है और ऐसे पदार्थ, रेखांकन या चित्रांकन का किसी सार्वजनिक स्थान में किसी दीवाल, भवन या विज्ञापन-पट पर वितरण या प्रदर्शन अथवा चलचित्र प्रदर्शन, निआन साइन या अन्य प्रकार से प्रकाश या ध्वनि उत्पन्न या प्रसारित करके प्रख्यापन भी है ;

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, 1910

(ख) "आबकारी निरीक्षक" या अन्य "आबकारी अधिकारी" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 10 के अधीन नियुक्त आबकारी निरीक्षक या अन्य आबकारी अधिकारी से है;

अधिनियम संख्या 23, 1940

(ग) "मादक पान" के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में यथा परिभाषित औषधि नहीं है।

मादक पान सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रतिषेध

3--कोई भी व्यक्ति किसी मादक पान के उपयोग के लिए निवेदन या उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत करने वाला कोई विज्ञापन न तो प्रकाशित करेगा और न प्रकाशित कराएगा।

स्पष्टीकरण--किसी ऐसे भू-गृहादि में, जहां मादक पान बनाया या बेचा जाता हो या बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता हो, किसी ऐसे साइन बोर्ड को, जिस पर केवल यह इंगित हो कि उस भू-गृहादि में ऐसा मादक पान बनाया या बेचा जाता है या बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और ऐसे भू-गृहादि में रखे गए या अनुरक्षित ऐसी मादक पान के सूची-पत्र या मूल्य-सूची को उक्त विज्ञापन का प्रकाशन नहीं माना जायगा।

उपधारणा

4--जहां धारा 3 का उल्लंघन करके मादक पान सम्बन्धी कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो, वहां यह उपधारणा की जायगी कि जब तक इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय जिस व्यक्ति की ओर से उसका प्रकाशन अभिप्रेत है, उस व्यक्ति ने उस विज्ञापन को प्रकाशित किया या कराया है।

सारवान वस्तुओं का जिसमें प्रकाशित विज्ञापन हों; निरीक्षण और अभिग्रहण करने की शक्ति

5--(1) इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई भी आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो,--

(क) किसी ऐसे स्थान में, जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है या किया

जा रहा है, ऐसी सहायता के साथ यदि कोई, हो, जिन्हे वह आवश्यक समझे, किसी समय जो युक्तियुक्त हो, प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है ;

(ख) किसी विज्ञापन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी वस्तु को जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लघंन होता है, अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है ;

(ग) खण्ड (क) में उल्लिखित किसी स्थान में पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या कोई अन्य सारवान वस्तु की, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके इस अधिनियम के अधीन दन्डनीय कोई अपराध किए जाने का साक्ष्य मिल सकता है, परीक्षा कर सकता है और उसे अभिगृहीत कर सकता है।

(2) जहां कोई अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत करता है, वहां ऐसे अभिग्रहण की सूचना तुरन्त मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, और उसकी अभिरक्षा और निस्तारण के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 34 के उपबन्ध, उसमें निर्दिष्ट सम्पत्ति पर जिस प्रकार लागू होते हैं, उसी प्रकार लागू होंगे।

शास्ति

6—धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष होने पर कारावास का, जो छ : मास तक का हो सकता है, अथवा जुर्माना का, अथवा दोनों दंड दिया जायगा। अधिनियम संख्या 2; 1974.

कम्पनियों द्वारा अपराध

7—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंड दिए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्पत्ति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और उसके अन्तगत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; तथा

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का अन्वेषण

8—(1) कोई आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है, जो उस क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत किया गया हो, जिसमें वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, और ऐसे अन्वेषण के बारे में उसकी शक्ति वही होगी, जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय मामले में होती है और वह विशेषतया किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उक्त अन्वेषण कर सकता है।

अधिनियम संख्या 2, 1974

(2) अन्य बातों में, गिरफ्तारी, तलाशी, तलाशी वारन्ट, गिरफ्तार व्यक्तियों की पेशी और अपराधों के अन्वेषण से सम्बन्धित उक्त संहिता के उपबन्ध यथासम्भव, इस अधिनियम के अधीन उनके सम्बन्ध में की गई सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण

9—इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अपराधों का शमन करने की शक्ति

10—(1) जिला मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध इस बात का युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में यह सन्देह हो कि उस व्यक्ति ने किया है, शमन स्वरूप ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, ले सकता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी धनराशि को भुगतान करने पर संदिग्ध व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) इस धारा के उपबन्ध वहां भी लागू होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन या किसी अपराध के लिए दोष-सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन हो, और ऐसे मामले में इस धारा के अधीन ऐसे अपराध के शमन के फलस्वरूप वह अभियुक्त, जिसके प्रति अपराध का शमन किया जाय, दोष मुक्त हो जायगा।

नियम बनाने की शक्ति

11—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 6, 1976

12—(1) उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 33, 1975

(2) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री उपाध्यक्ष—

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किए जाने पर)

श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--
मान्यवर, कोरम ही नहीं है, हां की संख्या की क्या बात है ?

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन : आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 ?....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--
मान्यवर, अभी तो कोरम पूरा हुआ ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--
हो गया। सूचना मिली है।

श्री त्रिवेणी सहाय--
मेरा मत है कि कम है।

श्री उपाध्यक्ष--
मेरे अतिरिक्त संख्या 42 है, कोरम पूरा है। प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

चलचित्र प्रदर्शन द्वारा और सार्वजनिक स्थानों में दीवालों, भवनों तथा विज्ञापन-पटों पर मादक पान के विज्ञापन को प्रतिषिद्ध करन तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: --

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह--
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

कार्यसूची 17। माननीय आबकारी मन्त्री।

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

मैं अनुरोध करूंगा कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। इसको मैं पेश नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

स्थगित हुआ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 †

राजस्व राज्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें अलकोहल पर जो बिक्री कर लगा था, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। इसके अतिरिक्त और कोई खास बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2-3

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1939 की प्रस्तावना का संशोधन

2---संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, प्रस्तावना में शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल की फुटकर बिक्री" के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल की बिक्री या क्रय" रख दिये जायेंगे और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3---मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात् :---

"(1) दिनांक 2 मई, 1974 से---

(क) राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की प्रथम बिक्री पर, मोटर स्प्रिट की स्थिति में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल आयल की स्थिति में 10 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायगा और ऐसे कर का भुगतान ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा, नियत रीति के किया जायगा,

---

† 1 अप्रैल, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

(ख) राज्य में अलकोहल के प्रथम क्रय पर प्रथम दस लाख लीटर के लिए 40 पसे प्रति लीटर की दर से और शेष के लिए 20 पसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायगा जो क्रेता द्वारा देय होगा, और जिसका संग्रह और भुगतान नियत रीति से राज्य सरकार को किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी द्वारा मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की कोई बिक्री, जो राज्य में उसकी प्रथम बिक्री दिनांक 2 मई, 1974 को या उसके पश्चात् हो, इस बात के होते हुए भी कि वह उक्त दिनांक के पूर्व राज्य के भीतर बिक्री के किसी अन्य संव्यवहार का विषय रही हो, इस उपधारा के प्रयोजनार्थ राज्य में उसकी प्रथम बिक्री समझी जायेगी।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रेतर संशोधन और उसके अधीन आरोपित कतिपय करों को विधिमान्य करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 †

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 का अननुमोदन करता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं इस अध्यादेश का बहुत कड़ाई से विरोध करना चाहता हूं। इसके बारे में सरकार ने दलील दी है कि :

"चूंकि केन्द्रीय सरकार के आदेश संख्या एस0ओ0-306(ई), 1975 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि कतिपय संगठनों पर जिसमें स्वयं सेवक संघ नामक संगठन भी सम्मिलित है, डिफेन्स ऐण्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इण्डिया रुल्स, 1971 का नियम 33 लागू होगा",

और चूंकि यह विदित है कि उक्त संगठन अर्थात् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या उसके सदस्य या समर्थक अनुसूची में विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्थायें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चला रहे हैं ;

यह कह कर एक अध्यादेश 3 जुलाई को निकाला गया। पहले तो केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाया और उसके बाद यह बात कही गई कि इन संगठनों के माध्यम से जो भी कार्य होता है, उन पर भी सरकार रोक लगाना चाहती है। अगर कोई संस्था देश के विरुद्ध कार्य करती है और वह चलती है तो आपको रोक लगाने का पूरा-पूरा अधिकार है लेकिन आपने इस कदम के उठाने के पूर्व यह विचार नहीं किया और न कोई विवेकपूर्ण कदम भी उठाया है। इन शिशु मन्दिरों को अपने हाथ में लेकर आपने एक तिकड़म खेली है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन मन्दिरों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? उस संस्था को रेकगनिशन किसने दिया और क्यों दिया, इस पर कभी विचार किया आपने? आप प्रेजुडिस होकर शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में लेने की बात जब करते ह तो मुझे तकलीफ होती है।

इसी विधान सभा में इधर और उधर के माननीय-सदस्य बराबर यह मांग करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाय, लेकिन आज तक सरकार ने इस बात का कोई निर्णय नहीं लिया बल्कि हमारे शिक्षा मन्त्री रामजीलाल सहायक जी ने कह दिया कि राष्ट्रीयकरण के नाम पर हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बन्द करके उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे शिशु मदिन्र चल रहे हैं उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। क्यों? चार्ज यह है कि यहां पर साम्प्रदायिक भावना फैलायी जाती थी। यहां पर लोगों के अन्दर भेदभाव पैदा किया जाता था।

मैं खुले आम कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो स्कूल सरकार चलाती है उनका मुकाबला सरस्वती शिशु मन्दिरों से किया जाय तब आप देखेंगे। हमने जनता का सहयोग लेकर पैसा इक्ट्ठा किया, स्कूल खड़े किए, रिक्शे खड़े किए और पूरे प्रदेश में बच्चों को पढ़ाने का एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो आज आदर्श रूप में है। वहां जो किताबें चलती हैं वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने नहीं छपवायीं, वह सरकार की ओर से छपीं हैं। क्या आप

---

†1 अप्रल, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

चाहते हैं कि हमारे देश के बालक राणा प्रताप के गीत न गायें, शिवाजी के गीत न गायें, भारत माता की जय न बोलें, क्या अबुल कलाम आजाद के नारे न लगायें ? क्या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न करें ? क्या बन्दे मातरम् का गीत न गायें ? अगर मुसलमानों को तंग करने की कोई बात होती तब तो मैं समझ सकता था। लेकिन हुआ क्या ? आर० एस० एस० पर प्रतिबन्ध लगाने के नाम पर आपने सोचा कि जल्दी से ऐसा काम किया जाय ताकि सब ठीक हो जाय और इसी बहाने आपने स्कूलों को, प्रेसों को, जहां-जहां आपको शक हुआ कि आर० एस० एस० का आदमी बैठा हुआ है, वहां-वहां आपने पहुंचने की कोशिश की और यही चीज आपकी तानाशाही की द्योतक है। रामायण राय जी यहां पर नहीं हैं लेकिन 5 अगस्त, 1961 को जब वह उप शिक्षा मन्त्री थे तो इसी सदन में उन्होंने एक बयान दिया था :

"अभी हमारे कुछ साथियों ने विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण की बात उठायी थी। आप जानते हैं कि गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि शिक्षा पर सरकार का प्रभुत्व कम से कम होना चाहिए और बहुत हद तक जहां तक बेसिक एजूकेशन का सवाल है, माध्यमिक शिक्षा का सवाल है, जो राज्य का आवलीगेशन है, जो राज्य का पुनीत कर्त्तव्य है, वह शिक्षा प्रदेश के हर नागरिक को मिले, उसका प्रबन्ध क्या हो, शिक्षा में राष्ट्रीयकरण की बात कहना मैं समझता हूं कि पीछे की ओर जाना है। हम समाजवाद में विश्वास करते हैं। हमें अपने प्रदेश को ऐसी शिक्षा पद्धति की ओर नहीं ले जाना चाहिए जिसमें शिक्षा का रेजिमेन्टेशन हो।"

क्या हाल ही में हमारे शिक्षा मन्त्री ने पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है ? रामायण राय जी होते तो मैं पूछता कि आप इन्हीं बेन्चों पर बैठ कर दलील देते हैं कि सरकार का शिक्षा में ज्यादा हाथ नहीं होना चाहिये। अगर आप ही सब काम करेंगे तो समाज की सेवा करने का जो हमारा भाव है, वह कहां चला जाएगा ? क्या हम स्कूल नहीं खोल सकते ? आर्य समाज वालों ने आखिर कितने स्कूल खोल रखे हैं ? उनके स्कूल चल रहे हैं, मगर हमारे स्कूल नहीं चलेंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज के आज कितने स्कूल चल रहे हैं, उनसे आपको खतरा नहीं है, जो भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिये कार्य करता है उससे आपको खतरा दिखायी देता है। आपके दिमाग में खाली एक ही बात आती है कि आर० एस० एस० पर प्रतिबन्ध लगा दो। मान्यवर, पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाया गया था तो सरदार पटेल ने उसे हटा दिया था। आपने आज इतने बड़े संगठन को खत्म करके उसके हजारों लोगों को जेलों में भर दिया है। उन पर चार्ज क्या है ? आप उनकी किताबें तो पढ़ियें।

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

कभी नहीं पढ़ेंगे, न जरूरत पड़ेगी पढ़ने की।

श्री त्रिवेणी सहाय--

आप न पढ़िये, लेकिन जमाना वह आयेगा जब आपको पढ़वा दिया जायेगा। आप उस मंच पर आ गये हैं जब देश की अखंडता, भिन्नता, अनुशासनहीनता की स्थिति आ गयी है। हमारे संघ के संस्थापक जिस अनुशासन की, अखडता की बात करते थे, आज वही तो आप भी कह रहे हैं। आज हर तरफ आपको अपना काल नजर आ रहा है। एक किस्सा है। देवकी के जब लड़का पैदा हुआ तो कंस को भय होने लगा कि वह उसका काल पैदा हो गया है। नारद ने कहा कि 8वा बच्चा तेरा काल होगा। यह जानने के लिये कि वह कौन सा होगा, नारद ने 8 फूल लाकर दिये, कहा कि जो 8वां फूल ह, वह काल होगा। उससे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन 8वां फूल है। तो कंस ने कहा कि सभी काल हैं, सभी को मार दो। इसी तरह आपको आज अपना काल समझ में ही नहीं आ रहा है, आप सभी को मारने पर तुले हुये है। आपकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह 8वां लाल कौन है।

मान्यवर, 22 दंगे हुये मगर यह बता दें कि किसी में भी आर0 एस0 एस0 का हाथ रहा हो या साबित हुआ हो। इस संघ का उद्देश्य सदा रहा है राष्ट्र को मजबूत करने का। हम कसरत करते थे किसी को मारने के लिये नहीं, अपने को मजबूत बनाने के लिये, राष्ट्र की सेवा करने के लिये। जिस समय मान्यवर, देश का बटवारा हुआ, लाखों शरणार्थियों ने यहां शरण ली, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कितना काम किया, यह सभी जानते हैं। महात्मा-गांधी के निवास स्थान पर पहरा आर0 एस0 एस0 के लोगों ने ही दिया था। जब कुछ लोग पार्लियामेन्ट को उ ाने की सोच रहे थे, उस समय उसकी रक्षा के लिये कौन आगे बढ़ कर आया था ? किसने बचाया था ? आप सब भूल गये। जब चीन की ल ाई हो रही थी, पाकिस्तान से भी युद्ध छिड़ा था, अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था कि इन्दिरा गांधी भारत माता हैं। तो देश की आजादी पर जब भी खतरा आया आर0 एस0 एस0 वालों ने हर तरह से आपका साथ दिया। जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने देश को आगे बढ़ाने की भावना से कार्य किया है, दलगत भावना से ऊपर उठ कर काम किया है और सब को देश के लिये काम करने की प्रेरणा दी है। क्या आप एक भी भाषण उनका दिखला सकते हैं जो कि देश द्रोहितापूर्ण हो ? आजादी के बाद से आपके कारनामे हमेशा ऐसे रहे हैं जो देश की एकता को मिटाने वाले रहे हैं। और देशभक्ति से लोगों को दूर हटाने वाले रहे हैं। देश का बटवांरा किसने करवाया, उस वक्त आपके मुंह पर ताले क्यों प े रहे ?

(व्यवधान)

असल बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी जब से इनके साथ हुई है, तब से श्रीमन, इनका दिमाग ही खराब हो गया। लड़ाई इस बात की नहीं है, ल ाई तो इस बात की है कि क्या आपने देश भक्तों को साथ लेकर देश को ऊपर उठाने की बात कभी सोची है ?

एक सदस्य--

सी0 आई0 ए0 के पैसे पर यह संस्था चल रही थी।

श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधान सभा में क्या किसी ऐसे संगठन की पैरोकारी की जा सकती है, जिसको गैरकानूनी करार दिया गया हो ?

श्री उपाध्यक्ष--

बैठने की कृपा करें, बोलने दें। यह कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

हमको और आपको, सभी को सोचना होगा कि इस देश को उठाने के लिये परिश्रम करना होगा, त्याग करना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। आजादी के बाद से आप क्या कर रहे थे ? अभी तक आप मौज मार रहे थे। आजादी के बाद से किसी भी जिले में एक भी ईमानदार कांग्रेसी नेता आपको मिल सकता है ? मैं अपने जिले की बात जानता हूं। जनता के अन्दर उन्होंने अपने नैतिक मूल्य को गिराया है। जो लोग आजादी क लड़ाई के दिनों में चन्द्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह के पीछे पीछे थे वे ही आजादी के बाद शराब की बोतलों के पीछे-पीछे डोले फिर रहे हैं। इस तरह देश के जो त्यागी नेता और कर्णधार थे, वे नीचे गिरते जा रहे हैं। अब एक जमाना आया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कान ऐठना शुरू किया है तो डर के मारे सब की हवा सरकी है। गांधी जी ने देश की सेवा के लिये त ागियों और देशभक्तों की एक सेना ख ी की थी जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप उन सबको गलत समझ रहे हैं। ये कम्युनिस्ट भाई लोग जिन्होंने सन् 42 से ही नहीं बल्कि सन् 14 की ल ाई के समय भी महात्मां गांधी की पीठ में छूरा भोंका था, उन्होंने ही श्री सुभाषचन्द्र बोस की हत्या करायी, इन्हीं ने ही चन्द्रशेखर आजाद को

[श्री त्रिवेणी सहाय]
मरवाया लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ ऐसा जमाना आ गया है कि उसी चीज को किसी से कहने में ब ी कठिनाई होती है। बहिन जी, आप तो बहुत समझदार हैं, आपको और मुख्य मंत्री तथा और नेताओं को सोचना चाहिये कि अब समय आ गया है जब कि देश की तरक्की के उन संगठनों का उपयोग। जनसंघ के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा आपने भी की है जनता करती है, क्यों करती है ?

(सम्मिलित स्वर--कोई नहीं करता है, सब भर्तसना करते हैं)

श्री राज ब्रज राज सिंह (जिला खीरी)--
मान्यवर, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं यहां से चला जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष--
मैं कहां कहता हूं कि आप चले जाइये। आप बैठिये।

श्री त्रिवेणी सहाय--
नहीं करते हैं तो मुझे याद है श्रीमन्, श्रीमती सुचेता खड़ी थीं। बहिन प्रेमावती तिवारी भी वहां गयीं थीं चुनाव ल ने के लिये। लेकिन मुझे याद है श्रीमन्, श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा था कि जनसंघ के कार्यकर्ताओं की तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिये।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)--
मान्यवर, माननीया सुचेता कृपालानी जी, जो मुख्य मंत्री थीं, वह इस दुनियां में नहीं रहीं और उनका रिफरेंस दिया जा रहा है सदन के अन्दर, तो कांट्राडिक्शन कैसे होगा ? उनका नाम न लें।

श्री उपाध्यक्ष--
म ननीय त्रिवेणी सहाय जी, विषय से बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--
मान्यवर, विषय पर आ रहा हूं। नाम लेना पड़ जाता है। यह बात सही है हमारे अनुशासन की तारीफ इस विधान सभा के माननीय मुख्य मंत्री, श्री बहुगुणा जी भी करते थे कि जनसंघ के लोग ब अनुशासित होते हैं। आपने भी कहा होगा। कौन सी ब.त है ? बात एक ही है कि हमारी निष्ठा पर कोई शंका नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूं कि किसी कार्यकर्ता के बारे में हमारे नेता के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम लोगों ने ही ऐसे संगठन बनाये है जिससे देश की एकता मजबूत बनी है और अटूट देश भक्ति पैदा हुयी है। हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी हो। हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्रगान 'बंदे मातरम्' हो क्यों आपने 'जनगणमन अधिनायक जय हे' कर दिया ? बंकिम बाबू ने जो 'बंदे मातरम्' का गान दिया, यह वह है जिसको सुन कर हमारे शहीद फांसी पर चढ़ जाते थे, उनमें देश भक्ति की भावना उम प ती थी। लेकिन क्यों बदल दिया। मैं आपसे कहना चहता हूं कि आपके दिमाग पर एक बात सवार है कि हम इस कुर्सी पर बने रहें। मैं कहता हूं कि आपकी कुर्सी बनी रहे। मैं आर्शीवाद देता हूं, लेकिन वह ब बनी रहेगी जब आपके कारनामे ठीक होंगे। तभी आपकी कुर्सी ठीक रहेगी। मैं तो कहता हूं कि यह काला कानून है। आप इस तरह से शिक्षा संस्थाओं को लेकर, एक अन्याय करने जा रहे हैं। हमारी जो समाज सेवा की भावना है, उस पर अंकुश लगाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम स्कूल खोलें, नाम महात्मा गांधी का रखे, लेकिन वह अधिकार आप ले लेंगे। क्यों स्कूल न खोले ? मैं कहता हूं कि आपने कोई कदम नहीं उठाया हमने ही अच्छी संस्थायें शुरू कीं। बच्चों की अच्छी शिक्षा शुरू की। मैं चैलेंज करता हूं कि आपका ऐसा कोई स्कूल नहीं है। आप चाहते हैं कि कोई शिशु मंदिर न चले। जब क्रिश्चियन अपने मत का प्रचार कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, मुसलमान लोग मकतब

चला सकते हैं, तो आपकी निगाह उधर नहीं जाती पर हम कुछ करते हैं तो उसको आप क्यों देखते हैं ? आप लोग जाते हैं शिशु मंदिरों का उद्घाटन करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपने कौन सी खास बात की ? मैं समझता हूं कि आप कहेंगे कि इमरजेंसी आ गयी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इमरजेंसी आ गयी सब ठीक हो गयी। आप लोग भाषण देते हैं तो कहते हैं इस प्रदेश में अन्न के भाव घट गये। क्यों? इमरजेंसी है इसलिये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजपेयी—

इसके पहले से घट गये।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह शिक्षा संबंधी विधेयक पर बोल रहे हैं या अन्न विधेयक पर ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

अब दफ्तरों में बाबू लोग समय से आने लगे हैं क्योंकि इमर्जेन्सी है, तो मैं कहता हूं कि आप किस बात की दवा हैं ? आप कहते कि प्रदेश में राजेन्द्र कुमारी जी फूड मिनिस्टर थीं, इसलिये गल्ले के भाव गिरे। चौधरी साहब की बहुत आप लोग बुराई करते हैं और मैं भी बुराई करता हूं लेकिन 10 महीने के शासन में जो फरमान हुआ इमरजेन्सी का उससे यह हुआ कि कर्मचारी समय से आने लगे, गल्ले के भाव गिर गये तो यह सब एक व्यक्ति के प्रभाव से हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय तिवारी जी को यहां बैठने क मौका ही नही मिलेगा।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

जब मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह जी थे, तो उनका स्टेटमेन्ट सुना होगा, उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुखिया आदमी हूं जनसंघ के कारण। यदि चौधरी साहब अच्छे आदमी थे तो उनको गिराने में जनसंघ ने पहल क्यों की थी ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, उनकी समझ में यह नहीं आयेगा।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसमें बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन इसमें है कि आपने क्या किय ? आपने केवल एक काम किया है कि तंग करने वाले तानाशाह मुख्यमंत्री को गद्दी से उतार दिया है। इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर फिर गौर से विचार होना चाहिये क्योंकि यदि शिशु मंदिर शिक्षा संस्थाओं में कोई गड़बड़ी हो तो जिले में डी0 आई0 ओज0 को वह सौंप दिये जायं यह नियम है। प्रदेश के शिशु मंदिर संस्थाओं के बारे में कोई सरकार शिकायत उठाये कि वहां यह गड़बड़ी है। मैनेजिंग कमेटी गड़बड़ हो तो वह लिखे। लेकिन आपके कालेज जिसमें आपके आदमी बैठे हैं जैसे सुल्तानपुर का वहां कालेज जिसमें विधान सभा में सवाल किया था, तो उस पर कुछ नहीं। सैकड़ों आपके कालेज हैं जिनके मठाधीश आप लोग हैं, उन पर कुछ नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनके कारनामों को क्या आपने कभी देखा है ? मैं बता सकता हूं कि उन्होंने बहुत कमाया है। हमारी कमेटी ने स्कूल में पैसा लगाया है और आप गबड़ा नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपने सोचा कि उसी बहाने शिकार खेला जाय। यह प्रवत्ति रूस के तानाशाह की प्रवृत्ति है। आपने तानाशाह को बरकरार रखने के लिये मिलों पर कब्जा किया, मिलीटरी पर कब्जा करें और जनता बोल न पाये। मैं पूंछना और कहना चाहता हूं कि इस देश में रघुबर दयाल कमीशन की रिपोर्ट पढ़े और मुसलमानों के लिये कहना चाहता हूं कि उन पर दंगा कराने की साजिश है और वह कांग्रेस के लोगों ने किया है। कांग्रेस के लोगों ने कराया है। रघुवरदयाल रिपोर्ट ने बताया है जनसंघ का कोई हाथ नहीं था। गोंडा में दंगा हुआ था। उसकी रिपोर्ट भी आयी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब मैं कम्युनिस्ट भाइयों के विचारों को पढ़कर सुनाता हूं। यहां पर माननीय चन्द्रजीत यादव थे और उनका भाषण विधान सभा में हुआ था उनके विचार इस प्रकार के थे।

एक सदस्य—

जो माननीय सदस्य इस सदन का मेम्बर नहीं है और अपनी सफाई नहीं दे सकता तो उनका रेफरेन्स वह दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

किसी विशेष प्रसंग में वह उनका नाम ले रहे हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह 3 अप्रैल, 1961 का है । पृ0 444 पर । उन्होंने कहा कि आज के निकले हुए विद्यार्थियों का आउटलुक सेकुलर नहीं होता । आज भले ही हम इसके लिये किन्हीं पार्टियों को बैन कर दें । शासन विरोधी, समाज विरोधी, संविधान की मान्यताओं को चुनौती देने वाले जो लोग हैं, उन पर आप भले ही बैन लगा दें लेकिन बुनियादी तौर पर जरूरत है कि आप बच्चों की शिक्षा दीक्षा इस ढंग से करायें कि उनका आउटलुक ही सेकुलर हो जाय । केवल बैन लगाने से यह विष जो फैल रहा है, वह मिटेगा नहीं । कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वेसर्वा उन्होंने कह दिया कि केवल बैन लगाने से यह विष मिटेगा नहीं । सेकुलर आउटलुक के लिए जरूरी है कि उसको पैदा करें । उसको पैदा करने के लिये किसने रोका था ? आप फरमान निकाल देते, अपने कार्यक्रमों को देते । अगर आपके कार्यक्रमों का पालन करने में आपसे आगे न निकल जाते तो कहते । लेकिन आपके दिमाग में तो कीड़ा था कि शिशु मंदिरों को ले लें, संघ का खात्मा हो जायगा । इनको तो समाप्त कर देंगे लेकिन आप पछतायेंगे, आपके पास कोई फैक्टरी नहीं है सिवाय इसके कि चुनाव होता है तो टोपी लगाकर आ जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं । आपके पास परिश्रम करके आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं । हमारे पास है, सोशलिस्ट पार्टी के पास हैं । आचार्य नरेन्द्रदेव, राममनोहर लोहिया ने ऐसे लोग पैदा किये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विधेयक के सम्बन्ध में बोले । लेकिन आप तो दलों की व्याख्या करने में जुटे हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

ऐसे काम करने वाले लोगों पर अगर पाबंदी लगा देंगे तो समाज सेवा की वृत्ति उठ जायगी । आपके पास वैसे लोग नहीं हैं । वैसे लोग तैयार करने वाली फैक्टरी आपके पास नहीं है । न वैसे लोग आपके स्कूल ही तैयार कर पा रहे ह और न आपका संगठन ही । इसलिये मैं कहना चहता हूं कि इस काले कानून को वापस लीजिये अन्यथा एक दिन आयेगा कि इस आग में आप खुद जल जायेंगे । इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष जी,यह एक ऐसा बिल है जिसका कि मैं समझती हूं कि इसका सारा सदन स्वागत करेगा । जब यह उत्तर प्रदेश में लागू किया गया तो प्रतीक रूप में सारे भारतवर्ष में इसका स्वागत हुआ कि जो संस्थायें साम्प्रदायिकता के आधार पर चलाई जाती हैं या जिनका सम्बन्ध उन संस्थाओं से था जिनके संचालक वर्ग में वे व्यक्ति थे जिनको कि भारत सरकार ने गैरकानूनी करार दिया था, उनके पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया और उनको सरकार ने अपने हाथों में ले लिया । इस सरकार के कदम का सारे, प्रदेश में स्वागत किया गया । अभी माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं । मैं उस सम्बन्ध में सदन को यह स्पष्ट करना चाहती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं कि यह जो हमारा ऐक्ट है और इसका जो उद्देश्य है वह भारत की जो धर्मनिर्पेक्षिता की नीति है और जो हमारे संविधान के अन्तर्गत है, उनके अनुरूप है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाय कि भारत एक हिन्दू राष्ट्र है और उसको आधार मान कर गलत शिक्षा दी जा रही थी। छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग में बचपन से ही इस प्रकार की भावना भरी जा रही थी जो हमारे संविधान के खिलाफ है। जब हमारे देश में संविधान की रचना हुई तो उसमें यह था कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इस सविधान में कोई हिन्दू धर्म, कोई मुसलमान धर्म, सिक्ख या इसाई धर्म नहीं है और समूचे राष्ट्र को हमने एक सिकुलर स्टेट माना है। धर्म व्यक्ति की चीज है और व्यक्ति देश में अपने किसी भी धर्म का पालन करने के लिये स्वतंत्र है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर हमारे सिकुलर स्टेट का यह कहा जाय कि वह हिन्दू राष्ट्र है तो यह संविधान के अनुकूल नहीं होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैंने ऐसी बात नहीं कही थी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

आपने ऐसा कहा था और आप भूल गये हैं। आपने यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ बहुत अच्छा काम कर रहा था और इसको बैन करना ही गलत हुआ, शिक्षा सस्थाओं को बन्द करना ही गलत हुआ। हमारी नीति संविधान के अनुसार धर्मनिर्पेक्षिता को मानती है और उसके अन्तर्गत हमने यह देखा कि यह जो सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं ये साम्प्रदायिक आधार लेकर चलाये जा रहे हैं और गवर्नमेन्ट के पास इसके निश्चित प्रमाण भी हैं कि ये जो सस्थायें चल रही थीं वे किसके मातहत और किस प्रकार से चलाई जा रही थीं। हमारे लखनऊ के निरालानगर में इसका एक हेड आफिस है। उसका एक प्रेस भी है और जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बैन किया गया था तब उसकी सर्च भी की गई थी और जब उनको अपने हाथ में लिया गया था तो मालूम हुआ कि इस संस्था के द्वारा कुछ किताबें भी निकाली जाती हैं और इनके द्वारा ही सारे सूबे में ये शिशु शिक्षा विद्यालय चलाये जाते हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनमें राष्ट्रीय भावना की शिक्षा दी जाती है लेकिन सिलेबस के अन्तर्गत जो किताबें उन बच्चों को पढ़ाई जाती हैं और उनका जो असर बच्चों पर पड़ता है उसके एक, दो उदाहरण मैं दूंगी जिससे स्पष्ट हो जायगा कि कितना जहरीला असर बच्चों के दिमाग पर बिठाया जाता है। एक किताब जो इन विद्यालयों में पढ़ाई जाती है उसका नाम है "ज्ञान गंगा" उसके पृष्ठ 32 पर लिखा हुआ है "भारत हिन्दू राष्ट्र है"। शिशु मन्दिरों में अगर बच्चों के दिमाग पर यह असर डाला जाय कि भारत हिन्दू राष्ट्र है, इसका अर्थ यह होता है कि बाकी जो दूसरी जातियां हैं उनके खिलाफ एक नफरत की भावना बच्चों के दिमाग पर बचपन से ही डाली जाती है और इस तरह से जो हमारी सेकुलर पालिसी है और संविधान का जो मकसद है, उसके खिलाफ यह प्रचार करना है। इसी तरह एक और किताब है "आंग्ल भाषा बोध" जिसे हरि शंकर कश्यप ने लिखा है और वह मीसा के अन्तर्गत बन्द हैं। उक्त पुस्तक के पृष्ठ 43 पर लिखा है कि शिवा जी खास तौर से हिन्दू राज कायम करना चाहते थे। इसीलिये वह मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। शिवाजी की सारी पर्सनालिटी इस पुस्तक में इस तरह से रखी गयी है मानो वह एक कम्युनल व्यक्ति थे, तमाम हिन्दुओं के नेता थे।

इतिहास की जानकारी जिनको है उनको ज्ञात होगा उनकी फौज का तोपची मुसलमान था और उनके व्यक्तिगत सलाहकार मुसलमान थे और काफी मुसलमान उनके साथ काम करते थे। शिवा जी को कम्युनल व्यक्ति पेंट करना और यह कहना कि वह हिन्दू राष्ट्र स्थापित करना चाहते थे, इतिहास को तो ना-मरो ना है। इसी तरह से इन विद्यालयों में प्रबन्ध समिति ने एक और किताब छपवा कर पढ़ाने की व्यवस्था की थी। उसका नाम है "इतिहास

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

गा रहा है"। उसके अन्दर घृणा फैलाने वाली बातें छपी हैं जिनको हमारे बच्चों को कभी नहीं पढ़ना चाहिये। "इतिहास गा रहा है" पुस्तक से भी मैं एक दो उदाहरण दूंगी जिससे सदन को ज्ञात हो सकेगा कि कितनी गलत बातें बच्चों को सिखाई गईं और उनके दिमागों में साम्प्रदायिक जहर भरा गया। इस पुस्तक के पृष्ठ 57 पर मोहम्मद गजनवी के लिये लिखा है" "गद्दी पर बैठते ही इस दुष्ट स्वभाव वाले सुल्तान ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सम्पूर्ण भारत के हिन्दुओं को मुसलमान बना कर ही दम लेगा।" पृष्ठ 58 पर आगे लिखा है "वह सारे हिन्दुओं को चटपट मुसलमान बना डालने के लिये उतावला था। इसके लिये वह नीच से नीच काम करने के लिये कमर कसे हुए बैठा था। हिन्दुओं का कत्ले आम, महिलाओं का जबरन अपहरण तथा मुसलमान बनाना उसके साधारण काम थे" इसके आगे एक जगह अकबर के बारे मे लिखा हुआ है। जहां हम कहते हैं कि अकबर ने दीन इलाही चलाया और उसने धर्मों की एकता के लिये काम किया और एकता का हम उसे प्रतीक मानते हैं, वहां इस किताब में पृष्ठ 74 में लिखा है "उसी का वश मुगल वंश के नाम से जाना गया। यही वह परिवार था जिसने अकबर जैसा कपटी और औरगजेब जैसा धर्मान्ध पैदा किया।" इस तरह से इस पुस्तक में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है जिसके मैंने तीन चार उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किये।

इसी तरह से हुमायूं के लिये कहते हैं बहुत खराब आदमी था और बहुत चालाक था। इतिहास गा रहा ह, पुस्तक ने जो इस सोसायटी द्वारा तैयार कराकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, वह कम्यूनल भावना पैदा कर रही थी। इसके साथ ही साथ बच्चों को जो इनकी संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उसके प्रवर्तक और गुरू हैं, उनके जीवन के बारे में तथा इस संगठन के बारे में सिखाया जाता था और उसकी इन किताबों में बड़ी प्रशंसा लिखी हुई है। बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस देश में एकता ला सकता है और उसके लिये शाखायें लगती थी। उपाध्यक्ष महोदय, जो इनका भगवा ध्वज है उसको नमस्कार करने की ट्रेनिंग दी जाती थी और समाज में एक दरार कायम करने की बात उनको सिखाई जाती थी। एक हिन्दू राष्ट्र की बात उनको सिखाते थे और इस देश में जो माइनोरिटी के लोग हैं, उनके खिलाफ नफरत की भावना पैदा की जाती थी। यह संस्थायें किस तरह से काम करती हैं इसका प्रमाण इस बात से कि इसके आफिस वियरर जो हैं वे आज मीसा में बंद हैं।

सरस्वती शिशु मंदिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड थे और इस प्रकार की संस्थायें बनाकर चेन के रूप में काम कर रहे थे। हमारे पास जो लिस्ट है, उससे मालूम होता है कि यह स्कूल केवल एक जिले में ही नहीं थे बल्कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक इनकी शाखायें थीं जिससे इस तरह की चीज की बच्चों के दिमाग में भरा जाय। उपाध्यक्ष महोदय मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं, कि इस तरह के विद्यालयों को चलाने के पीछे राष्ट्रप्रेम नहीं था जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है बल्कि वह राष्ट्र के खिलाफ काम करना था। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे था कि कम्युनल बातों को फैला कर इस देश को कमजोर किया जाय। इसको बहुत पहले बैन होना चाहिये था, बहुत पहले गैर-कानूनी करार दिया जाना चाहिये था। हम तो दसियों वर्षों से चिल्ला रहे थे कि इन पर बैन लगाया जाय। हमारे कांग्रेस के लोग बहुत पहले से वह बात कह रहे थे ऐसी संस्थाओं को बंद किया जाय। हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा-गांधी ने इमरजेंसी के बाद वह बहुत अच्छा काम किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शिशु मंदिरों और आनन्द मार्ग के द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों को बंद करवाया। आनन्द मार्ग द्वारा संचालित संस्थाओं को चलाने वाले आज गायब हैं, अंडर ग्राउंड हैं। वे लोग संस्थाओं को छो कर चले गये हैं तो इससे साफ पता चलता है कि ये किस तरह का काम कर रही थीं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं इनके पीछे कौन शक्तियां काम कर रही

थी, जिनमें बच्चे सी० आई० ए० के एजेंट बनाये जा रहे थे जिसकी हम बार-बार चर्चा करते थे। हमारा देश धर्मप्रिय देश है, हम धार्मिक गुरुओं की इज्जत करते हैं और हम सब लोग अपने-अपने धर्म से बहुत प्रेम करते हैं तो इन विदेशी शक्तियों ने यह सोचा कि किस प्रकार से हिन्दू शिक्षा संस्थाओं या मुसलमानी संस्थाओं द्वारा कैसे पैनिट्रेट किया जाए, कैसे जनता के अन्दर जाया जाए। यह बड़ी साजिश वर्षों से राष्ट्र के खिलाफ चली आ रही थी, जिसको हमने समय-समय पर देखा था। जब यहां पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए, उसकी जो रिपोर्ट है, उसके अन्दर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि उस वक्त जमायते इस्लामी और राष्ट्रीय स्वयं संघ का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है किसी न किसी रूप में। उस रिपोर्ट को तो मैं इस वक्त सदन में नहीं रख रही हूं लेकिन उसके आधार पर मैं कह रही हूं। जब जब साम्प्रदायिक दंगे यहां हुए हैं, जमायते इस्लामी और राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों और उसकी विचारधारा के लोगों का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिये इनको कमजोर करना आवश्यक था। जब इन संस्थाओं को समाप्त करने के लिये उन पर बैन लगा तो यह भी कानून के अन्दर आवश्यक हो गया कि जो सम्बन्धित संस्था हों या उनकी जो ऐसी कार्यवाहिया हो रही हैं, उनको भी बैन करना चाहिये। उसको देखते हुए उन विद्यालयों को अपने हाथ में लिया गया था, उनका संचालन हो रहा है। ऐसे अध्यापक जो सीधे राष्ट्रीय स्वयं संघ से सम्बन्धित थे, कुछ जेल में हैं और कुछ हटा दिए गये हैं और कुछ के खिलाफ अन्य कार्यवाही की गई है और बाकी सुचारु रूप से इन संस्थाओं को चलाया जा रहा है। चूंकि उस समय विधान सभा की बैठक नहीं हो रही थी, इसलिये अध्यादेश लाया गया था। अब यह ऐक्ट के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

मैं ऐसा मानती हूं देश की राष्ट्रीयता, और देश की एकता को मजबूत करने वाला यह विधेयक है। इसको हर एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति को स्वीकार करते हुए अपना पूरा समर्थन देना चाहिये और यह समझ कर समर्थन देना चाहिये कि हमारे देश में ऐसी असामाजिक शक्तियों को बढ़ने और पनपने के लिये जगह नहीं दी गई है और उन्हें किसी भी रूप में नहीं यहां रहने देना चाहिये। इसमें एमरजेंसी या तो एमरजेंसी का कोई सवाल नहीं है। इमरजेंशी समाप्त भी हो जाती है तो भारत के संविधान के अन्दर ऐसे संस्थाओं को देश में नहीं रहने देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सदन से चाहूंगी कि इन पर विचार किया जाए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं, उन्होंने कहा कि बहुत पहले से हम लोग यह चाहते थे कि किसी तरह से यह पाबन्दी लगे और इनका जहर लोगों के दिमाग में न फैलने पाए, तो वह कौन सी रोक थी, जिसके कारण अब तक ऐसा नहीं हो पाया?

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

आप लोग ही थे। जिनके साथ आप लोग सरकार बनाए हुए बैठे थे, जिनके साथ चौधरी साहब सरकार बनाए हुए थे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

आप हर वक्त हर बात में चौधरी साहब का मजाक बना दिया करते हैं, उन्होंने इसे गलत मना किया। हम तो उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप मजाक उड़ा रहे हैं।

*श्री राज ब्रजराज सिंह—

आज शिक्षा और शिक्षा की बात पर मान्यवर, मैं बड़ों और गुरुजनों को शिक्षा देना आवश्यक नहीं समझता हूं, हालांकि युवक बड़े-बड़े नेताओं को शिक्षा देते हैं और दे रहे हैं। लेकिन मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत एशिया में सातवां स्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजब्रजराज सिंह]

रखता है। मान्यवर, शिक्षा को देखा जाए, साक्षरता की बात की जाए, तो देश जब से आजाद हुआ, यह 22 परसेंट है। यह 22 परसेंट शिक्षित नहीं केवल साक्षर हैं। इस चीज की व्यवस्था न करता, आपने शिक्षा की जगह वह भेदभाव की नीति बरती। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो शिक्षा संस्था चलाई जा रही है यह किस रूप में? यह आपकी रिपोर्ट है कि कमीशन की रिपोर्ट है? कोई आपने कमीशन बैठाला? कोई आपने इस पार्टी के सदस्यों को बैठा ा? आप 5 सदस्यों को बैठाल दीजिए और वह जांच करे कि ये शिक्षा संस्थाएं किसके नामसे चल रही हैं? वह किस पार्टी से संबंध रखती हैं? आपने जो उद्देश्य दिये हैं उसमें यह है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं को लोक हित में अपने हाथ में ले लिया गया है। मान्यवर, लोक हित क्या है? लोक हित, जनहित, पार्टी हित क्या है? यह बड़े दुःख की बात ह कि आज आप शिक्षा संस्थाओं में भेद भाव की नीति चलाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम हिन्दू राष्ट्र के हैं। मान्यवर, जब देश का बंटवारा हुआ उसका दोषी कौन था? आपके 135 थे कांग्रेस के और 28 थे मुस्लिम लीग के। आपने कहा था कि मसलमानों की पार्टी मोहम्मडन है, जिसका हस्र हुआ कि देश का बंटवारा हुआ और देश के बंट ारे के बाद आपका दृष्टिकोण बदल गया और आज आप कहते हैं कि हिन्दुओं की पार्टी बी0 एल0 डी0, है, जनसंघ है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जनसंघ का जन्म 1951 में हुआ। जनसंघ मैंने दो साल से ज्वाइन किया। मान्यवर, एक धर्म को लेकर, एक जाति को लेकर, एक शिक्षा जैसी पवित्र चीज को लेकर राजनीति को पनपायें, यह बड़े दुःख की बात है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यही तो विरोध है कि आप एक जाति और धर्म को लेकर चलते हैं।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

मान्यवर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो स्कूल चलाये जा रहे हैं उनके लिये क्या कोई कमीशन इन्क्वायरी बैठाई गयी? क्या कोई जजेज को बैठाला गया। आप एकतरफा फैसला कर लिये और फैसला कब हुआ जबकि आपके क्रांतिकारी फैसले की शुरुआत हुई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह चीज अच्छी नहीं हुई। शिक्षा संस्थाओं में रोक-टोक लगा कर शिक्षकों को आप बैठाल नहीं सकते। क्या बच्चों को कोई मजबूर करता था पढ़ने के लिये। ब्लिट्स का सबूत दे दूं। कांग्रस के अच्छे-अच्छे बच्चे उसमें प; रहे हैं। आपने उस स्कूल को भी बंद कर दिया, जो शायद हो सकता है कि जनसंघ की भावना के हों।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बंद नहीं किया, स्कूल तो चल रहा है।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

मै मान्यवर, एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, लोक सभा का मामला है और इसी कांग्रेस की बात है। दो विचार हो गए एक तरफ नेहरू जी और दूसरी तरफ मुकर्जी थे। जब उनके विचार नहीं मिले और उनके विचारों को नहीं माना गया तो मुकर्जी साहब ने क्या किया, पार्टी छो; दी, दूसरी पार्टी बना ली। नेहरू जी ने ये कहा कि आ विल क्रश यू। तो मुकर्जी साहेब ने कहा कि आई में क्रश योर क्राशिंग मेन्टेलिटी। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन हमें वह शक्ति दे और आशिर्वाद दें कि आपको जो क्रश करने वाले मेन्टेलिटी है जो विचार धारा है, वह बदले। मान्यवर, मैंने 2—3 चीजों को और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मे रे कहने का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है जो इनके मन में आता है, वही करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि आपका फैसला आखिरी फैसला नहीं है। फैसले होते हैं और बदल जाते हैं। यह समाज, यह संगठन और यह जनता आपको बतायेगी कि जो यह फैसले आप ले रहे हैं वह कैसे हैं।

आपने जो शिक्षा में प्रतिबन्ध लगा रखा है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर अपील हो गयी है और उसका मामला अवेटेड है। आपने चुनाव को बढ़ा दिया। 76 में

चुनाव होने वाला था, उसको टाल दिया। इसका निर्णय अवश्य होगा। मैं ज्यादा न कहकर एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा संस्थायें चल रही हैं कुछ सिक्खों की चल रही हैं कुछ मिशनरियों की चल रही हैं वहां पर बाइबिल पढ़ाई जाती है। कम्पलसरी है पांचवी कक्षा तक तो क्या वे सब क्रिश्चियन हो जाते हैं? मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं। लखीमपुर में जो शिक्षक के बच्चे हैं वह केवल हिन्दुओं के ही नहीं है वह मुसलमानों के हैं और सिक्खों के भी हैं। किसी ने उनको बाध्य नहीं किया और आज वह शिक्षा पा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये स्कूल 10–15 साल से चल रहे हैं और मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता कौन देता है? आप देती हैं डाइरेक्टर आफ एजूकेशन देता है। आप इनके कार्यकलापों को पहले से देख रही थीं तो आपने अभी तक क्यों नहीं विघ्न डाला और रोक टोक नहीं की? यदि आप इन स्कूलों को इन्सट्रक्शन भेज देते और इनसे जवाब तलब कर लेते कि इन स्कूलों में इस प्रकार की पढ़ाई क्यों हो रही है तो भी आपका काम चल जाता और वे अपने रवईये को बदल लेते। दूसरी शिकायत यह थी कि ये पुस्तकों का प्रकाशन करती हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि जब आपकी निगाह में गलत साहित्य होता तो आप उसे प्रकाशित करने से रोक सकते थे, पाठ्यक्रम को बदल सकते थे, यह भी आपने नहीं किया।

इसके अतिरिक्त मैं देखता हूं कि जो सूची आपने दी है उसमें बहुत से स्कूलों के नाम छूट गये हैं। क्या इसमें कोई जमायते इस्लामी स्कूल का भी कोई नाम है? आप इन शिशुओं के भाग्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। या जो आप धर्म की लड़ाई, राजनीति की लड़ाई जो आप करा रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। शिशु संस्थायें, अस्पताल समाज के कल्याण के लिये होते हैं लेकिन आप उनमें भी राजनीति को चलाना चाहते हैं। आपके भरसक प्रयासों से भी जनता की विचारधारा बदल नहीं सकती है। मान्यवर, मेरे जिले लखीमपुर खीरी में कितने ही अध्यापक डी0 आई0 आर0 और मीसा में बन्द कर दिए गये जब उनके बयान हो गये तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन आज तक भी उनको कालेजों और स्कूलों में ज्वाइन नहीं करने दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह किस आदेश के अन्डर में किया गया है? जब वे प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें निर्देश है कि ज्वाइन न करने दिया जाय। मान्यवर, दिल्ली में उन अध्यापकों को जिन पर कोई क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स नहीं चल रही हैं, उनको ज्वाइन करने की इजाजत दे दी है। लेकिन आप इस प्रदेश में उनको शिक्षा संस्थाओं में नहीं रख रहे हैं। कृपया आप उन पर ध्यान दीजिए। उर्दू शायर इकबाल साहब की एक मशहूर शेर है कि "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिन्दू हैं हम वतन हैं हिन्दुस्तां हमारा"। आज हमारे यहां पर सिख, हिन्दु; मुस्लिम और इसाई सभी एक जगह बैठकर प्रेम से बातें करते हैं। विरोध पक्ष म तो बैठ कर हम आपकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे ही। आज ये सब भाई एक हो गये हैं।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी द्वारा जो विधेयक पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज विरोध पक्ष की ओर से जो बातें सदन में कही गई हैं, वे ऐसी अजीब बातें है, कि उनसे बढ़कर इस सदन में, आसमान के नीचे, और इस जमीन के ऊपर कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता है जितना कि त्रिवेणी जी ने कहा है। इन संस्थाओं में जो आर0 एस0 एस0 द्वारा चलती हैं, इनमें कई चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। आज जो सदन में विरोध होता है उससे भी बहुत कैडर्स पैदा हुए हैं। सभी जानते हैं कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने इतना बड़ा कैडर पैदा किया जिसको इतिहास में मिटाया नहीं जा सकता है। पंडित मोती लाल नेहरू,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

खान अब्दुल गफ्फार खां, सी0 आर0 दास, पंडित जवाहर लाल नेहरू, ये किस के पैदा किये हुए थे ? ये राष्ट्रीय आन्दोलन से पदा हुये थे और उस राष्ट्रीय आन्दोलन से पैदा हुये थे जिसका नेतृत्व पूज्य बापूजी ने किया था। लेकिन इनकी कठिनाई है और वह कठिनाई इसलिये है कि ये कभी राष्ट्रीय धारा में शामिल नहीं हुये, इन्होंने कभी राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग नहीं लिया, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया।

मरने वालों से जरा लुत्फए शहादत पूछो,
कुश्तए नाज से ठोकर की हलावत पूछो;
सोज कहते हैं कि पूछो तो किसी परवाने से।

तो परवाने जो होंगे वह जानेंगे कि क्या होता है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह कहा गया कि सन् 47 में देश के बंटवारे की जिम्मेदारी किस की थी ? यह जिम्मेदारी उन विचारों की थी जिन्होंने ऐसी स्थिति पदा की जिससे यह बंटवारा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, इस विधेयक पर।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

त्रिवेणी सहाय जी ने दसियों बातें कहीं। अगर हम आर0 एस0 एस0 के बारे में बात कहेंगे और वह राजनीतिक नहीं बतायेंगे जो आर0 एस0 एस0 कर रहा था, तो बात पूरी नहीं होगी। इसलिये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर महात्मा की ऐसी हस्ती थी जिसने स्वराज्य दिलवाया और दुनियां में अकेले महात्मा की हस्ती ऐसी थी जिसने देश को आजाद कराने के बाद भी पावर अपने हाथ में नहीं ली। रूस में क्रान्ति हुई तो लेनिन हेड बने। अमरीका में जार्ज वाशिंगटन हुये, इटली मे मुसोलिनी और जरमनी में हिटलर हुये। लेकिन महात्मा पावर में नहीं आये। वह महात्मा जिसने अहिंसा का प्रचार किय एक चींटी तक जिसने नहीं मारी, आगा खां पैलेस में जब उन्होंने अनशन किया तो अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ दिया कि कहीं महात्मा मर न जाये। लेकिन उसी महात्मा के ऊपर नाथूराम गोडसे ने तीन गोलियां चलायीं और उसको आपने अपना नेता माना। जिस दिन वह हत्या हुई उस दिन मिठाइयां बांटी गयीं। यह सब आर0 एस0 एस0 के द्वारा हुआ। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह संस्था नफरत का प्रचार हिन्दुस्तान के अन्दर करती रही। आर0 एस0 एस0 संगठन का आधार राजनीत नहीं था क्योंकि जिस वक्त पार्टी को गैरकानूनी करार दिया गया इन पार्टियों की तलाशियां ली गयीं तो भारत की सारी जनता इस बात की गवाह है कि आर0 एस0 एस0 और आनन्द मार्ग के दफ्तरों से निकली इन्सानों की खोपड़ियां, फौजी वर्दियां और निकले फौजी नक्शे। ये चीजें वह दल इकट्ठा करते हैं जिनको इस बात का एतबार नहीं होता है कि जनता सरकार बनाती है, डैमोक्रेसी में जनता वोट देती है और वोट से सरकार बनती है—गवर्नमेंट आफ दि पीपुल, फार दि पीपुल एंड बाई दि पीपुल। जो स्कूल बन्द किये गये हैं, उसमें केवल आर0 एस0 एस0 वाले नहीं हैं। उसमें जो जमायते इस्लामी के मकतब चल रहे हैं, उनके ऊपर भी पाबन्दी लगायी गयी है। अगर इन स्कूलों और मकतबों पर पाबन्दी न लगायी जाती तो ये देश में वह वातावरण पैदा कर रहे थे जो सन् 47 में पैदा हुआ था। समस्तीपुर के अन्दर जो धमाका किया गया और ललित नारायण मिश्र की जो हत्या की गयी, वह पहला धमाका था। इनका षड़यंत्र था कि यह चीज अलग-अलग प्रान्तों में की जाय और उसके बाद दिल्ली में की जाय। जब ऐसी शिक्षा देकर एक कैडर तैयार किया जा रहा हो कि वह किसी भी तरीके से हिंसा के बल पर सरकार का तख्ता उलट दे तो कोई भी सरकार हो, लोकहित के लिये यह जरूरी हो जाता है कि ऐसी चीजों पर पाबन्दी लगायी जाय। इसलिये यह बहुत जरूरी बिल है क्योंकि इसके बगैर कोई चीज नहीं हो सकती। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता माननीय राम

प्रकाश जब यहां के डिप्टी मेयर थे उन्होंने 10 लाख की जमीन 10 हजार में खरीद ली और वहां शिशु मंदिर जैसी संस्था की स्थापना की। भ्रष्टाचार की तमाम संस्थायें यह चलाते रहे हैं। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की जानकारी पहले नहीं थी कि यह संस्था ऐसे स्कूल चलाती है। अभी 5—6 दिन पहले कानपुर में नवाबगंज में एक स्कूल को सरकार ने टेक ओवर किया है। उसके प्रिन्सिपल, आर0 एस0 एस0 के हैं। दीनदयाल उपाध्याय नाम से वह स्कूल है। वहां ऐसा जहरीला लिट्रेचर बच्चों में बाटा जाता है जिसे देख कर मेरे रोगटें खड़े हो गये। मुझे पढ़ कर बड़ी हैरत हुई। मुझे इस बात का दुख है कि सरकार का ध्यान बहुत पहले इस ओर नहीं गया। राष्ट्रीयता के खिलाफ, राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ उस लिट्रेचर में जहर भरा हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद ही इस तरफ कदम उठाना चाहिये था। इन स्कूलों को बहुत पहले टेक ओवर करना चाहिये था। बहुत देर की आपने। खैर, देर आये, दुरुस्त आये। खाली स्कूलों को टेक ओवर करने से ही काम नहीं चलेगा। जो वहां कांग्रेसी विचारधारा के, प्रोग्रेसिव विचारधारा के टीचर हैं, उनको निकाला जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय स्कूल के दो तीन टीचर ऐसे थे जिनको निकाला जा रहा है, वे मेरे पास भी आये थे। इस ओर भी आप ध्यान दें। उनको निकाला न जाये। जो लिट्रेचर मुझे देखने को मिला, मैं उसको माननीया मंत्री जी को दिखलाऊंगा। इसलिये यह जो बिल है, बहुत सही है। लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी है और वह यह है कि स्कूलों को टेक-ओवर करने के बाद राष्ट्रीय मनोवृत्ति के जो टीचर्स हों, उन्हीं को उनमें रखना चाहिये ताकि वे सही तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सकें। मैं इतनी बात कह कर अपनी बात को खतम करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया इसलिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बिल आज पेश किया है, खुद उन्होंने इसको तसलीस किया कि यह बहुत पहले होना चाहिये था और मैं भी यही कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज 20 साल से माननीय मुख्य मंत्री और उनकी सरकार की जानकरीं में बच्चों के दिमागों में यह जहर फैलाया जाता रहा लेकिन उस वक्त तक हमारे सामने बैठने वाले मित्र और दूसरे लोग यही समझते थे कि यह केवल मुसलमानों को जबह करने के लिये है, बहुत खुश थे और उसकी मदद कर रहे थे, उसको मान्यतायें दे रहे थे। और इतना ही नहीं, उसकी सराहना करके उससे काम करा रहे थे। लेकिन बाद में जब यह मालूम हुआ कि पानी सर से ऊपर से होता जा रहा है और यह हमें भी दबोच ले जायेगा तो आज यह बिल ले आये और इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। "देर आयद दुरुस्त आयद"। लेकिन मैं यह कहूंगा कि किसी भी खराब चीज को अच्छा समझ कर उसे गले लगा लें तो उससे राष्ट्र हित नहीं हो सकता। लेकिन यह सरकार आज भी खिलवाड़ खेल रही है और ऐसे लोगों को गले लगाये हुए है जो राष्ट्र हित की बात नहीं सोचते और आज भी वे हर काम के लिये दूसरों की तरफ ताकते रहते हैं। जिस मुसलिम लीग ने भारत के बटवारे के लिये सब कुछ किया और देश को हमेशा के लिये नष्ट कर दिया। आज आप उसी को गले लगाये हुए हैं।

आनन्द मार्गियों को अब आपने बुरा कहना शुरू कर दिया है लेकिन आज से चार साल पहले आपने बंगला देश से आने वाले सारे लोगों का इन्तजाम करके उनको क्या नहीं दे रखा था? उनकी बड़ी सराहना की थी। क्या किसी भी राष्ट्रीय हित को करने वाली सरकार का यही कर्त्तव्य होता है कि जानबूझकर इस प्रकार का जहर फैलाया जाय, इस तरह से जहर फैलाने का लोगों को मौका दिया जाय? जो किताबें इन स्कूलों में पढ़ायी जाती

[ी अब्दुल रऊफ लारी]

थीं, कहा जाता है कि उनमें हुमायूं, अकबर, औरगजेब औ बाबर के वारे में गन्दी-गन्दी बातें लिखी थीं। क्या वे किताबें आपकी नजरों से नहीं गुजरी थीं ? क्या वे आपके द्वारा समर्थित नहीं थीं ऐसा तो था नहीं कि वहां के लिये अलग से किताबें छपवा कर पढ़ायी जाती हैं और दूसरे स्कूलों के लिये अलग से किताबें छपवा कर पढ़ायी जाती हों। मैं कहूंगा जो कुछ भी आप करें, देश हित को सामने रख कर करें। अपने स्वार्थ को सामने रख कर, अपना फायदा सोच कर कोई काम न करें। इस देश में जो हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई पैदा हुए हैं, सबको मजहबी आजादी है। स्कूली किताबों के साथ-साथ सबको धार्मिक किताबें पढ़ने की इजाजत है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं होता है कि वह इस बात को देखें कि इस वक्त इन स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है ? आर0 एस0 एस0 के स्कूलों के साथ, जमाते इस्लामी के स्कूलों को भी मिला दिया गया है। आप जरा अपने दिल पर ठंडे हाथ रख कर देखें कि उनके लिटरेचर और जमाते इस्लामी के स्कूलों के लिटरेचर में कितना फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों को आपने एक तराजू से ही तौलना शुरू कर दिया है, आप सोचें कि यह कहां तक इन्साफ है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
दोनों कम्युनल बातें करते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—
आप देखें कि वह राष्ट्र हित में है या नहीं है। मैं कहता हूं कि बच्चों की पढ़ाई स्कूल में होने के साथ-साथ राष्ट्र हित में पढ़ाई होनी चाहिये, यह आपका लक्ष्य होना चाहिये। जितनी भी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जायं, पहले उन सबको देख कर समझ कर तब उनका ऐप्रूवल करें। आपके वगैर ऐप्रूवल के कोई भी चीज किताबों में नहीं जानी चाहिये। आप उस बात को सोच लें कि बच्चों का दिमाग सबसे नाजुक, नरम होता है, बिलकुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिस तरफ हम चाहें सबको मोड़ सकते हैं। जिस तरफ चाहें उनका दिमाग फेर सकते हैं। चाहे तो राष्ट्र हित की तरफ मोड़ दें और चाहें तो किसी धर्म के खिलाफ मोड़ दें। किसी भी तरफ फेर सकते हैं, यह मुमकिन है। लेकिन मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि आखिर 20 वर्ष से यह चीजें चली आ रही हैं, यह चीजें हो रहीं थीं तो आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया इसका क्या जवाब है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
अब तो कर दिया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—
अब तो आपने किया है। आखिर इतने दिनों तक क्या किया। क्या दबाव था। आप अब तक मुसलमानों को अपने कब्जे में किये रहे। इन सबको क्यों छूट देते रहे ? आज जब आपने देखा कि यह हमारा गला दबाने के लिये तैयार हैं तो आपने प्रतिबन्ध लगाया। मैं क्षमा मागूंगा और कहूंगा कि आप अब भी जो काम कर रहे हैं वह सोच समझ कर करें। अभी मैंने कहा था कि 'देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन फिर भी कुछ गल्तियां रह गयीं हैं, इसके अन्दर, इनको आप सुधारें।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—
मान्यवर, यह बिल, इस माननीय सदन में एक ऐसा बिल है जो हिन्दुस्तान और प्रदेश को अकलियत की मनोभावनाओं का सम्मान करने वाला ही नहीं है बल्कि देश के भविष्य को, पिछली पीढ़ियों को जो स्वतंत्रता की बाढ़ उस समय, जिसका जिक्र हमारे लारी साहब ने किया है, उनका यह सम्मान करता है। मैं इसका समर्थन ही नहीं करता बल्कि मैं चाहूंगा

कि इसका समर्थन हमारे लारी साहब दबी जबान म न करके खुली जबान से करें। (मेजों को थपथपाने की आवाजें)।

इससे उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य व्यक्तिगत बात चीत न करें।

श्री भगवती प्रसाद—

मान्यवर, 2–3 दिन से खुशी ही रही थी कि, हमारे माननीय जनसंघ के भाई, लोहिया जी की बातें भी नहीं कहते थे, आचार्य नरेन्द्र देव जी की बातें भी नहीं कहते थे, शायद समाजवादी खेमें में जाकर लोहिया जी क बातों को कहेंगे। लेकिन जो संस्कार है जिनको मैंने जब जेल में जाकर देखा, मैं पहली जुलाई को गया। मैंने बाहर से भी देखा और जेल के अन्दर भी जाकर देखा कि क्या इनके संस्कार हैं। मै सन् 46 में बंगाल में था। उस समय बड़ा बचपना था मेरे राजनीतिक जीवन का। मैंने वहां जीता जागता प्रदर्शन देखा। बंगाल की जब हमारी मासूम बेटियां, किसी भी कौम की हों, काटी जा रहीं थीं, वह मैंने देखा। आदमी खड़ा है जानता भी नहीं है लेकिन पीछे से चाकू लग गया। तो उसकी पुनरावृत्ति करने के लिये, मैं देखता हूं कि जो नयी पार्टी लोकपक्ष बनी है, ईसाई, मुसलमान और अन्य जातियों के लोग हैं, तो आज त्रिवेणी सहाय जी ने उसकी पुनरावृत्ति करने की बात कही। मैंने जेल में देखा है, मान्यवर, मैं इस सरकार की हर नीतियों का विरोधी हूं। यह सरकार टोटल पूंजीपतियों की समर्थक है, लेकिन अगर कोई ऐसा बिल आयेगा तो चाहे कितनी भी हमारे त्रिवेणी सहाय जी या विपक्ष से हमें गालियां मिलें लेकिन हम कम्युनिस्ट पूरे देश के अंचल प्रदेश के, इसका समर्थन करेंगे। यह बड़े शुभ लक्षणों वाला बिल है। मै अपनी बात फिर दोहराता हूं। मैं एक जुलाई को जेल में गया, फैजाबाद जेल में गया। इसके बाद फैजाबाद के अन्य आर0 एस0 एस0 के लोग जाते रहे। मै समझता हूं कि हमारी कमिश्नरी के भी, हमारे जिले के भी शिशु मंदिर के अध्यापक जा रहे। मैं अकेला अपनी पार्टी से वहां था। हमारे लोकदल के भाई उनसे संबंधित थे। मैंने अजीब दृश्य देखा। मेरा सोशल बाईकाट किया गया। शिशु मंदिर के अध्यापक थे उनकी विचार धाराओं का मुझसे सम्पर्क हुआ, जब विचार धाराओं का आदान प्रदान होता था तो ऐसा दबाव होता था कि मैं सरडर कर जाऊं सरकार के सामने।

लेकिन दुर्भाग्य है। जो यह सरकार आज बिल ला रही है उसमें उन भावनाओं का आदर किया गया है जिनकी वजह से हम लोग जेल में रखे गये और हम लोगों के ऊपर 4–4 वारन्ट लगाये गये। लारी साहब इस बिल का समर्थन करने में हिचक रहे हैं। लेकिन यह बिल लाखों–करोड़ों मासूम बच्चों की इज्जत बचायेगा। यदि त्रिवेणी सहाय जी की बात मानी जाय और इस बिल को न रखा जाय तो जो शिशु मन्दिर से बच्चे निकलेंगे वह देश को छिन्न–भिन्न कर देंगे और लारी साहब के बच्चे अपनी इज्जत नहीं बचा पायेंगे। दुख है कि जो लोकपक्ष बना है उसके अन्दर जनसंघ के त्रिवेणी जी विरोध करते हैं। यदि मैं लारी साहब की जगह पर होता तो इसका समर्थन करता, शर्म है इस बात की।

मान्यवर, अपने जिले में भगाही गांव टांडा तहसील में आर0 एस0 एस0 के लोगों की करनी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। चन्दे से 442 शिशु मंदिर चल रहे हैं, बिड़ला, टाटा की चोरी के पैसे से चल रहे हैं, गद्दारी से चल रहे हैं। यह इनकी राष्ट्र की भावना है। हमारे वहां भगाही में आर0 एस0 एस0 के गुन्डों ने ऐसा आतंक फैलाया कि वहां एक बच्चा नजर नहीं आया। घरों को फूंक दिया गया। वहां के मास्टर हाजी साहब जो रिटायर्ड अध्यापक थे उनके घर को फूंक दिया जो कि खुदा का नाम लेते थे। त्रिवेणी सहाय जी के संगठित कार्यकर्ताओं ने उनके पैरों में रस्सी बांध दिया और मार कर गड्ठे में डाल दिया। यदि यही रवैया रहा तो देश में प्रतिक्रियावादी पार्टी देश को ध्वस्त कर देगी। श्री राम मूर्ति

[श्री भगवती प्रसाद]

जी से कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी टूट जायेगी और मुस्लिम सपोर्ट नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी को रूस की पार्टी कहते हैं। तो मैं कहूंगा कि यदि आपको खतरा है उस दिन से और मौजूदा सरकार से तो इन नीतियों को आप बदलें और सही समाजवाद को लेकर चलें। यदि देश के बच्चों की इज्जत लूटने आयेंगे तो टाटा के पोषक जो हैं, वह पुलिस को बढ़ावा दे रहे हैं, तानाशाही को चला रहे हैं और जेल में ठूंस रहे हैं उनकी ताकत बढ़ेगी और हमारी ताकत कमजोर हो जायेगी। इसलिये इस बिल को और कारगर रूप में परिणित किया जाय और शिशु मंदिर के अध्यापक जो जेल में थे उनको स्कूल से निकाला जाय, आनन्द मार्गी और आर० एस० एस० जिन्होंने हमारा सोशल बायकाट किया था उनको निकाला जाय। अन्त में मैं फिर इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष जी, मैं तो इस विधेयक को एक क्रान्तिकारी बिल समझता हूं और इसका स्वागत करता हूं। मान्यवर भारतवर्ष के इतिहास में पूज्य राष्ट्रपिता की हत्या कांड के उपरान्त यह महसूस हुआ था.....

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया विधेयक को ध्यान में रखते हुये बोलें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

उस समय हर इंसान के मन में दो विचाराधाराएं पैदा हुईं। एक तो यह कि महात्मा जी अमर हो गये। उनकी रहमत और बख्शिश पर हमारा संविधान बना। सेकुलर और सोशलिज्म के ऊपर संविधान तैयार किया गया जिसमें महात्मा गांधी की हत्या का बड़ा हिस्सा आया। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उन घुसपैठियों ने मैदाने जंग को तब्दील किया। जो पहले शाखाएं करते थे उन्होंने फिर स्कूल और कालेजों में काम शुरू कर दिया। मैं दाद देता हूं गोविन्द सहाय जी को जो एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। उन्होंने महसूस किया था और बड़े चैलेन्ज के साथ अपनी विचाराधारा को प्रकट करते हुए कहा था कि इस भारतवर्ष की नैय्या के अन्दर जो घुसपैठिये कार्य करने जा रहे हैं, जो मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो एक ही वर्दी पहनते हैं और बिल्कुल खामोशी से अपने गुरू की बात मान लेते हैं यह एक फासिस्ट आर्गेनाइजेशन को पैदा करना चाहते हैं और हमें सतर्क होकर इनको बंद करना चाहिये। बीस बाईस साल तक हम इस अवस्था को देखते रहे। हमने समझा कि यह अवस्था बदलेगी और यह भारतवर्ष के नेताओं की विचारधारा के साथ चलेंगे कि कैसे भारतवर्ष मजबूत हो। लेकिन इन घुसपैठियों ने जिन्होंने युवा पीढ़ी में जहर भरा, समझा कि अब मौका आ गया है और 1974/75 में एक बाबेला खड़ा किया जिसका रूप जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में सामने आया। उन्होंनें समझा कि यह जो नैय्या इन्दिरा गांधी लेकर चली हैं यह आज डूबा, कल डूबा, क्योंकि इनके पास एक युवा पीढ़ी तैयार हो गयी थी जिसके अन्दर इन्होंने जहर उंड़ेला था। लेकिन शाबाश है उस इन्दिरा गांधी को जिन्होंने अपनी हिम्मत से एक रास्ता सोचा और वह उस पर चलने में नहीं डगमगायी।

श्री उपाध्यक्ष—

सेठी जी, आपको इस तरह का भाषण देना हो तो बजट पर दें। अभी तो विधेयक पर ही कहें, अगर कहना चाहते हैं, वरना बैठे जाय।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मैं तो उसकी बैकग्राउन्ड बतला रहा था। जो विधेयक आज पेश किया गया है मैं इसका स्वागत कर रहा हूं। विरोधी दल की तरफ से भी उसका स्वागत हुआ है। मैं

---

*वक्ता ने भाषणका पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता हूं कि यह विधेयक जो पेश किया गया है इसका हम सभी तहेदिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सही रूप में सभी इसका स्वागत करेंगे।

जय हिन्द।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों की बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है और गहराई में जाने की कोशिश की है। माननीय सदस्य जन संघ, जो कि अब लोक पक्ष में मिल गया है, उस तरफ से बोल रहे थे कि इसका आर0 एस0 एस0 के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उनकी जो प्रान्तीय शिशु शिक्षा समिति ह निरालानगर में जिसके अध्यक्ष नरेन्द्र जीत सिंह हैं, मंत्री राणा प्रताप सिंह और श्री कृष्ण चन्द्र भांगी हैं। सरकार के पास निश्चित रूप से सूचना है कि ये तीनों ही सज्जन आर0 एस0 एस0 से सम्बन्धित हैं और उसके ऐक्टिव मेम्बर हैं। उनके द्वारा एक मैगजीन भी निकाली जाती है जिसके एडीटर राणा, प्रताप सिंह हैं। ये सारी संस्थायें किस आधार पर चलाई जा रही थीं जिससे कि सरकार ने इनको अपने हाथ में लिया? हमारे संविधान के विपरीत इनका संचालन किया जा रहा था। अभी तो तीन वर्ष के लिये इस ऐक्ट के अनुसार इसको हाथ में लिया गया है लेकिन उसके बाद भी इसका किस प्रकार से प्रबन्ध होगा यह तो आगे देखा जायगा। समय के अनुसार इसमें तब्दीली होगी। इसमें राष्ट्रीयकरण किया सरकारीकरण की कोई बात नहीं है बल्कि यह तो एक इनएब्लिग क्लाज के रूप में प्रस्तुत किया गया ह। आगे इसको जनता के लोग, मोहल्ले के लोग या अन्य कोई किस प्रकार से चलायें इसका आगे ही कोई रूप दिया जा सकता है। इसमें किसी की कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करने की कोई बात नहीं है बल्कि बात यह है कि इस प्रकार की विचारधारा को यहां नहीं चलने देना है जो कि संविधान के खिलाफ हो और इसीलिये इन विद्यालयों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया गया है। इन शब्दों के साथ मै निवेदन करूंगी कि आप इस बिल को पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 8 तथा अनुसूची

2--इस अधिनियम में.-- परिभाषाएं

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य,--

(एक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी शिक्षा संस्था के सम्बन्ध में, प्रारम्भ में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से है ;

(दो) किसी ऐसी शिक्षा संस्था के सम्बन्ध में जिसे बाद में धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से है ;

(ख) "अनुसूचित संस्था" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्था से है, जो ऐसी संस्था है, जिसे प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से

(एक) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक सगठन या उसके सदस्यों या समर्थकों द्वारा, चाहे शिशु शिक्षा प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश नामक सोसाइटी के माध्यम से या किसी अन्य सोसाइटी या निकाय के माध्यम से, या

(दो) किसी अन्य संगठन द्वारा जिस पर तत्समय डिफेन्स एन्ड इन्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 का नियम 33 लागू होता है, या उसके सदस्यों या समर्थकों द्वारा, चलाया जा रहा था या भविष्य में पाया जाय कि चलाया जा रहा है।

अनुसूचित संस्थाओं का प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित होगा

3—(1) नियत दिनांक की ओर से सभी अनुसूचित संस्थाओं का प्रबन्ध उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार में निहित होगा ;

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त अवधि को एक बार में एक वर्ष या कम समय के लिये बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गयी कुल अवधि का योग दो वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में कोई अन्य शिक्षा संस्था सम्मिलित कर सकती है जिसके सम्बन्ध में उसका यह समाधान हो जाय उसे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा या किसी अन्य संगठन द्वारा जिस पर उस समय डिफेन्स एन्ड इन्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 का नियम 33 लागू होता हो, या उनके सदस्यों या समर्थकों द्वारा चलाया जाता है और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूची को तदनुसार संशोधित समझा जायगा।

(3) ऐसी अनुसूचित संस्थाओं की स्थति में जिनका प्रबन्ध डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 के अधीन निर्गत या निर्गत के रूप में तात्पर्यित किसी आदेश के अनुसरण में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा हाथ में ले लिया गया हो, यह समझा जायगा कि उसे उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन लिया गया है और ऐसी अनुसूचित संस्थाओं का प्रबन्ध इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित समझा जायगा मानो यह अधिनियम सभी सारभूत पर प्रवृत्त था :

परन्तु 28 फरवरी, 1976 के पूर्व राज्य सरकार में संस्थाओं का प्रबन्ध जिस अवधि में इस प्रकार निहित था, वह अवधि ऐसे दिनांक से एक वर्ष की अवधि और उपधारा (1) में उल्लिखित वृद्धि की अधिकतम अवधि के अतिरिक्त होगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट—अवधि की समाप्ति के पश्चात्, सम्बद्ध संस्था का प्रबन्ध उस सोसाइटी या अन्य निकाय को प्रत्यावर्तित हो जायेगा जिससे संस्था का प्रबन्ध लिया गया था :

परन्तु राज्य सरकार ऐसी संस्था का प्रबन्ध ऐसे निकाय को देने के पूर्व अपेक्षा कर सकती है कि ऐसे निकाय के सदस्य ऐसी कार्यवाही, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, जिसके अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो, उसके शासी निकाय का पुनर्गठन भी है यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करेंगे कि ऐसे प्रत्यावर्तन

के पश्चात् शिक्षा संस्था में जो शिक्षा दी जायगी वह धर्म निरपेक्षता के राष्ट्रीय उद्देश्यों और विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के बीच भावनात्मक एकीकरण के अनुरूप होगी।

(5) शंकाओं के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिकर या कोई अन्य राशि ऐसी सोसाइटी या अन्य निकाय को, जिसकी कोई अनुसूचित संस्था हो, उसके ऐसे प्रबन्ध में जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त अस्थायी अवधि के लिये राज्य सरकार के पास रहे, देय नहीं होगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी की अनुसूचित संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये प्राधिकृत करने की राज्य सरकार की शक्ति

4—(1) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को (जिसे यहां आगे "प्राधिकृत अधिकारी" कहा गया है) किसी अनुसूचित संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकती है, और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेश में ऐसी संस्था का प्रबन्ध करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश निर्गत किये जाने पर, अनुसूचित संस्था के प्रबन्ध का प्रभार प्राधिकृत अधिकारी में निहित होगा, और ऐसे आदेश के निर्गत होने के ठीक पूर्व ऐसी अनुसूचित संस्था में प्रबन्ध के प्रभारी समस्त व्यक्ति ऐसे प्रबन्ध के प्रभारी नहीं रहेंगे और वे अपनी अभिरक्षा में ऐसी संस्था से सम्बद्ध समस्त आस्तियां, लेखा-बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी को देने और उसके सम्बन्ध में उनके द्वारा निर्गत किसी अन्य निदेश का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे :

परन्तु यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित संस्था का प्रबन्धक पहले से ही जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास हो तो यह समझा जायगा कि वह इस धारा के अधीन ऐसे अधिकारी में इस प्रकार निहित हो गयी है मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था और ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत था।

(3) विशेषतः, और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रबन्ध की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत अधिकारी को अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने और उनकी सेवा समाप्त करने की शक्ति, और अनुसूचित संस्था के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के विषय में अनुशासनिक शक्ति भी होगी, जिसमें उनको पदच्युत या निलम्बित करने की शक्ति, अनुसूचित संस्था से आसन्न या विन्यासित सम्पत्तियों का प्रबन्ध करने की शक्ति, अनुसूचित संस्था के बैंक लेखा को चलाने की शक्ति, और अनुसूचित संस्था के छात्रों से फीस वसूल करने की शक्ति भी सम्मिलित है।

शास्तियां

5—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् :—

(क) प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रबन्ध के सम्बन्ध में जिसके लिये ऐसा अधिकारी प्राधिकृत किया गया है, अनुसूचित संस्था से सम्बद्ध अपनी अभिरक्षा की कोई आस्ति, लेखा-बही, रजिस्टर या कोई अन्य दस्तावेज देने में असफल रहता है, या

(ख) ऐसी अनुसूचित संस्था की किसी सम्पत्ति को रखे रहे या उसे हटाता या नष्ट करता है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत किसी निदेश का अनुपालन नहीं करता है,

तो वह ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्यापकों की नियुक्ति समाप्त करना

6—(1) किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी अनुसूचित संस्था के किसी अध्यापक का सेवा में पूर्ववत बना रहना, इस अधिनियम के प्रयोजनों के प्रतिकूल है तो वह किसी समय, कोई कारण दिये बिना, नोटिस द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर सकता है।

(2) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास या उस अध्यापक पर लागू सेवा की शर्तों में, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट अवधि, जो भी कम हो, होगी;

परन्तु किसी ऐसे अध्यापक सेवा की ऐसे नोटिस के बिना या अपेक्षाकृत अल्प नोटिस पर समाप्त की जा सकती है और ऐसी समाप्ति पर अध्यापक, यथास्थित, नोटिस की अवधि के लिये या नोटिस तीन महीने से जितनी कम हो, उतनी अवधि के लिए अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो उस दर पर जिस पर उसे ऐसी समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहा था, राशि के बराबर धनराशि की मांग अनुसूचित संस्था से करने का हकदार होगा।

(3) राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसी निदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, प्रयोग या निर्वहन इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जायगा।

(4) किसी अनुसूचित संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवा की समाप्ति का कोई आदेश जो अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया या दिया गया तात्पर्यित हो, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा सम्यक् रूप से दिया गया समझा जायगा मानों वह उपधारा (2) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत था, और उसे विधिमान्य समझा जायगा, भले ही उपधारा (1) या उपधारा (2) में उपबन्धित नोटिस न दी गयी हो और भले ही कोई अन्य औपचारिक त्रुटि हो :

परन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यापक या अन्य कर्मचारी जिसकी सेवा इस प्रकार समाप्त की जाय, अनुसूचित संस्था से उपधारा (2) में उल्लिखित धनराशि की मांग करने का हकदार होगा।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

7—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्य के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन निर्गत किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य से जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किया जाना आशयित हो या किया गया समझा जाय, उत्पन्न या सम्भावित किसी क्षतिपूर्ति के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

निरसन तथा अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 14, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

आगरा मंडल

1—आगरा ..	1—सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, आगरा ।
	2—सरस्वती शिश मन्दिर, सुभाष पार्क, रकाबगंज, आगरा ।
	3—सरस्वती विद्या मन्दिर, अशोक नगर, लोहामण्डी, आगरा ।
	4—सरस्वती विद्या मन्दिर, कृष्ण गौशाला, शाहगंज, आगरा ।
	5—सरस्वती विद्या मन्दिर, फिरोजाबाद, आगरा ।
	6—सरस्वती मान्टेसरी स्कूल, विजय नगर कालोनी, आगरा ।
2—अलीगढ़ ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, धुरिया बाग, अलीगढ़ ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिकन्दराराव, अलीगढ़ ।
3—एटा ..	1—राव महेन्द्र पाल सिंह सरस्वती शिशु मन्दिर, बिलरामगेट, कासगंज, एटा ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, गंजडुंडवारा, एटा ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, मरहरा गेट, एटा ।
4—मैनपुरी ..	1—सरस्वती विद्या मन्दिर, स्टेशन रोड, मैनपुरी ।
	2—शिशु मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मैनपुरी ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, शिकोहाबाद, मैनपुरी ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, बेवर, मैनपुरी ।
5—मथुरा ..	1—शिशु मन्दिर, किशन गंगा लाल दरवाजा, मथुरा ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर. चोर घाट, वृन्दावन, मथुरा ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, बलदेव, मथुरा ।

मेरठ मण्डल

1—मेरठ ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पूर्वी महाबीर ,मेरठ ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, कोठी गेट, हापुड़ ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, नेहरू नगर, गाजिय बाद ।
2—मुजफ्फरनगर ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, मुजफ्फरनगर ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, खतौली ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, शामली ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, कस्बा जानसठ ।
3—बुलन्दशहर ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, स्टेशन रोड, दादरी ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिकन्दराबाद ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, गुलावठी ।
	5—विवेकानन्द बाल मन्दिर, औरंगाबाद ।
	6—विवेकानन्द विद्यापीठ, दनकौर, बुलन्दशहर ।
	7—सरस्वती बाल मन्दिर, राबूपुर ।
	8—देवनागरी इण्टर कालेज, गुलावटी, बुलन्दशहर ।
4—सहारनपुर ..	1—कमलादेवी बजौरिया सरस्वती शिशु मन्दिर एवं सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्या मन्दिर, नगरपालिका कालोनी, सहारनपुर ।
	2—विवेकानन्द विद्या मन्दिर, कृष्णपुरा, सहारनपुर ।
	3—रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, रायवाला, सहारनपुर ।

इलाहाबाद मण्डल

1—इलाहाबाद ..	1—गोमती स्मारक सरस्वती शिशु मन्दिर, 314, सुभाष नगर, ममफोर्ड-गंज, प्रयाग–2 ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, आनंदा, वलाइव रोड, इलाहाबाद ।
	3—सरस्वती शिशु निकेतन, 23, कटघर, प्रयाग ।
2—इटावा ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पक्का तालाब, इटावा ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, कस्बा दिबियापुर, इटावा ।
3—फर्रूखाबाद ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, फर्रुखाबाद ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, कायमगंज, फर्रुखाबाद ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, कन्नौज ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, तिरवा ।
	5—सरस्वती शिशु मन्दिर, छिबरामऊ ।
	6—विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, कायमगंज ।
4—फतेहपुर ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, खागा, फतेहपुर ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, चौक, फतेहपुर ।
5—कानपुर ..	1—महाराजा देवी सरस्वती शिशु मन्दिर, खलासी लाइन, कानपुर ।
	2—सनातन धर्म सरस्वती शिशु मन्दिर, कौशलपुरी, कानपुर ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, गोविन्दनगर, कानपुर ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, केशवनगर, कानपुर ।
	5—सरस्वती शिशु मन्दिर, जे0 के0 पुरी, जाजमऊ, कानपुर ।
	6—सरस्वती शिशु मन्दिर, एच0 वी0 टी0 आई0 कालोनी, कानपुर ।
	7—सरस्वती शिशु मन्दिर, रेल बाजार, कानपुर ।
	8—सरस्वती शिशु मन्दिर, झिंझक, कानपुर ।
	9—सरस्वती शिशु मन्दिर पुखरायां, कानपुर ।
	10—दीन दयाल उपाध्याय, उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, कानपुर ।
	11—राम लाला हायर सेकेन्ड्री स्कूल, रावतपुर, कानपुर ।
	12—श्री मुनि हिन्द हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर ।

लखनऊ मण्डल

1—लखनऊ ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, निरालानगर, लखनऊ ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, माडल हाउस, लखनऊ ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, मलिहाबाद, लखनऊ ।
	4—शिशु मन्दिर संस्था, गोसाईगंज, लखनऊ ।
2—खीरी ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, खीरी ।
	2—धर्म सभा इन्टर कालेज, लखीमपुर–खीरी ।
	3—संस्कृत पाठशाला, लखीमपुर–खीरी ।
3—सीतापुर ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, विवेकानन्दपुरी, सीतापुर ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, महोली, सीतापुर ।
4—हरदोई ..	1—पटेल बताशी राजरानी इन्टर कालेज, तेरवां–गौसगंज, हरदोई ।
	2—भारतीय इन्टर कालेज, पाली, हरदोई ।

झांसी मण्डल

1—झांसी	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, झांसी । 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, मऊरानीपुर, झांसी ।
2—बांदा	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, बांदा । 2—राजेन्द्र सरस्वती शिशु मन्दिर, करवी, बांदा । 3—सरस्वती शिशु मन्दिर, मानिकपुर, बांदा । 4—रामनाथ राम किशन सरस्वती शिशु मन्दिर, करबी, बांदा ।
3—हमीरपुर	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, हमीरपुर । 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, राठ, हमीरपुर । 3—शिशु शिक्षा सदन, महोबा, हमीरपुर । 4—शिशु शिक्षा निकेतन, कुरारा, हमीरपूर । 5—बाबा राजाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झलोखर, हमीरपुर ।
4—जालौन	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, कोंच, जालौन । 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, जालौन । 3—सरस्वती शिशु मन्दिर, उरई, जालौन । 4—शालिग्राम पाठक इन्टर कालेज, कोंच, जालौन ।
5—ललितपुर	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, ललितपुर ।

कुमायूं मण्डल

1—नैनीताल	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, हल्द्वानी, नैनीताल । 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, टनकपुर, नैनीताल । 3—सरस्वती शिशु मन्दिर, रामनगर, नैनीताल । 4—सरस्वती शिशु मन्दिर, खटीमा, नैनीताल । 5—सरस्वती शिशु मन्दिर, काशीपुर, नैनीतांल । 6—सरस्वती शिशु मन्दिर, सितारगंज, नैनीताल । 7—सरस्वती शिशु मन्दिर, किच्छा, नैनीताल । 8—सरस्वती शिशु मन्दिर, रुद्रपुर, नैनीताल । 9—सरस्वती शिशु मन्दिर, बाजपुर, नैनीताल । 10—सरस्वती शिशु मन्दिर, गदरपुर, नैनीताल । 11—जूनियर हाई स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल । 12—जनता इन्टर कालेज, रुद्रपुर, नैनीताल ।
2—अल्मोड़ा	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, अल्मोड़ा । 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, बागेश्वर । 3—विवेकानन्दन बाल मन्दिर, अल्मोड़ा । 4—विवेकानन्द बाल मन्दिर, बागेश्वर । 5—कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विजयपुर, पटिया, अल्मोड़ा ।
3—पिथौरागढ़	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पिथौरागढ़। 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, लोहाघाट, पिथौरागढ़। 3—सरस्वती शिशु मन्दिर, डीडीहाट, पिथौरागढ़ । 4—शिशु मन्दिर, धारचूला, पिथौरागढ़ । 5—विवेकानन्द विद्या मन्दिर, पिथौरागढ़ ।

गढ़वाल मण्डल

1—देहरादून ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर स्कूल, देहरादून ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, ऋषिकेश, देहरादून ।
2—चमोली ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, जोशीमठ, चमोली ।
3—गढ़वाल ..	1—शिशु सदन, कोटद्वारा, गढ़वाल ।
	2—शिशु सदन, श्रीनगर, गढ़वाल ।
4—टेहरी—गढ़वाल ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, टिहरी ।
5—उत्तरकाशी ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, उत्तरकाशी ।

वाराणसी मण्डल

1—वाराणसी ..	1—भारतीय शिशु मन्दिर, सिद्धगिरि बाग, वाराणसी ।
	2—आदर्श शिक्षा मन्दिर, भदैनी, वाराणसी ।
	3—निवेदित शिक्षा सदन, सिद्धगिरि बाग, वाराणसी ।
	4—भारतीय शिशु मन्दिर, शिवपुर, वाराणसी ।
	5—भारतीय शिशु मन्दिर, भदोही, वाराणसी ।
	6—बाल निकेतन, पूर्वी बाजार, मुगलसराय, वाराणसी ।
	7—भारतीय शिशु मन्दिर, रामनगर, वाराणसी ।
	8—भारतीय शिशु निकेतन, लंका, वाराणसी ।
	9—भारतीय शिशु मन्दिर, इंगलिशिया लेन, वाराणसी ।
	10—भारतीय विद्या मन्दिर, मडुवाडिह, वाराणसी ।
	11—समरथ बाल विद्यालय, गोबर्धन सरांय, वाराणसी ।
	12—भारतीय शिशु मन्दिर, सैय्यद रजा, वाराणसी ।
	13—भारतीय शिक्षा मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंगलिशिया लाइन, वाराणसी ।
2—बलिया ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, मोहल्ला जगदीशपुर, बलिया ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिकन्दरपुर टाउन, बलिया ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, बेल्थरा रोड, बलिया ।
3—गाजीपुर ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, संगतकला, रायगंज, गाजीपुर ।
	2—सरस्वती शिश मन्दिर, जंगीपुर, गाजीपुर ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, रवीन्द्रपुरी, गौराबाजार, गाजीपुर ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, जमनिया, गाजीपुर ।
	5—कामख्या बाल विद्या मंदिर, गहमर, गाजीपुर ।
	6—आदर्श शिशु मन्दिर, मुहमदाबाद, यूसुफपुर (शहीदनगर), गाजीपुर ।
	7—सर्वेश्वरी शिशु मन्दिर, सैदपुर, गाजीपुर ।
	8—आदर्श बाल विद्या निकेतन, दिलदारनगर, गाजीपुर ।
4—जौनपुर ..	1—सरोज बाल निकेतन, केराकत, जौनपुर ।
	2—सरस्वती शिश मन्दिर, शाहगंज, जौनपर ।
	3—विवेकानन्द शिशु मन्दिर, मड़ियाहू, जौनपुर ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, मछली शहर, जौनपुर ।
	5—पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती शिशु मन्दिर, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर ।

	6—सरस्वती शिशु मन्दिर, जौनपुर।
	7—शिशु मन्दिर, रामपुर, जिला जौनपुर।
	8—भारतीय विद्या मन्दिर, मोहल्ला खासनपुर, जौनपुर।
5—मिर्जापुर ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, गणेशगंज, मिर्जापुर।
	2—भारतीय शिशु मन्दिर, नारघाट, मिर्जापुर।
	3—शिशु शिक्षा निकेतन, ओबरा, मिर्जापुर।
	4—भारतीय विद्यालय, घोरावर, मिर्जापुर।
	5—माधो विद्यालय इन्टर कालेज, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर।
	6—विन्ध्य विद्यापीठ, विन्ध्याचल, मिर्जापुर।

रुहेलखंड मण्डल

1—बरेली ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पीलीभीत रोड, बरेली।
	2—विवेकानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर, कस्बा आंवला, बरेली।
	3—सरस्वती विद्या मन्दिर, फरीदपुर, बरेली।
	4—सरस्वती विद्या मन्दिर, बरेली।
	5—श्री कृष्ण जूनियर हाई स्कूल, नवाबगंज, बरेली।
2—बिजनौर ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, अफजलगढ़, बिजनौर।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, चांदपुर, बिजनौर।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, नूरपुर, बिजनौर।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, धामपुर, बिजनौर।
3—बदायूं ..	1—श्री राम सरस्वती शिशु मन्दिर, बदायूं।
	2—दयानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर, सहसवान, बदायूं।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, उझानी, बदायूं।
	4—अशरफी देवी सरस्वती शिशु मन्दिर, बिसौली, बदायूं।
	5—सरस्वती शिशु मन्दिर, इसलामनगर, बदायूं।
4—पीलीभीत ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पीलीभीत।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, पूरनपुर, पीलीभीत।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, बीसलपुर, पीलीभीत।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, बिलसन्डा, पीलीभीत।
	5—सनातन धर्म बांके बिहारी रामा इन्टर कालेज, पीलीभीत।
5—रामपुर ..	सरस्वती शिशु मन्दिर, रामपुर।
6—शाहजहांपुर ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, शाहजहांपुर।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, तिलहर, शाहजहांपुर।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, जलालाबाद, शाहजहांपुर।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, खुदागंज, शाहजहांपुर।
	5—लाला हरी राम विद्यालय, खुदागंज, शाहजहांपुर।
7—मुरादाबाद ..	सरस्वती शिशु मन्दिर, चन्दौसी, मुरादाबाद।

गोरखपुर मण्डल

1—गोरखपुर	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, गोरखपुर ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, नौतनवां, गोरखपुर ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिसवा, गोरखपुर ।
	4—श्रीमती सुदामा देवी सरस्वती शिशु मन्दिर, बड़हलगंज, गोरखपुर।
	5—गोपाल शिशु मन्दिर, गोला, गोरखपुर ।
	6—गोपाल शिशु मन्दिर, नरेन्द्र बाजार चौरीचौरा, गोरखपुर ।
	7—गोपाल शिशु मन्दिर, सहजनवां, गोरखपुर ।
2—आजमगढ़	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, आजमगढ़ ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, मऊ, आजमगढ़ ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, कोपागंज, आजमगढ़ ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, घोसी, आजमगढ़ ।
	5—सरस्वती शिशु मन्दिर, मधुवन, आजमगढ़ ।
	6—सरस्वती शिशु मन्दिर, दोहरीघाट, आजमगढ़ ।
	7—सरस्वती शिशु मन्दिर, सरायमीर, आजमगढ़ ।
	8—सरस्वती शिशु मन्दिर, लालगंज, आजमगढ़ ।
	9—सरस्वती शिशु मन्दिर, फूलपुर, आजमगढ़।
	10—बाल शिशु सदन, बरवा, आजमगगढ़ ।
3—बस्ती	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, नौगढ़, बस्ती ।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, बांसी, बस्ती ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, रौता चौराहा, बस्ती ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, राजाबाजार, बस्ती ।
4—देवरिया	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, तमकुही रोड, देवरिया।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, पडरौना, देवरिया ।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, रामकोला, देवरिया ।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, खड्डा, देवरिया ।
	5—सरस्वती शिशु मन्दिर, भटनी, देवरिया ।
	6—सरस्वती शिशु मन्दिर, छितौनी देवरिया ।
	7—सरस्वती शिशु मन्दिर, लक्ष्मीगंज, देवरिया ।
	8—सरस्वती शिशु मन्दिर, तम्कुही राज, देवरिया।
	9—सरस्वती शिशु मन्दिर, बरहज, देवरिया।
	10—सरस्वती शिशु मन्दिर, इन्द्रपुर, देवरिया।
	11—सरस्वती शिशु मन्दिर, बोदरवार, देवरिया।
	12—सरस्वती शिशु मन्दिर, लार, देवरिया।
	13—सरस्वती शिशु मन्दिर, देवरिया।

फैजाबाद मण्डल

1—फैजाबाद	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, हैदरगंज, फैजाबाद।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, गोसाईगंज, फैजाबाद !
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, अकबरपुर, फैजाबाद।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, टांडा, फैजाबाद।
	5—सरस्वती शिशु मन्दिर, रामनगर कालोनी, फैजाबाद।
	6—श्री दयानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर, जलालपुर, फैजाबाद।
	7—अनिल सरस्वती विद्या मन्दिर, वजीरगंज, फैजाबाद।

2—बहराइच	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, बहराइच। 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, नानपारा, बहराइच। 3—सरस्वती शिशु मन्दिर, भिंगा, बहराइच। 4—सरस्वती शिशु मन्दिर, पयागपुर, बहराइच। 5—सरस्वती शिशु मन्दिर, जरवल, बहराइच। 6—सरस्वती शिशु मन्दिर, शिवपुर, बहराइच।
3—बाराबंकी	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, बाराबंकी। 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, फतेहपुर, बाराबंकी। 3—सरस्वती शिशु मन्दिर, रामसनेही घाट, सुमेरगंज, बाराबंकी। 4—महाबीर बाल विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, दरियाबाद, बाराबंकी। 5—नन्द किशोर बाल विद्या मन्दिर, रुदौली, बाराबंकी। 6—नन्द किशोर बालिका विद्यालय, रुदौली, बाराबंकी।
4—गोंडा	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, गोंडा। 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, मनकापुर रोड, गोंडा। 3—बाबा गरीबदास, सरस्वती शिशु मन्दिर, उतरौला, गोंडा। 4—सरस्वती शिशु मन्दिर, कर्नलगंज, गोंडा। 5—सरस्वती शिशु मन्दिर, बलरामपुर, गोंडा। 6—सरस्वती शिशु मन्दिर, तुलसीपुर, गोंडा। 7—सरस्वती शिशु मन्दिर, नवाबगंज, गोंडा।
5—प्रतापगढ़	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, प्रतापगढ़। 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, पट्टी, प्रतापगढ़।
6—सुल्तानपुर	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, सुल्तानपुर। 2—सरस्वती शिशु मन्दिर, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 और अनूसूची विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976

विधि विरुद्ध संगठनों या उनके सदस्यों या समर्थकों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध को, लोक-हित में, अपने हाथ में लेने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

चंकि केन्द्रीय सरकार के आदेश संख्या एस0 ओ0-306 (ई), दिनांक 3 जुलाई, 1975 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि कतिपय संगठनों पर जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संगठन भी सम्मिलित है, डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इंण्डिया रूल्स, 1971 का नियम 33 लागू होगा ;

और चूंकि यह विदित है, कि उक्त संगठन अर्थात् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या उसके सदस्य या समर्थक अनसूची में विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्थायें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, चला रहें हैं ;

और चूंकि उक्त संगठन और उसके सम्बन्धित व्यक्तियों, स्थानों और निधियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप उक्त संस्थाओं के प्रबन्ध में व्यवधान पड़ गया था और इस बात की आशंका थी कि उक्त शिक्षा संस्थाओं के लगातार चलते रहने में व्यवधान पड़ने की सम्भावना है ;

और चूंकि उक्त शिक्षा संस्थाओं में उचित रूप से शिक्षा दिए जाने को बनाए रखने और उक्त संस्था की विचाराधारा से उन्हें दूषित न होने देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने, अपने अधिकारियों के माध्यम से, जुलाई, 1975 के पश्चात् विभिन्न दिनांकों को, उक्त शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया ;

और चूंकि उक्त शिक्षा संस्थाओं में, इस प्रकार उनके प्रबन्ध को हाथ में लिए जाने के पूर्व, दी जाने वाली औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा उनमें पढ़ने वाले बच्चों को गुमराह करने वाली और उनके संवेदनाशील मस्तिष्क में साम्प्रदायिकता की भावना पैदा करने वाली थी, और इस बात की आशंका है कि यदि ऐसी शिक्षा को जारी रखने की अनुज्ञा दी जाती है तो वह भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच ऐक्य बनाए रखने के प्रतिकूल हो सकती है और उनमें भावनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया मन्द हो जायगी ;

और चूंकि इस बात की आशंका है कि अन्य संगठन जिन पर डिफेन्स ऐण्ड इन्टर्नल सिक्यूरिटी आफ इण्डिया रूल्स, 1971 का उक्त नियम 33 लागू होता है, या उनके सदस्य या समर्थक भी ऐसी शिक्षा संस्थायें चलाते हुए पाए जायें, जिनमें दी जानी वाली औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा उनमें पढ़ने वाले बच्चों को उसी प्रकार, गुमराह करें और उनके संवेदनशील मस्तिष्क में धर्म-निरपक्षता के और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भावनात्मक एकीकरण के राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रतिकूल भावना पैदा करें।

और चूंकि तद्नसार यह लोक-हित में है कि अस्थायी अवधि के लिए उपर्युक्त शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध हाथ में ले लिया जाय ;

अत : भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 28 फरवरी, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया या और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना आई है जो श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर की है। यह कानपुर के लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, एथर्टन वेस्ट मिल्स तथा जयपुर जूट मिल्स के बन्द हो जाने के कारण श्रमिकों तथा उनके परिवारों में व्याप्त संकट के सम्बन्ध में है। नियम 51 के अन्तर्गत इस सूचना को स्वीकार किया जाता है।

अब हम उठते हैं और दिनांक 5 अप्रैल, 1976 को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 40 मिनट पर सोमवार 5 अप्रैल, 1976 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
2 अप्रैल, 1976।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 919 पर।)

चतुर्थ श्रेणी चकबन्दी कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगें तथा उन पर की गई कार्यवाही

संलग्नक

प्रमुख मांगें	की गई कार्यवाही
1—चकबन्दी विभाग के छटनी किए गए हजारों कर्मचारियों को पुन: सेवा लाभ के साथ विभाग में वापस किया जाय अथवा वैकल्पिक-रोजगार की व्यवस्था की जाए।	1—1 मई, 1975 को तीन वर्ष से कम सेवा-काल वाले केवल 1308 कर्मचारियों की छटनी की गई है। इन्हें पुन : सेवा में वापस लेना सम्भव नहीं है क्योंकि पदों की स्वीकृति नहीं है। इनके वैकल्पिक रोजगार दिलाए जाने के लिए समस्त-जिलाधिकारियों तथा चकबन्दी आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् को आदेश प्रसारित किर दिए गए हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।
2—चकबन्दी विभाग में स्थायी किए गए कर्मचारियों को अन्य विभाग की भांति पेन्शन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाए तथा स्थायीकरण के सम्बन्ध में हुई विसंगतियों के कारण प्रस्तुत प्रत्यावेदन का तुरन्त निस्तारण किया जाए।	2—चकबन्दी अधिष्ठान को पेन्शनेबुल घोषित किए जाने की कार्यवाही शासन के वित्त विभाग में चल रही है। विभाग पेन्शनेबुल घोषित हो जाने पर स्थायी किए गए कर्मचारियों को पेन्शन तथा ग्रेच्युटी की सुविधा स्वत : प्राप्त हो जाएगी। चकबन्दी आयुक्त को कथित, प्रत्यावेदनों का तुरन्त निस्तारण कर कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के लिए शासन द्वारा कड़े अनुदेश भेजे जा चुके हैं।
3—विभाग में लेखपाल, चपरासियों एवं ट्रेसर की प्रदेश स्तर पर कोई कोटिक्रम सूची नहीं है और यदि है तो अब तक प्रकाशित नहीं की गई परिणामस्वरूप स्थायीकिए गए कर्मचारियों की स्थायी सूची में तमाम कर्मचारी स्थायीकरण से वंचित हैं कि जिनका प्रत्यावेदन मुख्यालय में विचाराधीन है। अतएव प्रान्तीय स्तर पर कोटिक्रम सूची एवं संशोधित स्थायीकरण की सूची अविलम्ब प्रकाशित की जाए।	3—चकबन्दी आयुक्त कोटिक्रम सूची प्रकाशित कर चुके हैं जिसके आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है। स्थायीकरण की सूची प्रदेश स्तर पर प्रकाशित किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

4—(क) जो कर्मचारी अपने पद कार्य के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त संगठन में किसी पद पर रह कर कर्मचारियों का नेतृत्व करके उनकी समस्याओं के निराकरण में शासन एवं विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं उनका स्थानान्तरण न किया जावे और यदि किन्हीं परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा करते समय संगठन का प्रतिनिधित्व माना जाए।

4—(क) यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि सामान्य तथा स्थानान्तरण जनहित को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। स्थानान्तरण करते समय कर्मचारियों की सुविधा को भी यथासम्भव ध्यान में रखा जाता है।

4—(ख) विभाग में अन्य कार्यरत कर्मचारियों को उनकी सुविधानुसार निवासीय जनपद में स्थानान्तरित किया जाय और पारस्परिक स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों को बिना किसी रोक-टोक के स्वीकार किया जाय।

4—(ख) स्थिति ऊपर स्पष्ट कर दी गई है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होती तो पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकार कर लिए जाते हैं।

5—विगत सम्मेलन के अवसर पर दिए गए मांग-पत्र में उल्लिखित तमाम समस्याओं का समाधान अब तक न तो हुआ है और न किसी प्रकार की कृत कार्यवाही से संघ को अवगत कराया गया।

5—कथित मांग-पत्र के सम्बन्ध में शासन के निर्णय को संघ के महामन्त्री को सूचित करने के लिए दिनांक 9 सितम्बर, 1975 को चकबन्दी आयुक्त को आदेश दे दिया गया था। महामन्त्री का पता शासन के पास न होने के कारण शासन से सीधे पत्र भेजना सम्भव न हो सका।

संख्या 14(2)/75–राजस्व–8

प्रेषक

श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

दिनांक, लखनऊ, 4 सितम्बर, 1975।

विषय–उपलब्ध रिक्तियों अथवा नए पदों पर फालतू कर्मचारियों को खपाया जाना।

महोदय,

राजस्व अनुभाग–8

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2160/नौ-118-जी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 1975 के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है, कि शासन का निर्णय यह है कि सभी उपलब्ध रिक्तियों अथवा नए पदों पर फालतू अथवा छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्व विभाग के अधीन चकबन्दी अधिष्ठान में काफी संख्या में पदों को कम किया गया है, अतः ऐसे छटनीशुदा चकबन्दी के कर्मचारियों को विकल्प रोजगार दिए जाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यकता है कि राजस्व विभाग के अधीन होने वाली रिक्तियों में चकबन्दी के छटनीशुदा अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। इसके बाद यदि रिक्तियां हो तो चयन समिति के माध्यम से रिक्तियों को भरने की कार्यवाही शासकीय आदेश के अनुसार की जावे।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 14(2)/75–रा0–8(1)

प्रतिलिपि अन्य समस्त जिलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव।

संख्या 14(2)/75-रा0–8(2)

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-12, लखनऊ।
(3) राजस्व सचिव, शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्र मिश्र;
उप सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 922 पर ।)

श्रीमान, जिलाधिकारी महोदय,

वाराणसी ।

महोदय,

हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाराणसी, जिला किसान सभा, जिला खेत मजदूर सभा, छात्र नौजवान सभा की ओर से इस पत्रक के माध्यम से जिले में हदबन्दी कानून का हरिजनों एवं भूमिहीनों और खेत मजदूरों को जमीन दिलाने के लिए बने कानूनों का पिछले दिनों किए गए व्यापक उल्लघंनों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उन कानूनों का उद्देश्य हदबन्दी के जरिए मिली जमीन को भूमिहीनों को भी दिलाना है लेकिन वास्तव में देहात में बड़े भूमि स्वामियों ने गैर कानूनी ढंग से हदबन्दी कानून को लागू नहीं होने दिया अपनी भूमि को गलत हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) और बेनामी पट्टों के जरिए छिपा रख हैं। इतना ही नहीं ये लोग अपने असर के ग्राम समाज की जमीन तथा ऐसी जमीन जो हरिजनों को मिलनी चाहिए थी पर भी कब्जा कर लिए हैं। इन गलत कार्य-वाहियों से भूमिहिनों को जमीन नहीं मिल सकी। जिले में इस प्रकार के कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर आपसे हम लोग मांग करते हैं कि इस प्रकार की होने वाली उपरोक्त अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्यवाही करें और जिले में सही माने में हदबन्दी तथा अन्य सम्बन्धित कानून को लागू करें। हम लोगों का पूरा विश्वास है कि इस प्रक र की कार्यवाही से काफी जमीन मिलेगी जो भूमिहीनों को दी जा सकेगी।

हम लोग निम्नलिखित अनियमितताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं :—

1—भूतपूर्व काशीनरेश श्री विभूति नारायण सिंह के पास आज भी हजारों एकड़ भूमि चकिया, रामनगर, भदोही व अन्य क्षेत्र में है इतना ही नहीं शहर में भी इनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन अलग-अलग टुकड़ों में पड़ी हुई है। कहीं-कहीं पर जमीनों का इन्होंने ट्रस्ट बना रखा है ट्रस्ट के नाम पर कानून को धोखा दे रहे हैं। ट्रस्ट और सरकारी समितियां यदि जनता के कल्याण के लिए बने तब तो ठीक है। और यदि जमीन हड़पने और कानून से बचने के लिए बनते हैं तो इस पर आप को कार्यवाही करनी चाहिये और राज्य सरकार को इस प्रकार की अनियमितताओं से अवगत कराना चाहिए।

2—वाराणसी जिला परिषद् के अध्यक्ष, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम खरोझा, तहसील चकिया श्री चन्द्रभान सिंह व श्री मथुरा प्रसाद सिंह, ग्राम कनरा, चकिया, श्री राघवेन्द्र नारायन सिंह उर्फ लल्लू बाबू ग्राम पिरखिड़ी शहर में ये सराय गोवर्धन में रहते हैं। श्री राम लखन सिंह भिखारीपुर (राजा तालाब) श्री अमरनाथ दूबे, लल्लन दूबे भूतपूर्व विधायक ग्राम कठिरांव, श्री वृद्धि नारायन, तहसील भदोही, श्री चद्रशेखर सिंह ग्राम धौरा तहसील चन्दौली, श्री राज नरेश सिंह ग्राम जगरदेवपुर श्री राजराम सिंह ग्राम जगरदेवपुर श्री विभूति नारायण सिंह, साकिन पिन्डा, ज्वाला प्रसाद सिंह, साकिन पिन्डा, श्री कैलाश नारायण, साकिन शमशेर बहादुर सिंह व बागबहादुर सिंह पिन्डा, अशोक कुमार सिंह, व श्री प्रकाश कुमार सिंह, साकिन बिहड़ा, वाराणसी, श्री नीलरतन सिंह, श्री नीलबी सिंह, भटरू सिंह, ग्राम नरसड़ा तथा ग्राम नेगुडा व ग्राम पई तहसील चन्दौली और ग्राम बरुई व शिवरामपुर तहसील वाराणसी तथा इसी प्रकार जिले के अन्य बहुत से भू-स्वामी हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है। और हदबन्दी कानून से बचने के लिए गलत हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) व बेनामी पट्टों के जरिए जमीनों को छिपा रक्ख हैं। अगर आप इनके द्वारा किए गए हदबन्दी कानून

के उल्लघंनों की जांच करायें तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हजारों एकड़ जमीन ऐसी मिलेगी जो आप भूमिहीनों में वितरित करा सकेंगे।

3 —चकिया तहसील के नौगढ़ क्षेत्र के बंधा तथा जंगल की हजारों एकड़ भूमि पर बड़े-बड़े काश्तकारों और असरदार लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस प्रकार के कब्जे क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो और एस0 डी0 ओ0 की सांठगांठ से हुआ है। इन लोगों ने सरकारी निर्णय का उल्लंघन किया है।

4——चन्दौली तहसील के ग्राम डुमरी थाना रामनगर के सात हरिजन परिवारों को आप (जिलाधिकारी वाराणसी) की तरफ से 150 वर्ग गज जमीन इसी ग्राम में हरिजन परिवारों को मकान बनाने के लिए दिया गया। तहसीलदार चन्दौली ने डुमरी ग्राम के इन सातों परिवारों को जमीन पर कब्जे भी दिलवा दिया। लेकिन डुमरी ग्राम के कुछ असरदार लोग इन हरिजन परिवारों को मकान बनान से रोक रहे हैं। अगर आप इस पूरी घटना की जांच करायें तो आप को मालूम होगा कि हरिजनों के खिलाफ स्थानीय पुलिस तथा अन्य अधिकारी साठगांठ कर आपके आदेश को नहीं लाग होने दे रहे हैं।

5——नगवा ग्राम वार्ड नं0 2 शहर वाराणसी में 20 डिस्मल जमीन जो गांव सभा की थी महापालिका से कुछ लोगों ने अपने नाम करा लिया ह इसी प्रकार ग्राम नगवा और गंगा के बीच की जमीन इस गांव के असरदार लोग अपने नाम करा लिए हैं।

6——हम लोग आपका ध्यान सरकारी शासन तन्त्र की ओर आकर्षित करना चा ते हैं जिसमें भूमिहीनों के साथ न्याय तथा सरकारी कानूनों को पालन करने के स्थान पर आम तौर पर गैर कानूनी ढंग के भूमि पर नाजायज तौर पर कब्जा करने वालों की की सहायता किया। शासन तन्त्र में भ्रष्टाचार तथा धनीवर्ग के प्रभाव के कारण भूमिहीनों का कल्याण होना सम्भव नहीं है।

7–इस पत्रक के साथ कई और भी प्रार्थना-पत्र संलग्न कर रहे हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास है आप पत्रक पर गम्भीरता से विचार कर उचित कार्यवाही करेंगे और सरकारी आदेशों और कानूनों को लागू करेंगे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम आपसे मांग करते हैं :—

1——आगामी जून, 1975 तक जिले में भूमि हदबन्दी कानूनों के अन्तर्गत जमीनों को सरकार अपने कब्जे में लेकर भूमिहीनों में वितरित करें।

2——बेनामी पट्टे और गलत हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) के जरिए हदबन्दी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। और ऐसी सभी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया जाए।

3——भूतपूर्व काशी नरेश श्री विभूति नारायण सिंह का नौगढ़ फार्म तथा उनके तथा कथित ट्रस्टों की जमीन पर हदबन्दी कानून लागू किए जायं एवं अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित की जाए।

4——पत्रक के पैरा 2 में दिए गए बड़े-बड़े तथा अन्य भू-स्वामियों ने बेनामी पट्टे तथा फर्जी हस्तान्तरण के जरिए भूमि हदबन्दी कानून की अवहेलना किया है। उन पर हदबन्दी कानून लागू किया जाए।

5——चकिया तहसील के नौगढ़ क्षेत्र में बंधा तथा जंगल क्षेत्र की भूमि पर से असरदार लोगों का नाजायज कब्जा समाप्त किया जाए, तथा उन जमीनों को भूमिहीनों में वितरित किया जाए।

6–ग्राम समाज की बंजर तथा परती जमीनों को जहां असरदार लोगों ने कब्जा किया है उसे लेकर भूमिहीनों में बांटा जाए।

7—भूमिदान में मिली जमीन को भी असरदार लोगों ने अपने नाम पट्टा करा लिया है। जिसकी जांच कर भूमि-दान में मिली जमीनों को भी भूमिहीनों में बांटा जाए।

8—शहर तथा देहात में आवास के लिए भूमिहीनों एवं हरिजनों को भूमि देने के सरकारी आदेश को लागू किया जाए।

9—हरतीरथ पोखरे की जमीन धीरे-धीरे कर कुछ लोग कब्जा करते जा रहे हैं। इन कब्जों के लिऐ नगर महापालिका के अधिकारियों के अकर्मण्यता मुख्य रूप के उत्तरदायी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने कई बार मांग किया कि यहां पर गा ीवान पल्लेदार श्रमिक संघ के लिए एक छायादार स्टैन्ड और इन मजदूरों के आवास के लिए भूमि उपलब्ध किया जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही न हो सकी। हमें आशा है आप इस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

भवदीय,

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे 930 पर।)

ग्राम भवानीपुर के उन हरिजन परिवारों की सूची जिन्हें आवास हेतु भूमि आवंटित की गई है ।

क्रम सं0	नाम आबंटी व वल्दियत	जाति	आराजी नं0	रकवा जो आबंटित किया गया
1	2	3	4	5
1	श्री बेचू, पुत्र श्री	.. हरिजन (पासी)	13	एक विस्वा मात्र
2	श्री झिल्लर, पुत्र तुलसी	.. ,,	13	,,
3	श्री केवल, पुत्र तुलसी	,,	13	,,
4	श्री पृथ्वी, पुत्र केवल	.. ,,	13	,,
5	श्री अमिरती, पुत्र केवल	.. ,,	13	,,
6	श्री वीरा, पुत्र कालीचरन	.. ,,	13	,,
7	श्री मूलचन्द्र, पुत्र खेल्लन	.. ,,	13	,,
8	श्री मिश्री, पुत्र परसोतम	.. हरिजन (चमार)	12	,,
9	श्री जैश्री, पुत्र परसोतम	.. ,,	12	,,
10	श्री डंगर, पुत्र बुद्धू	.. ,,	12	,,
11	श्री जगरनाथ, पुत्र पुनवासी	.. ,,	12	,,
12	श्री बुटुल, पुत्र चैतू	.. ,,	12	,,
13	श्री शिवनाथ, पुत्र चैतू	.. ,,	12	,,
14	श्री खिलोधर, पुत्र निरंजन	.. ,,	12	,,
15	श्री प्रेम, पुत्र खिलोधर	.. ,,	12	,,
16	श्री मुनेसर, पुत्र रामनायक	.. ,,	12	,,
17	श्री भग्गू, पुत्र हुल्लर	.. ,,	12	,,
18	श्री भगन्ता, पुत्र दुकौड़ी	.. ,,	12	,,
19	श्री राम अधार, पुत्र दुकौड़ी	.. ,,	12	,,
20	श्री लाल चन्द, पुत्र बद्री	.. ,,	12	,,
21	श्री फूलचन्द्र पुत्र बद्री	.. ,,	12	,,
22	श्री मद्धड़, पुत्र छकौड़ी	.. ,,	12	,,
23	श्री बसन्ता, पुत्र छकौड़ी	.. ,,	12	,,
24	श्री मुरली, पुत्र मोहन	.. ,,	12	,,
25	श्री खंझाटी, पुत्र सुखदेव	.. ,,	12	,,
26	श्री खेलावन, पुत्र निहोर	.. ,,	12	,,
27	श्री महादेव, पुत्र निहोर	.. ,,	12	,,
28	श्री मुखू, पुत्र रमेसर	.. ,,	12	,,

1	2	3	4	5
29	श्री मानिका, पुत्र मुक्खू	हरिजन (चमार)	12	एक विस्वा मात्र
30	श्री हूब लाल, पुत्र मुक्खू	,,	12	,,
31	श्री हरवंश, पुत्र विश्वनाथ	,,	12	,,
32	श्री राम देव, पुत्र छकौड़ी	,,	12	,,
33	श्री मेवा, पुत्र रामदेव	,,	12	,,
34	श्री श्याम लाल, पुत्र रामदेव	,,	12	,,
35	श्री खिलोघर, पुत्र रामऔतार	,,	12	,,
36	श्री देवसरन, पुत्र लखन	,,	12	,,
37	श्री झुल्ली, पुत्र राम अधार	,,	12	,,
38	श्री राम नन्दन, पुत्र राम अधार	,,	12	,,
39	श्री पुल्ली, पुत्र किशोर	,,	12	,,
40	श्री बाबू नन्दन, पुत्र किशोर	,,	12	,,
41	श्री बद्री, पुत्र बाबूलाल	,,	12	,,
42	श्री दाली, पुत्र छकौड़ी	,,	12	,,
43	श्री दुसी, पुत्र प्रगास	,,	12	,,
44	श्री अर्जुन, पुत्र बैजनाथ	,,	12	,,
45	श्री सरजू, पुत्र बजनाथ	,,	12	,,
46	श्री कुंजन, पुत्र जगलाल	,,	12	,,
47	मुसम्मात मंगारी, वेवा बंशी	,,	12	,,

ग्राम जैठूपुर के उन हरिजन परिवारों की सूची जिन्हें आवास हेतु भूमि आवंटित की गई है।

क्रम संख्या	नाम आबंटी मय वल्दियत	जाति	आराजी नं0	रकबा
1	2	3	4	5
1	श्री सीताराम, पुत्र सुबदन ..	हरिजन	58	एक विस्वा
2	श्री गया, पुत्र सुबदन ..	,,	58	,,
3	श्री दया पुत्र, सुबदन ..	,,	58	,,
4	श्री सया, पुत्र सुबदन ..	,,	58	,,
5	श्री मेवा लाल, पुत्र देवकरन ..	,,	58	,,
6	श्री सेवा लाल, पुत्र देवकरन ..	,,	58	,,
7	श्री हीरा लाल पुत्र देवकरन ..	,,	58	,,
8	श्री परमेश्वरी, पुत्र रतई ..	,,	58	,,
9	श्री छकन, पुत्र रतई ..	,,	58	,,
10	श्री पंचम, पुत्र रतई ..	,,	58	,,
11	श्री दस्सू, पुत्र शिवअम्बर ..	,,	58	,,
12	श्री सेवा लाल पुत्र रामसरन ..	,,	58	,,
13	श्री पांचू, पुत्र लोदे ..	,,	58	,,
14	श्री रामकरन, पुत्र रामजीत ..	,,	58	,,
15	श्री राम खेलावन, पुत्र रामजीत	,,	58	,,
16	श्री राजाराम, पुत्र नरायन ..	,,	58	,,
17	श्री रामराज, पुत्र नरायन ..	,,	58	,,
18	श्री राम चरन पुत्र राम नरेश ..	,,	58	,,
19	श्री राम नाथ, पुत्र झरिहग ..	,,	58	,,

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 941 पर।) 1

विवरण

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	जले मकानों की संख्या	सहायता जो दी गई			अभ्युक्ति
			अहेतुक सहायता	वितरण का दिनांक	गेहूं की लेवी में जो छूट दी गई (कुन्तल में)	
1	2	3	4	5	6	7
हरिहरपुर रानी ..	मंगही	21	325.00	19-6-75	..	एक एकड़ से
	केशवापुर	3	120.00	13-6-75	..	अधिक वाले
	गलकटवा	4	50.00	15-6-75	0-55	काश्तकार
	मिगा	1	50.00	,,	..	सहायता के
	मोहम्मदपुर कलां	20	225.00	13-6-75	..	पात्र नहीं
	लखाही बेनी नगर	23	..	..	8.21	पाए गए तथा
	पटना खरगोरा	2	..	..	..	कुछ लोगों ने
	खर्च	1	..	..	..	अहेतुक सहायता
	खैरी कलां	3	..	..	..	लेना स्वीकार
	शाहपुर कला	9	..	..	..	नहीं किया
	गोठवा	23	..	..	..	
	अशरफनगर	3	..	..	..	
	शिवगढ़ कलां	3	..	..	..	

उत्तर प्रदेश सभा

1	2	3	4	5	6	7
सिरसिया	.. लोहटी	9	50·00	11–6–75	0-35	
	घोघुवा कला	58	1,225.00	,,	..	
	अहलादनगर	7	..	..	7-89	
	विशनापुर	17	..	..	1-60	
	बेचवा	28	..	..	5-00	
	मधवापुर	58	775-00	31–1–76	..	
	को लहवा	9	150-00	,,	..	
	बलनपुर बसन्तपुर	36	775-00	,,	..	
	गब्बापुर कला	1				
	पिपरहवा रंजीतपुर	1				
	बालापुर	9				
	ताल बघोड़ा	5				
	भगवानपुर	1				
इककोना .	मनोहरपुर	8	95-00	20–4–75	1-53	
	डिगुराजोत	33	500 00	10–6–75	11-14	
	भोला तमाही	74	235-00	20–4–75	..	
	नरायन जोत	..	1,700-00	19–6–75	..	
	खरगोरा जोत	1	..	..	0 45	
	गनेशपुर	11	..	..	6-59	
	जयचन्दपुर कडथरा	1	..	..	0-95	
	तिलकपुर	1				
	मझोवा शुमाल	1				
	दहावर कला	4				
	रमवापुर	6				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	जगरावल	..	3		
	गोपालपुर	..	2		
	अमारे मरिया	..	3		
गिलौला ..	कसयापुर	..	35	825-00	12-6-75
	मदारा (मघनगर)	..	1	..	..
	..				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 945 पर।)

हरिजन बस्तियों की सूची

क्रम-सं0	बस्ती का नाम	विकास खंड
1	देवगांव	गौरी बाजार
2	देवी	,,
3	लवकनी	,,
4	उसरी	,,
5	कोरमा	रुद्रपुर
6	पचोहिया	गौरी बाजार
7	मेहरोनी	देवरिया
8	बलुआ	रामकोला
9	बिनोबापुरी	बरहज
10	बदगोलिया	गौरी बाजार
11	हरेरामपुर	,,
12	बाकी	बैतालपुर
13	पननहा	गौरी बाजार
14	भगी बस्ती देवरिया	देवरिया
15	दसही देवरिया	देसही देवरिया
16	भुलुअ नी	मलुअनी
17	पथरदेवा	पथरदेवा
18	कठिनाहियां	देवरिया
19	विशुनपुरा कला	रामपुर कारखाना
20	रामपुर खुर्द	नेबुआ नौरंगिया
21	अमवा बुजुर्ग	तमकुही राज
22	लाला छपरा	रामकोला
23	ढाढाबुजुर्ग	हाटा
24	भिंगारी	भाटपाररानी
25	रामपुर	बनकटा
26	खेमादेई	लार
27	कहोली रुद्रपुर	रुद्रपुर
28	चिरई गोड़ा	बिशुनपुरा
29	मथौली	मोतीचक
30	कमरवार	बरहज
31	पुरैनी	सलेमपुर
32	पिपरा देवराज	भटनी
33	आराजी तालबन्दी	सेवरही
34	दुधई	दुधई
35	मठिया	गौरी बाजार
36	विशुनपुरा मुगरही	कसया
37	सोहरा	फाजिलनगर

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 946 पर।)

क्रमांक	नाम मौजा	आवंटित व्यक्तियों का नाम	जाति	क्षेत्रफल जो आवंटित किया गया (बिस्वा में)	वास्तविक कब्जा दिया गया या नहीं
1	2	3	4	5	6
1	चक मुईनउद्दीन ..	1—दशरथ लाल, पुत्र दुबरी ..	हरिजन	51	कब्जा दिया गया
2	मूलचन्द ..	2—मूलचन्द, पुत्र लाला ..	,,	51	,,
		3—काशी, पुत्र मीखम ..	,,	51	,,
		4—दूधनाथ, पुत्र बृजलाल ..	,,	51	,,
		5—बच्चूलाल, पुत्र ननकू ..	,,	51	,,
		6—भाईलाल, पुत्र टनगू ..	,,	51	,,
		7—बलकरन, पुत्र कन्धई ..	,,	51	,,
		8—जैराम, पुत्र अकाली ..	,,	51	,,
		9—भोला, पुत्र भाईलाल ..	,,	51	,,
		10—लल्लू, पुत्र सीताराम ..	,,	51	,,
		11—टिरूं, पुत्र महादेव ..	,,	51	,,
				1151	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
2	महुवारी	1—पुदई पुत्र रजई	पासी	S1—10	कब्जा दिया गया
		2—लुद्दुर, पुत्र नचकू	,,	S1—10	,,
		3—मातासरन, पुत्र शिव	,,	S1—10	,,
		4—बंशी, पुत्र नचई	,,	S1—10	,,
		5—पितम्बर, पुत्र दुर्जन	,,	S1—10	,,
		6—मेवा, पुत्र बाबादीन	,,	S1—10	,,
		7—बैजनाथ, पुत्र सहोदव	,,	S1—10	,,
		8—साधूराम, पुत्र रामलाल	,,	S1—10	,,
		9—रामसुचित, पुत्र मोदल	,,	S1—10	,,
		10—भारत, पुत्र शिवधारी	,,	S1—10	,,
		11—दुखी, पुत्र इसरी	,,	S1—10	,,
		12—इन्द्रपाल, पुत्र मिठाई	,,	S1—10	,,
		13—रामसूरत, पुत्र सीताराम	,,	S1—10	,,
		14—रामसुमेर, पुत्र भुइधर	पासी	S1—10	,,
		15—बाबू लाल, पुत्र विसेसर	,,	S1—10	,,
		16—राजाराम, पुत्र दौलत	,,	S1—10	,,
		17—बृजलाल, पुत्र गनपत	,,	S1—10	,,
		18—सीताराम, पुत्र महेश	,,	S1—10	,,
		19—रामसुमेर, पुत्र सोरादीन	,,	S1—10	,,
		20—शम्भू, पुत्र डांगर	मुसहर	S1—10	,,
		21—कल्लू, पुत्र भग्गू	चमार	S1—10	,,
		22—छोटू, पुत्र लाहुर	,,	S1—10	,,
		23—मद्धू, पुत्र भग्गू	,,	S1—10	,,

		24—सद्धू पुत्र भग्गू	..	,,	S1—10	,,
		25—पंचम, पुत्र लाहुर	..	,,	S1—10	,,
		26—चिखुडी, पुत्र मातासरन	..	,,	S1—10	,,
					1111S4	
3	बेलवट	1—छोठे, पुत्र ठेघई	..	,,	5—16	,,
		2—मन्नू, पुत्र चोंधर	..	,,	S—16	,,
		3—रामकृपाल, पुत्र कंगाली	..	,,	S—16	,,
		4—महावीर, पुत्र सुखई	..	,,	S—16	,,
		5—विशुनाथ, पुत्र बवन	..	,,	S—16	,,
		6—सेठाईलाल, पुत्र शारदा	..	पासी	S—16	,,
		7—बाबादीन पुत्र दुबरी	..	,,	3—16	,,
		8—श्रीनाथ, पुत्र कामता	..	,,	S—16	,,
		9—गिरधारी, पुत्र मुन्डे	..	,,	S—16	,,
		10—विजई, पुत्र मंगल	..	,,	S—16	,,
					153	
					211153	
				कुल योग—47	1.62 एकड़	

†से विस्वा का संकेत है।

पी0एस0यू0पी0—एल0 46 वि0 सभा (89)—1976—840।

उत्तर प्रदेश विधान सभा